सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

31 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा

पंचम सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 31 मार्च, 2022 ई0

10 चैत्र, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, सरेआम दलितों की हत्या हो रही है, महिलाओं का चीर-हरण हो रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आरा में भी कई जगहों में....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल में नहीं आइये ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री रामबली सिंह यादव, श्री मनोज मंजिल, श्री महा नंद सिंह, श्री अजय कुमार, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री अरूण सिंह, श्री अखतरूल ईमान वेल में आ गये ।)

(व्यवधान जारी)

वेल में नहीं आइये । आप अपने स्थान पर जाइये । माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

किसी की बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी, न ही प्रेस मीडिया में जायेगी, कोई भी बात नहीं जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

किसी की बात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया कहीं नहीं जायेगी । अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये, यह उचित नहीं है । मैंने कल भी आपलोगों को सावधान किया था कि वेल में नहीं आइये, अपनी जगह पर जाइये, वहां से भी । भाई वीरेंद्र जी भी बोले हैं, अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आपलोगों की आदत अगर वेल में आने की है तो फिर हमें सुधारना पड़ेगा । आप वेल में नहीं बैठिए, जाइये अपने स्थान पर सदन अभी शुरू नहीं हुआ है ।

(व्यवधान जारी)

क्या आप अपने स्थान पर जा रहे हैं, मैं तीन बार पूछूंगा । क्या आप अपने स्थान पर जा रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाइये, अपने स्थान पर जाइये । आप अपने स्थान पर जाइये, जाइये ।

(व्यवधान जारी)

महबूब जी, हम कह रहे हैं कि आप अपने स्थान पर जाइये । उचित समय पर अपनी बात उठाइयेगा, तभी कोई बात प्रोसीडिंग में जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये । आप जाइये, हम यहां से कोई बात नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं सुनी जायेगी । आप अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आप अपनी बात को रखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हंगामा करके सदन के समय को बर्बाद करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये । सुदामा जी, जाइये अपने स्थान पर । नहीं होगा । अगर आपलोग इस तरह से जिद करेंगे तो सदन नियम से चलता है और नियम के हिसाब से ही सदन चलाया जायेगा । अपने स्थान पर जाइये । आप अपने स्थान पर जायेंगे, आप अपने स्थान पर जायेंगे ?

(व्यवधान जारी)

अगर आप अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तो फिर हमको बाध्य होकर निर्णय लेना पड़ेगा । मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये, हम बार-बार कह रहे हैं । अभी सदन प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आप शुरू कर दिये । 12.00 बजे के लिये आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के पहले इस तरह से तमाशा बनाना कहीं न कहीं संसदीय प्रणाली में आपका विश्वास नहीं है और जो व्यक्ति संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखता है तो उनको हम सदन में रहने नहीं देंगे ।

(व्यवधान जारी)

मैं बता देता हूं । फिर हम आपको बाहर कर देंगे । अपने स्थान पर जाइये, मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, अपने स्थान पर जाइये । आप अपने स्थान पर जाइये, 12.00 बजे बात कीजिएगा ।

(व्यवधान जारी)

सदन नहीं चलने देंगे, यह तो नहीं होगा । इन सब लोगों को सदन से बाहर कीजिए, बाहर कीजिए इन लोगों को सदन से ।

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री रामबली सिंह यादव और श्री अरूण सिंह वेल में लेट गये ।)

(इस अवसर पर श्री अखतरूल ईमान अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री रामबली सिंह यादव, श्री मनोज मंजिल, श्री महा नंद सिंह, श्री अजय कुमार, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता और श्री अरूण सिंह को मार्शल आउट किया गया ।)

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-'क'-96 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । राज्य के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के पद पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचन कराने हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या एल0 जी0-01-01/2022-137/लेज, दिनांक-13.01.2022 द्वारा बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 निर्गत किया है, जिसे कल सदन ने पारित भी किया है ।

2. उत्तर आंशिक अस्वीकारात्मक है । राज्य में वर्तमान में 18 नगर निगम, 83 नगर परिषद् एवं 157 नगर पंचायत अर्थात 258 नगर निकाय क्षेत्र गठित हैं । इनमें कई नगर निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है । विगत वर्षों में कई नये नगर निकाय गठित किए गए हैं एवं कई पुराने नगर निकायों को उत्क्रमित एवं क्षेत्र विस्तारित किया गया है । बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-12 (8) के प्रावधानों के आलोक में उत्क्रमित एवं क्षेत्र विस्तारित नगर निकायों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि के छः माह बाद समाप्त हो गया है । जिन नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनमें अधिनियम की धारा-12 (9) के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में नगर निकायों का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में चुनाव किये जाने का प्रावधान

है । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर लेने के उपरांत यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : वीडियो नहीं बनाइये, यह गलत चीज है, डिलीट कीजिए । माननीय सदस्य, समीर कुमार जी वीडियो डिलीट कीजिए । माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल जी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे....

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य नहीं जा पायेंगे, क्योंकि ये बहुत भारी हैं ।

अध्यक्ष : सदन सबसे भारी है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया राज्य के जिन नगर निकायों में समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिन जगहों पर उत्क्रमण हुआ है या नवगठित हुआ है । उन जगहों पर चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में चुनाव किये जाने का प्रावधान है । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर लेने के उपरांत यथाशीघ्र निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा । महोदय, इस संबंध में जल्द-से-जल्द चुनाव कराने के लिए हम सब भी चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द-से-जल्द चुनाव संपन्न होगा ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि यह एक चिट्ठी निर्वाचन विभाग द्वारा लिखी गयी है 1256, विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसमें इन्होंने प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को चिट्ठी लिखी है कि समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है । इसके लिए आवश्यक जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए । अध्यक्ष महोदय, यह निर्वाचन विभाग का पत्र है । इस राज्य में क्या है कि जिन जगहों पर प्रशासक बहाल हो गये हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वह रुक गये हैं और प्रशासक काम कर रहे हैं । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के अध्यक्षों को एक्सटेंशन दिया गया, परामर्शी समिति बनाई गयी । क्या राज्य में चुनाव विलंब होने पर ऐसा करने का नगर निकायों में कोई विचार है या नहीं है ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का सरकार के पास कोई विषय विचाराधीन नहीं है । लेकिन सदन को इतना आश्वस्त करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को देखती है तो हमलोगों की भी इच्छा है कि जल्द-से-जल्द

निर्वाचन संपन्न हो जाय, जिससे पूरे राज्य में जो स्वायत्त संस्था है वह अपने पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में काम करे, क्योंकि हम सबों को खुद कठिनाई होती है । इसलिए हमारा प्रयास है और सदन को हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी तकनीकी कुछ रुकावट है उसको रेगुलेट करके जल्द-से-जल्द चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग करेगा इसके लिए हम सब तत्पर हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पिछड़ों के आरक्षण के संबंध में जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश हुआ है उस आलोक में पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है, नगर निकाय के चुनाव के आलोक में । इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश हुआ है उस आलोक में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सदन में स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है । क्या उस आलोक में समय पर चुनाव हो जायेगा, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव के बारे में नगर विकास एवं आवास विभाग को ही निर्णय लेना है ।

टर्न-2/यानपति/31.03.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 जनवरी, 2022 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षण के पूर्व ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया गया है जो विस्तार से उनका ये आदेश है तो उस आलोक में हम सब विधि विभाग एवं जो अपने विद्वान महाधिवक्ता हैं उनसे परामर्श ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही परामर्श भी मिल जाएगा और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष: श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 136 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र सं0-207, चेनारी)</u>

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक ।

2- अस्वीकारात्मक । विभिन्न जिलों को उनके पूर्व वर्षों के आच्छादन, पूर्व वर्षों की उपलब्धि एवं आगामी वर्षों के आच्छादन के लक्ष्य योजना हेतु उपलब्ध राशि तथा क्षेत्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए मौसम की अनुकूलता/जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता आदि को ध्यान में रखते हुए जिलों को बीज वितरण कार्यक्रम के तहत उच्च गुणवत्ता का बीज मुहैया कराया जाता है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग से हमारा स्पष्ट सवाल था कि आच्छादन और उत्पादन के अनुरूप बीज मुहैया करायी जाएगी कि नहीं लेकिन जवाब गोल-मटोल दिया

गया है महोदय । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से कि क्या उत्पादन और आच्छादन का जो क्षेत्र है उसके अनुरूप बीज मुहैया करायेंगे जिलों को ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट दिया गया है और जितना बीज और जिन योजनाओं में बीज की आपूर्ति हम करते हैं, उत्पादन करते हुए और उत्पादन करने के बाद भी जो बीज आपूर्तिकर्ता पैनल में हैं तो उनके द्वारा भी हम बीज आपूर्ति करवाते हैं । कुल मिलाकर के और हमलोगों ने आवश्यकता के अनुरूप बीज वितरण करने का प्रयास हमलोगों ने किया है और योजनावार आपका निर्देश हो तो हम बता सकते हैं, किन योजनाओं में कितना बीज हमलोगों ने आवश्यकता के अनुसार दिया है और वैसे कोई स्पेसिफिक शिकायत भी नहीं है ।

अध्यक्ष: आप उनको उपलब्ध करवा दीजिएगा ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाता है, धान और गेहूं, मटर, चना का जो उत्पादन होता है, बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा रोहतास जिला में ज्यादा होता है, वहां आच्छादन क्षेत्र भी ज्यादा है महोदय, अब मैं रोहतास जिला का आंकड़ा आपको बताता हूं गेहूं उत्पादन का यह जो लक्ष्य है 5730 क्विंटल बीज वितरण का...

अध्यक्ष: पूरक क्या है, पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: आंकड़ा देख लें महोदय तो पता चलेगा कि पूरक क्या होगा ? अभी बिना आंकड़ा के पूरक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा । मेरा आच्छादन क्षेत्र है 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर, अदर जिले का है 6000, 68000, 75000 हेक्टेयर लेकिन वहां जो बीज का आवंटित लक्ष्य है, हमारे अनुकूल 4 गुना, 5 गुना है । हमारे यहां 5730 क्विंटल बीज वितरण किया जाता है, अन्य जिलों में 18 हजार क्विंटल, 20 हजार क्विंटल जबकि आच्छादन क्षेत्र 68000, 75000 है इनके दुगुना मेरा आच्छादन क्षेत्र है तो मेरे यहां बीज क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती है ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, 2021-22 में जो आपका कहना है, माननीय सदस्य का महोदय तो रोहतास जिला में गेहूं के बारे में आपने कहा है तो गेहूं का 250 क्विंटल के विरुद्ध 252.4 क्विंटल की आपूर्ति हमलोगों ने की है । महोदय, कम नहीं की है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ही की है, मैंने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो आप बताएं हमको । यह हमारा आंकड़ा है, पता नहीं आपने कहां से लिया है यह हमको नहीं पता है । हम इसको उपलब्ध करा देते हैं, सदन के पटल पर रख देते हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: आपका आंकड़ा ही मेरे पास है महोदय ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: नहीं, हमारा आंकड़ा नहीं होगा । हमारा आंकड़ा है, हम रख देते हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: बिहार सरकार का ही आंकड़ा है, कहें तो लेटर नंबर मैं आपको दे दूं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: अब मैं आंकड़ा दे रहा हूं और सदन पटल पर रख दे रहा हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, आच्छादन क्षेत्र मेरा...

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: लेटर नंबर क्या...

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: मैंने स्पष्ट कहा कि मेरा आच्छादन क्षेत्र है 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर, अन्य जिला में, मधुबनी की बात मैं ले लूं 75 हजार हेक्टेयर है यानी इसका दुगुना आच्छादन क्षेत्र मेरा है, बीज वितरण का लक्ष्य जो मेरे यहां है 5730 क्विंटल, मधुबनी में 20550 क्विंटल, आच्छादन क्षेत्र मेरे यहां ज्यादा है और बीज दूसरे क्षेत्र में जाता है तो हम जानना चाहते हैं कि आच्छादित क्षेत्र के अनुरूप जिलों को बीज मुहैया करायी जाएगी ।

अध्यक्ष: यह लास्ट, आपका तीसरा पूरक हो गया । माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, मैंने कह दिया है कि सारा मैं रख दे रहा हूं, टोटल, जितनी हमारी योजनाएं हैं बीज वितरण की उन तमाम और तमाम जिलों का, इन्होंने किसी खास जिला का तो मांगा नहीं है लेकिन है मेरे पास और मैं सब जिलों का, पूरे राज्य के सभी जिलों का मैं रख देता हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब हो गया आपका तीन पूरक हो गया ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं और पूरक नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आच्छादन उत्पादन का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप बीज मुहैया कराएंगे जिलों को ।

अध्यक्ष: मंत्री जी ने तो बता ही दिया, आंकड़ा ही रख रहे हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: महोदय, आंकड़ा तो मैं भी दे रहा हूं कि आच्छादन और उत्पादन के अनुरूप बीज नहीं मुहैया करायी जाती है ।

अध्यक्ष: हो गया, बैठ जाइये ।

श्री चंद्रशेखर: महोदय, प्रश्नकर्ता ने सीधे सवाल किया है कि आच्छादन और उत्पादन के अनुरूप बीज मुहैया कराएगी सरकार या नहीं यह इसपर क्लियर होना चाहिए...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री चंद्रशेखर: कि आच्छादन और उत्पादन के हिसाब से हम करेंगे कि नहीं, बस ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, आच्छादन और आवश्यकता उसके अनुरूप ही हम बीज की आपूर्ति करते हैं और बीज की आपूर्ति में कहीं कोई शिकायत नहीं है और बिल्कुल सही समय से हमलोग कर पा रहे हैं और यही नहीं हमने होम डिलीवरी भी किया है और होम डिलीवरी भी हमलोगों ने किसानों को 1 लाख 89 हजार 665 किसानों को हमलोगों

ने घर में बीज पहुंचाया है जितना उन्होंने मांगा है उतना बीज पहुंचाया है । महोदय, 47723 क्विंटल और 37 किलो बीज हमलोगों ने पहुंचाया है इसी में ।

अध्यक्ष: श्री अजीत शर्मा ।

(व्यवधान)

अब लास्ट, समय कम है ।

(व्यवधान)

अब देख रहे हैं समय कम है । श्री अजीत शर्मा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-137 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है । सर, उत्तर ऑनलाइन नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत एन0एम0सी0जी0 द्वारा गंगा नदी के किनारे बसे 19 शहरों यथा पटना, मनेर, दानापुर, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, बक्सर, मुंगेर, बड़हिया, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर एवं बेगूसराय हेतु सीवरेज, एस0टी0पी0 एवं I&D परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । इन परियोजनाओं हेतु संवेदकों के साथ वर्ष- 2017-18 एवं 2019 में एकरारनामा किया गया है । परियोजनाओं की समाप्ति की अवधि 18 माह से लेकर 36 माह तक की थी । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक कारणों से विलम्ब हुआ है जो निम्नवत है- RCD, Railway, IOCL, ULBs, Electricity Department से ससमय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना । मानसून के समय में सीवरेज नेटवर्क का कार्य स्थगित रहना । कार्य हेतु भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय प्राप्त नहीं होना । कई परियोजनाओं में दो बार एन0एम0सी0जी0 के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्राप्त हुई है । परियोजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में कई मदों में विचलन हुआ है तथा आवश्यकता के अनुसार नये आइटम्स का कार्य भी करना पड़ा है, जिसके कारण प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया है । पटना शहर में 11 परियोजनाएं हैं जिसमें से 4 परियोजनाएं करमलीचक सीवरेज नेटवर्क, सैदपुर एस0टी0पी0 एण्ड एडज्वाईनिंग नेटवर्क, पहाड़ी सीवरेज नेटवर्क जोन-IV, बेउर एस0टी0पी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 5 परियोजनाओं करमलीचक सीवरेज नेटवर्क, सैदपुर सीवरेज नेटवर्क, पहाड़ी एस0टी0पी0, पहाड़ी सीवरेज नेटवर्क जोन-V, बेउर सीवरेज नेटवर्क का कार्य अंतिम चरण में है जो मानसून पूर्व पूर्ण होने की संभावना है । 2 परियोजना दीघा एवं कंकड़बाग एस0टी0पी0 एण्ड सीवरेज नेटवर्क वर्ष-2023 तक पूर्ण होने की संभावना है । 18 शहरों में से 5 शहर बाढ़, मोकामा, सुल्तानगंज,

नवगछिया, सोनपुर का कार्य अंतिम चरण में है । शेष 13 शहरों का कार्य वर्ष- 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

2- उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी शहरों में बुडको को काम दिया गया है जो मैंने सवाल किया है । पूरा शहर नरक बना हुआ है । एक तो जो पाइप बिछाता है उसको सड़क जो खोदता है उसका जो काम करता है वह बिल्कुल गुणवत्ता के खिलाफ है । दो महीने में फिर से टूट जाता है जोकि मैंने पहले भी कहा था माननीय मंत्री जी को पता होगा इसलिए मैं मांग करता हूं, जो केंद्र का पैसा है और जो यहां बंदरबांट हो रहा है क्या मंत्री जी इसको, चूंकि केंद्र का पैसा है, सी0बी0आई0 से जांच कराने का रखते हैं कि वह जांच कराकर देखे कि क्या हो रहा है । पहला पूरक है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

टर्न-3/अंजली/31.03.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, विलंब हुआ है और उसके लिए हम सबों ने लगातार समीक्षा बैठक करके और जल्द से जल्द यह योजनाएं, परियोजनाएं पूर्ण हो इसके लिए हम सब का प्रयास है और ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कि इस स्तर पर जांच करानी पड़े । विलंब हुआ है और उसके लिए हम सब लगातार अनुश्रवण भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और तेज गति से काम हो यह सुनिश्चित करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम अगर 4 वर्षों से पूरा नहीं हुआ है तो मैं मांग करता हूं कि पूरे मामले को कि जांच विधान सभा को विशेष समिति बनाकर इसकी जांच कराने का विचार रखती है ।

अध्यक्ष : जब माननीय मंत्री जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं तो उस बात को समझना चाहिए, मंत्रीजी गंभीरता से लिए हैं ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भागलपुर शहर से आता हूं और वहां बंदरबांट हो रहा है, मैं आंखों से देख रहा हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम 10 अप्रील के बाद भागलपुर स्वयं जाकर इसकी पूरी समीक्षा करेंगे और माननीय सदस्य भी उसमें उपस्थित रहें ।

अध्यक्ष : आपके प्रभारी मंत्री भी हैं और स्वयं जाएंगे, आप भी इनके साथ रहेंगे । बैठिए ।

श्री अजीत शर्मा : ठीक है तो मैं अलग से...

(व्यवधान)

सर, हमको बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष : अभी इनका पूरक पूरा होने दीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, सरकार ने सी0बी0आई0 की जांच तो नहीं मानी है कोई बात नहीं, मैं अलग से प्रश्नोत्तर को संलग्न करते हुए सी0बी0आई0 को भी और माननीय मंत्री जी को भी लिखकर दूंगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे सोनपुर में जो एस0टी0पी0 का काम हो रहा है उसमें पूरे सड़कों को काटकर के और एक तरफ से बन रहा है और दूसरी तरफ से टूट रहा है, मैं सोनपुर की भी जांच कराने की माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : ठीक है इसको हम दिखवा लेंगे ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सभी शहरों का है । पूरे बिहार के सभी शहरों में यही हो रहा है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बक्सर का भी नाम लिया । बक्सर के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विगत 7 वर्षों से यह निर्माण अधूरा पड़ा है ।

अध्यक्ष : तो मंत्री जी तो अपने ही संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं । हां, मंडल जी बोलिए ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, हम सुल्तानगंज के लिए कहना चाहते हैं कि बोलबम के लिए, जिस रास्ते से बोलबम यात्री आता जाता है, उस रास्ते को ही कोड़कर के बर्बाद कर दिया है और आदमी चलता है तो ठोकर लगता है, गिर पड़ेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री हैं न आपके ।

श्री ललित नारायण मंडल : जी महोदय ।

अध्यक्ष : ये स्वयं जाएंगे और देखेंगे और आप मिल भी लीजिए ।

श्री ललित नारायण मंडल : ठीक है महोदय ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे ।

(व्यवधान)

हो गया, आ गया ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : आप बोलते हैं वैसे ही हम संज्ञान में सीधे ले लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शमीम अहमद ।

(व्यवधान)

हां, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव प्राधिकृत हैं । बोलिए ।

(व्यवधान)

क्या ?

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तारांकित प्रश्न था, ट्रांसफर होकर आया था आज के क्वेश्चन में ।

अध्यक्ष : अभी इनका प्रश्न है, बैठ जाइए । माननीय सदस्य, श्री बिजय सिंह, यह स्थानांतरित हो गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-'अ'-3334 (श्री बिजय सिंह, क्षेत्र संख्या-68, बरारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, क्रमांक-1 स्वीकारात्मक है । 15वें वित्त आयोग की कुल राशि 1 करोड़ 92 हजार 270 रुपए मात्र एवं षष्ठम वित्त आयोग की कुल राशि 75 लाख 99 हजार 518 रुपए मात्र राशि आवंटित की गई है । यदि उक्त स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण का प्रस्ताव नगर पंचायत कुर्सेला बाजार द्वारा पारित किया जाता है तो बस स्टैंड निर्माण के लिए स्थल प्राप्त होने के उपरांत नगर पंचायत कुर्सेला बाजार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर उक्त कार्य कराया जा सकेगा । महोदय, इस क्रम में मैंने जिला पदाधिकारी कटिहार को बस स्टैंड के निर्माण के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने का उसे निर्देश दिया है और मैं माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा कि जमीन की उपलब्धता में उनका भी सहयोग मिलेगा तो बस स्टैंड का निर्माण करने में शीघ्रता आ जाएगी ।

श्री बिजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम कहना चाहेंगे चूंकि कुर्सेला बाजार एन0एच0 के बगल में ही बिहार सरकार की 2 एकड़ जमीन अवेलेबल है और उसका खाता-6824 है, खेसरा-2140 है, रकवा-2 एकड़ है और मौजा मुरादपुर है थाना-291 है । माननीय मंत्री से हम यह कहना चाहेंगे चूंकि नगर पंचायत कुर्सेला नया बना है । इसे लोकहित और जनहित में इसी वित्तीय वर्ष में यदि वहां बोर्ड की स्थापना हो जाती है तो क्या उतना फंड अवेलेबल कराएगी ताकि बस पड़ाव का निर्माण हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये प्रस्तावित जमीन का विवरण जिला पदाधिकारी को और मुझे व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा देंगे और फिर उसके निर्माण की प्रक्रिया को तीव्रतर करने में मुझे सुलभ होगा ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम अपने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं चूंकि कटिहार से हैं ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

श्री बिजय सिंह : हमको लगता है आप जनहित में काम करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री शमीम अहमद । प्राधिकृत हैं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3797 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र संख्या-12, नरकटिया)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक ।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मडुआ, सांवा तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उपलब्धता के आलोक में अनुदानित दर पर ससमय उपलब्ध कराया जाता है ।

किसानों के बीच बीज वितरण की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ-साथ रेडियो जिंगल एवं डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधित सभी किसानों को एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक कृषि मौसम के पूर्व बीज वितरण की सूचना दी जाती है । इसके अलावा किसानों की मांग पर बीजों की होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने लगभग आधा दर्जन बीज के बारे में उत्तर में जवाब दिया है कि हम उपलब्ध करा रहे हैं अनुदानित दर पर और समय पर लेकिन महोदय, हमारा पूरक है कि जैसा कि अभी अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे यह कृषि प्रधान राज्य है और जो संख्या बता रहे थे बिहार में किसानों की वह बहुत कम है । महोदय, चूंकि लगभग 12 करोड़ की आबादी के प्रदेश में डेढ़ लाख के करीब किसानों का आंकड़ा बता रहे थे तो हमको यही जानना है कि क्या बिहार में इतने ही किसान लोग हैं और जो हमारा उसमें क्वेश्चन है कि पदाधिकारी की लापरवाही के चलते किसानों के यहां बीज समय पर नहीं पहुंच पाता है तो क्या माननीय मंत्री महोदय वैसे अधिकारियों को चिन्हि्त करके कार्रवाई करना चाहेंगे कि बिहार में जितने भी किसान हैं वहा तक बीज पहुंच सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, हमने जो बताया है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने अभी किया है तो वह मैंने होम डिलीवरी का किया है, होम डिलीवरी का अलग से किया है, वह टोटल नहीं है उससे बहुत अधिक बीज हमलोग और उसकी आपूर्ति करते हैं और पिछले उस प्रश्न का आपने हवाला दिया है । आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न में आपने यही किया है कि किसानों के बीच, किसानों को सही समय पर बीज उपलब्ध नहीं होता है । हमारा कहना है, सरकार का कहना है कि...

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अनुदानित दर पर महोदय ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : हां अनुदानित दर पर ही देते हैं । अनुदानित दर पर जो बीज हम मुहैया कराते हैं आवश्यकता के अनुसार उतना करीब-करीब हम बीज उपलब्ध करा देते हैं, थोड़ी बहुत उसमें कमी होती है लेकिन वो हम मैक्सिमम कर देते हैं उसमें और मैं

बताऊं आपको, उसका विज्ञापन कराकर के, बराबर उसका विज्ञापन करा कर के अब तो हमारा ऐप हो गया है बिहान ऐप भी हुआ है, उस ऐप के माध्यम से भी हम सूचना देते हैं और सही समय पर बीज किसान लें और हम बीज देने को तैयार हैं और समय से पहले हम बीज लेकर के पहुंच जाते हैं और उनको बीज हम आपूर्ति कराते हैं । पिछले वर्ष 2021-22 में और खरीफ में और रबी में दोनों में ही हमलोगों ने ससमय बीज किया है और अभी भी बीज लेकर के और सामने आ गए हैं जो आवश्यकता है जितने बीजों की, मिलेट का भी बीज हमलोग लेकर आए हैं और उसको भी हमलोग आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं और किसानों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आ रहा है, हमलोग भी किसान हैं, किसान से सीधा ताल्लुकात है, अपना खेतीबाड़ी है । बीज उपलब्ध कराने की क्या स्थिति है पूरे बिहार के विधायक आपको बताते होंगे, सर, आप भी हैं कहीं के विधायक आपको भी पता होगा । ससमय बीज उपलब्ध कराने हेतु विज्ञापन का सवाल कहे हैं, ऐप के माध्यम से, बहुत सारे किसान ऐप नहीं देखते हैं या अपकमिंग टू ऑल होगा, विज्ञापन अच्छी तरह अखबार में हो और प्रचार हो, यह प्रचार करना चाहती है सरकार ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, सारा विज्ञापन इतने बड़े-बड़े विज्ञापनों के साथ हमने किया है, कई बार किया है, विज्ञापन की प्रति भी हम रख देंगे । विज्ञापन की प्रति भी हम उपलब्ध करा दे रहे हैं महोदय ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जितने लोग मांगे उससे ज्यादा को हमने दिया और होम डिलीवरी कराया, तो माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि कितने किसानों ने मांग की और कितनों की इन्होंने आपूर्ति की ।

अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ले आइएगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, ये प्रभात कमल में निकलवाते हैं क्या । प्रभात कमल एक...

अध्यक्ष : आप बता दीजिए कि कौन सा पेपर आप लेते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : सारे अखबार लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव । प्राधिकृत हैं माननीय सदस्य, श्री भीम कुमार सिंह ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/31-03-22

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3798 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27 बाजपट्टी)</u>

डॉ0 रामप्रीत पासवान,मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बाचोपट्टी नरहा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना वर्ष 2015 में स्वीकृत प्रदान की गई थी । जिसकी प्राक्कलित राशि 189.59 लाख रुपए थी । योजना अंतर्गत 60.000 लीटर क्षमता का पानी टंकी का निर्माण तथा पाईप लाईन एवं स्टैंड पोस्ट का कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण करा लिया गया । वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक बाबू नरहा ग्राम में स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति किया गया । वर्तमार में ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत विस्तारीकरण कर बाबू नरहा ग्राम के 5 वार्डों (6, 9, 10, 11 एवं 12) में 833 घरों के विरुद्ध 833 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर सभी घरो में पानी टंकी के माध्यम से जलापूर्ति किया जा रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह प्राधिकृत हैं ।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कहना है कि हमारा प्रश्न तीन खंड में किया गया था जो प्रश्न गलत प्रिंट किया गया । प्रश्न के दो खंड विलुप्त कर दिये गये । हमने जो प्रश्न किये हैं, प्रश्न शाखा में जो कॉपी प्राप्त हुई है, वह यह है महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि 2015 में योजना की स्वीकृति दी गयी जबकि उक्त योजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना से बटन दबाकर 15 फरवरी, 2015 को ही किया गया । इस संबंध में 20 फरवरी, 2022 को हिन्दुस्तान समाचार में खबर भी छपा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री भीम कुमार सिंह: इसमें दिया गया है कि यह योजना 2015 में स्वीकृत हुई और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका बटन दबाकर उद्घाटन किया पटना में और यह योजना के बारे में मंत्री जी जवाब दिया है 2022 में बनकर तैयार हुआ है । यह गलत उत्तर दिया गया है महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । इनका प्रश्न है कि बाजपट्टी के बाचोपट्टी नरहा पंचायत के बाबुनरहा ग्राम में 2015 में 2 करोड़ रू0 की लागत से 65 हजार लीटर क्षमता का निर्मित पानी टंकी से स्थापना काल से ही आपूर्त्ति बंद है तो क्या सरकार उसे चलाना चाहती है ? उत्तर में मैंने इनको दिया है कि पानी टंकी चालू है आज भी जो 60 हजार लीटर का है और उसमें ये कहीं चर्चा नहीं किये हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटित है । उस समय में जो योजना थी 2015 में, 189.59 लाख रू0 की लागत से बना 60 हजार लीटर का, 2017 से 2019 तक बाबुनरहा ग्राम में स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल दे रहे हैं । अभी भी वर्त्तमान में वह पानी टंकी चालू है और वार्ड नं0-6, 9, 10, 11 और 12 के 833 घर में हम पानी मुहैय्या कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3799(डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : अंशतः स्वीकारात्मक । समाहर्ता, पटना के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि थाना नंबर 140, मैनपुरा दियारा एवं थाना नंबर 141, दीघा दियारा के नाम से जाना जाता है, जो असर्वेक्षित सरकारी भूमि है । उक्त भूमि का खाता, खेसरा एवं खतियान नहीं बना है, जिसके कारण निबंधित वसीका इत्यादि के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में कठिनाई है ।

परन्तु उक्त क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी मोड़ के समीप अवस्थित होटल, दुकान इत्यादि के रूप में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने हेतु अतिक्रमणवाद संख्या-13/2012-13 संधारित कर कार्रवाई किया गया एवं दिनांक-21 दिसंबर, 2013 को अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा बाउंड्रीवाल के रूप में अतिक्रमण को तोड़ दिया गया । उक्त अतिक्रमण की कार्रवाई के विरुद्ध श्री अमरनाथ पाण्डेय, पिता-स्व0 रघुनाथ पाण्डेय, सा0-पाण्डेय प्लाजा, गांधी मैदान, पटना के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO. 906/2014, अमरनाथ पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया । उक्त CWJC NO. 906/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14 दिसंबर, 2015 को आदेश पारित कर अतिक्रमणवाद संख्या-13/2012-13 में निर्गत नोटिस एवं पारित आदेश सहित Entire Proceeding को निरस्त कर दिया गया । पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश नीचे अंकित किया जा रहा है- In result, the entire proceedings arising out of Encroachment Case No. 13 of 2012-13 including the notices issued and the orders passed there under are set aside. The writ petition is allowed. The interlocutory applications stands disposed of.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार की ओर से L.P.A NO. 1326/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम अमरनाथ पाण्डेय एवं अन्य दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO. 906/2014 में दिनांक-14 दिसम्बर, 2015 को पारित आदेश को Stay किया गया है । पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश नीचे अंकित किया जा रहा है -

in view of the same, the impugned order, dated 14 December, 2015 shall remain stayed, till further order.

इस प्रकार CWJC NO. 906/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14 दिसम्बर, 2015 को आदेश पारित कर अतिक्रमणवाद संख्या-13/2012-13 में निर्गत नोटिस एवं पारित आदेश सहित Entire Proceeding को निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार की ओर से दायर L.P.A NO. 1326/2016, माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछ लीजिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि एक साथी और सवाल उठाये थे कि हमलोग जो सवाल करते हैं उस सवाल को छोटा कर के यहां प्रिंट होकर आता है , आपको इस पर गौर फरमाना है । दूसरी बात यह है कि हमारा पूरक है इसमें माननीय मंत्री जी ने लम्बा चौड़ा जवाब तो दिया है और अपने जवाब में स्वीकार किया है कि साहब हां जमीन पर अवैध कब्जा है लेकिन हमारा कहना है, ये कहते हैं जमीन टोपो लैंड हैं । मैं खेसरा, खतियान लेकर आया हूँ । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का जमीन है । यह जमीन दीघा का, पहलेजा का, बड़का पहलेजा, पुरवारी पहलेजा, पहलेजा घाट का, बल्लीटोला के लोगों का जमीन है अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी ने इसको टोपो लैंड कर दिया है जबकि इसका खतियान, खेसरा लेकर भी आया हूँ, दीपा महतो वल्द सिया महतो, बद्री राउत वल्द कालीचरण राउत इत्यादि की यह जमीन है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि यह टोपो लैंड है जबकि खाता, खेसरा, रसीद सब है और ये दूसरा मेरा यह है, इस पर पहले माननीय मंत्री जी का क्या कहना है, इसको टोप्पो लैंड कह रहे हैं जबकि इसका खाता, खेसरा, खतियान है और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों का नाम है । इस पर माननीय मंत्री का जवाब चाहूंगा तब अगला पूरक मैं पूछूंगा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न जो है बिल्कुल जायज है और ये जो केबाला के बारे में बतला रहे हैं, कब का केबाला है आपका, पहले बतला दीजिये ?

अध्यक्ष: उनसे प्रश्न कर के आप उनको उलझा दिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: यह हम दे रहे हैं, डीड की कॉपी लेकर आये हैं ।

श्री रामसूरत कुमार,मंत्री: डेट बतलाईए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: डेट बतला रहा हूँ, कैथी में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, कैथी में लिखा हुआ है, मैं पढ़कर बतलाऊंगा । यह हमारे क्वेश्चन में ही है, इसको देखने की जरूरत है कि साहब ये हमारा जमीन 1953, 1956 में यह जमीन लिखवायी गयी है और..

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी ।

श्री रामसूरत कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह असर्वेक्षित लैंड है अगर माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे पास खतियान, केबाला सारा पेपर है, अगर उपलब्ध करवाते हैं तो उस कार्रवाई होगी । स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैनपुरा, दीघा में काफी जमीन लोगों ने अतिक्रमण किया है बात सही है और उस पर कार्रवाई के लिए केस भी हुआ है । उसका बाउंड्री भी तोड़ा गया था, आगे भी कार्रवाई होगी लेकिन वहां मॉल, मार्केट, होटल जो बना हुआ है उसमें एक व्यक्ति जो मुजफ्फरपुर के अमर पांडे है पिता रघुनाथ पांडे उन्होंने लगभग काफी रकबा बड़ा जमीन है उस पर अपना शो रूम खोला है, इस पर भी कार्रवाई करके,

उसके दाखिल खारीज म्यूटेशन को डी0सी0एल0आर0 के यहां से कैंसिल कर दिया गया है । हाईकोर्ट से फरदर उस पर स्टे है इसके खिलाफ भी सरकार जाकर के वहां मैनपुरा में जो भी है, इसके अलावे भी 27 एकड़ जमीन जो गौशाला पिजरा का जमीन है, जिस पर मकान बना हुआ है, विधान-परिषद में प्रश्न आया था, वह भी जमीन हम चिन्हित कर लिये हैं सारे जगहों को खाली करवाया जायेगा, निश्चित रहें आप ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, ये जो सरकार अपने जवाब में कहती है एक जगह कि तोड़ा गया है बाउंड्री, कहीं नहीं बाउंड्री तोड़ी गयी है । मैं माननीय मंत्री जी के जवाब का चैलेंज करता हूँ, इनको पदाधिकारियों ने गलत उत्तर बनाकर भेजा है । कहीं बाउंड्री नहीं तोड़ी गयी है चूंकि हमारे क्षेत्र का मामला है, रोज उसको देखता हूँ उस पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ । दूसरा मेरा पूरक है इसमें कि ये जो सरकार कह रही है कि हमने एल0पी0ए0 दायर किया है इसमें है सरकार के जवाब में, तो सरकार एल0पी0ए0 दायर करके अपनी जिम्मेवारी से मुकर क्यों रही है, क्यों न मेंसन कर के, केस को ऊपर लाकर के, केस को खुलवाकर के जायज व्यक्तियों को दखलदहानी दिलवाती है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करती है । ये हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री रामसूरत कुमार, मंत्री: ये 2013 की बात हम कह रहे हैं, जब बाऊंड्री तोड़ा गया था । पुन: उसको जोड़ लिया गया, बना लिया गया है, वहां शो रूम खुल गया है । निश्चिंत रहिये, आपको भी बतला दूं कि हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का काम यह नहीं है कि केस को ऊपर लाना है, नंबर मिलेगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो केस दायर है, उस पर बात किये हैं उसकी समीक्षा किये हैं । हम अपने वकील को बोल रहे हैं कि जल्द से इस पर कार्रवाई की प्रक्रिया किया जायेगा । वहां एक ही प्लॉट नहीं है, बहुत सारे प्लॉट हैं जिसका संज्ञान मेरे सामने आ गया है, प्रूफ आ गया है । वहां पर 27 एकड़ और जमीन है जहां पर 29 लोग कब्जा किये हुए हैं, वैसे सभी लोगों का तोड़ा जायेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र: बुलडोजर कब चलेगा ?

श्री रामसूरत कुमार,मंत्री: बुलडोजर चलेगा अप्रैल, मई, जून ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: सरकार इसको अति आवश्यक समझती है मेंसन का प्रोविजन है सरकार मेंसन में जाकर के....

अध्यक्ष: चलिये, आपका तीन पूरक पूरा हो गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3800 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : स्वीकारात्मक । नगर निगम क्षेत्राधीन गिलेशन बाजार स्थित सब्जी बाजार में शेड एवं प्लेटफार्म का निर्माण तथा वेडिंग जोन का निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन मानचित्र एवं तकनीकी प्रतिवेदन सहित राशि के आवंटन हेतु नगर निगम, मधुबनी के पत्रांक 810, दिनांक 4 जुलाई, 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था । प्राप्त प्राक्कलन में त्रुटि के निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक 2695, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 एवं पत्रांक 2990, दिनांक 19 नवंबर, 2019 से निदेश दिया गया था । प्रतिवेदन आदिनांक अप्राप्त है । नगर निगम, मधुबनी के पत्रांक 141, दिनांक 22 फरवरी, 2020 से वेडिंग जोन के निर्माण के लिये संशोधित प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा पत्रांक 67, दिनांक 22 फरवरी, 2020 से अधीक्षण अभियंता, बुडको को प्रेषित किया गया है तथा इसकी सूचना विभाग को दी गयी है । इसी क्रम में विभागीय पत्रांक 1155, दिनांक 11 मार्च, 2022 द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध किया गया है कि अपने स्तर से अधीक्षण अभियंता, बुडको को उक्त प्राक्कलन पर अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर नगर निगम, मधुबनी को उपलब्ध कराये । तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त वेडिंग जोन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की जायेगी ।

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ, पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता के यहां प्राक्कलन 22-02-20 से लंबित है तो मेरा प्रश्न है तकनीकी स्वीकृति या अस्वीकृति कितने दिनों के अन्दर दे दिये जाने का प्रावधान है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं भी अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अन्दर वे तकनीकी स्वीकृति दें जिससे कि वेडिंग जोन का निर्माण है जो प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है उसमें गति मिल सके और हम आश्वस्त भी करते हैं कि वेडिंग जोन का निर्माण कार्य, ये तो तकनीकी प्रक्रिया है वह पूरी कर के जल्द से जल्द शुरू करवायेंगे ।

टर्न-5/मधुप/31.03.2022

तारांकित प्रश्न संख्या-3801 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव, क्षेत्र सं0 70, आलमनगर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर पंचायत, आलमनगर को षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रमशः रू0 299.12635 लाख (दो करोड़ निनावे लाख बारह हजार छः सौ पैंतीस रूपये) मात्र एवं रू0 189.29526 लाख (एक करोड़ नवासी लाख उनतीस हजार पांच सौ छब्बीस रूपये) मात्र प्राप्त हुआ है । इस आवंटित राशि से सड़क निर्माण भी कराया जा सकता है ।

यदि वर्णित सड़क के निर्माण की योजना नगर पंचायत, आलमनगर के बोर्ड द्वारा पारित की जाती है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, आलमनगर द्वारा किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी सी0एम0 साहब ने अपने जवाब में कहा है कि 2020-21 में नगर पंचायत आलमनगर को षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः 299.12 और 189.29 लाख आवंटित किया गया है । महोदय, आलमनगर नगर पंचायत का चुनाव हो नहीं पाया है ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर प्रश्नाधीन बाइपास को बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो राशि आवंटित की गई है उसके लिए मुख्य पार्षद के रूप में अपने अधिकारी को प्रभार दिया गया है जो प्रशासक के रूप में वहाँ हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में वहाँ अतिरिक्त प्रभार में हैं और उनको मैंने कहा भी है कि यह बाइपास को एक बार दिखवा कर प्रतिवेदन दें जिससे कि उपलब्ध राशि से इसे जल्द से जल्द निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 3802 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0 214, अरवल)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 3803 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0 146, बेगूसराय)</u>

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, सुबह 10:10 तक जवाब नहीं आया था ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग । उत्तर पढ़ें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, यह ट्रांसफर हो गया है ।

अध्यक्ष : कहाँ ट्रांसफर हुआ है ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : जल संसाधन विभाग को ।

अध्यक्ष : जल संसाधन में ।

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, कबतक उसका उत्तर मिल जायेगा ? ट्रांसफर हो गया है । अध्यक्ष महोदय, आज अंतिम दिन है ।

अध्यक्ष : मिल जायेगा । भेज देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3804 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0 116, तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अस्वीकारात्मक । तरैया प्रखंड में कुल 18665, पानापुर प्रखंड में कुल 20154 तथा इसुआपुर प्रखंड में कुल 19673 राशन कार्ड निर्गत है । पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है । इसके अतिरिक्त पानापुर प्रखंड में 1192, इसुआपुर प्रखंड में 198 और तरैया प्रखंड में 172 आवेदनों की जॉच कर राशन कार्ड निर्गमन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

सरकार द्वारा वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका एवं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से सर्वेक्षण कराते हुए पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है । पात्र लाभुकों को राशन कार्ड बनाने हेतु ऑफलाईन मोड में आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर आवेदन देने के साथ-साथ विभागीय स्तर से ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है । साथ-ही, आम लोगों के बीच इसका निरंतर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ।

श्री जनक सिंह : महोदय, हमारे तरैया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन जो प्रखंड हैं - तरैया, इसुआपुर और पानापुर, उसमें जैसा कि माननीया मंत्री जी ने कहा है कि तरैया में 18665, पानापुर में कुल 20154 और इसुआपुर में 19673 राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है । शेष उन्होंने कहा है कि पानापुर में 1192, इसुआपुर में 198 और तरैया में 172 यानी कुल 1562 अभी सब कुछ प्रक्रिया करके रखा हुआ है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उस क्षेत्र में ये लोग वंचित हैं जबकि मार्च, 2020 में माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरूआत की । ये जो लाभुक हैं जिनको मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया । महोदय, इसके अलावा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं कि तरैया विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में जो गरीब छूटे हुए हैं, सरकार योजनाबद्ध तरीके से बहुत ही कम समय में उन गरीबों को, चूंकि क्षेत्र भ्रमण में हम जब जाते हैं...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री जनक सिंह : महोदय, अभी इन्होंने जो बताया है, 1192 पानापुर, इसुआपुर में 198 और तरैया में 172 लोगों का राशन कार्ड कब निर्गत करेंगे ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक महीने के अन्दर राशन कार्ड निर्गमन की प्रक्रिया कर दी जायेगी । एक महीने में हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब एक महीने के अन्दर कह दिया, सकारात्मक जवाब दिये हैं । अब क्या इसपर है ?

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ लेकिन जो शेष छूटे हुये हैं चूंकि क्षेत्र भ्रमण में जो गरीब सामने आते हैं जिनको मिलना चाहिये, वैसे लोग जो छूटे हुये हैं, हम चाहेंगे कि तरैया विधान सभा सहित राज्य....

अध्यक्ष : साफ तो जवाब दे दिया । आपने पूछा कि कबतक तो उन्होंने कहा कि एक महीने के अन्दर ।

श्री जनक सिंह : वह तो जो बनकर तैयार हैं उसके लिए कह रहे हैं । जो छूटे हुये लोग हैं, उसको कैसे अन्न मिले ताकि उन गरीबों को, चूंकि क्षेत्र भ्रमण में यह विषय आता है । आज भी उन गरीबों को देख कर तरस आती है कि आखिर उनको कैसे मिले, एक तो गरीब है । इसलिये सरकार कौन-सी योजना कम समय में, कोई योजना ऐसी बनायें कि उन गरीबों को मिले । इसलिये आपके माध्यम से महोदय, हम जानना चाहते हैं कि छूटे हुये लोगों को कबतक दिलायेंगे ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो सतत प्रक्रिया है । आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से जो लाभुक हैं, वे आवेदन करते हैं, फिर ऑनलाईन की भी व्यवस्था की गई है, उसमें माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगी कि ये लोग आर0टी0पी0एस0 काउन्टर में अपना आवेदन करें । जो गरीब लोग हैं, छूटे हुये लोग हैं, वे लोग आवेदन करेंगे और हमलोग जॉच करवा कर उसका कार्ड निर्गत करेंगे ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : नहीं । अब श्री हरिभूषण ठाकुर । अब इतना स्पष्ट जवाब दे दिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, सरकारी तंत्र है, चूंकि वे गरीब हैं, वे क्या जानें कि ऑनलाईन क्या होता है...

अध्यक्ष : उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत मंत्री जी ने कहा कि सतत प्रक्रिया चल रही है ।

श्री जनक सिंह : प्रक्रिया चल रही है लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना...

अध्यक्ष : आप वरीय सदस्य हैं । इतना साफ जवाब है ।

श्री जनक सिंह : महोदय, गरीबों के लिए, जो गरीब छूटे हुये हैं उनके लिए योजना बनायी जाय और योजना बनाकर उन छूटे हुये गरीबों को दिलवाया जाय ।

अध्यक्ष : साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि सतत प्रक्रिया है, जो छूटे हुये हैं उनका बनते रहता है ।

श्री जनक सिंह : वे गरीब हैं, उनके दरवाजे पर जाकर उनका बनवाना चाहिये ।

अध्यक्ष : तो आप उनको सहयोग करिये बनाने में । कह तो रही हैं मंत्री जी कि प्रक्रिया चल रही है ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3805 (श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल', क्षेत्र सं0 35, बिस्फी)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. समाहर्त्ता, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भैरवा उग्रनाथ शिव मंदिर के जमीन से संबंधित खाता संख्या-767 नया, खेसरा संख्या-483 नया, रकवा-81 डिसमिल अनावाद सर्वसाधारण की जमीन के नापी उपरांत अतिक्रमण नहीं पाया गया ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष जी, हमको जवाब मिला है । मैंने प्रश्न किया था कि भैरवा उग्रनाथ शिवमंदिर एवं पोखरभिंडा का जमीन अतिक्रमित है । सीधे कह दिया है, मैं इस जवाब को चुनौती देता हूँ । पोखरभिंडा का जमीन अतिक्रमित है, मंदिर का जमीन अतिक्रमित है ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी डी0डी0सी0, मधुबनी जो डायरेक्ट आई0ए0एस0 हैं, उससे नपवा कर जो दोषी पदाधिकारी गलत रिपोर्ट दिया है, उसपर कार्रवाई करायेंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर आया है, मुद्रित भी है और उसके अलावा हमने अलग से रिपोर्ट भी मँगवाया है । वहाँ के अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भैरवा मंदिर की भूमि के सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में, उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि आदेशानुसार भैरवा उगना महादेव मंदिर परिसर की मापी हेतु स्थल पर उपस्थित हुआ एवं आर0एस0 सर्वे नक्शा के अनुसार मापी के उपरांत पाया गया कि संबंधित खेसरा-483, रकवा-81 डिसमिल जो कि तालाब पोखर है, की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है । यह रिपोर्ट वहाँ से आया है, नक्शा भी भेजा है । इसके अलावा उन्होंने मेरे पास फोटो भी भेजा है । उनके कथनानुसार वह पोखर खाली है, जिसका रिपोर्ट आ गया है लेकिन माननीय सदस्य की चिंता अगर सही है तो मैं निश्चित रूप से डी0डी0सी0 नहीं, इसके वरीय पदाधिकारी डी0सी0एल0आर0 होते हैं, उनकी देखरेख में उस अंचल के अलग अमीन के द्वारा नापी करवा कर हम देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । हो गया ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : नहीं-नहीं अध्यक्ष जी । सारे बिहार में 1900 वाला सर्वे लागू है, नया सर्वे लागू नहीं है । जवाब दिया है कि मंदिर अतिक्रमित नहीं है, पोखर अतिक्रमित नहीं है । मेरे क्वेश्चन में है पोखरभिंडा, मंदिर का पोखरभिंडा, पोखर के आगे जो जमीन होता है, वह अतिक्रमित है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि जॉच करवा देंगे ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : क्या मंत्री जी, जो गलत जवाब दिया है, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवायेंगे कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जॉच करवा लीजियेगा ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, हमने क्वेश्चन किया था । हमारे यहॉ सुल्तानगंज के शाहकुंड...

अध्यक्ष : अब आप इसमें कहॉ उठ गये ?

श्री ललित नारायण मंडल : हमने क्वेश्चन किया था, सर । हमारे यहॉ सुल्तानगंज के शाहकुंड...

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, केडेस्ट्रल सर्वे से नापी होती है । यहॉ कहीं न कहीं जो अंचलाधिकारी है उसकी मंशा ठीक नहीं है । इसलिये उसने रिवीजनल सर्वे से नापी करा दिया है, रिवीजनल सर्वे 1972 का है, 1901 के सर्वे से नापी हो रहा है वहॉ । उस जिले में यह लागू ही नहीं है तो इतना गलत जवाब जिस अंचलाधिकारी ने दिया है, उसपर मंत्री जी क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर आर0एस0 लागू नहीं होगा तो 1900 से नापी होगा, अगर 1900 के नक्शा के अनुसार जमीन बिहार सरकार की होगी तो मिलान करके वह काम किया जायेगा । आप निश्चिंत रहें । जॉचोपरांत अप्रील महीने में इसकी नापी कराकर संबंधित पदाधिकारी अगर कोई तरह की गड़बड़ी किया होगा तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : खाली कबतक करा देंगे ? महोदय, यह तो बता दें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : जॉचोपरांत, नापी कराकर देखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : जॉच करवा लेते हैं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : 1900 का सर्वे और 1962 का सर्वे, दोनों मिलाकर नापी कराया जायेगा।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय....

अध्यक्ष : आपका क्या है ?

श्री ललित नारायण मंडल : सर, हमारे सुल्तानगंज के शाहकुंड में भी 25 एकड़ जमीन अतिक्रमित है....

अध्यक्ष : इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, मालूम है । क्वेश्चन भी हम किये हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । आपका आयेगा तो बोलियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3806 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0 169, शेखपुरा)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री (लिखित उत्तर) : अस्वीकारात्मक । शेखपुरा जिला अंतर्गत प्रखंड अरियरी, पंचायत-चोढ़दरगाह, ग्राम-अकबरपुर, वार्ड नं0 14 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण गराया गया था । योजना अंतर्गत प्रावधानित स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है ।

साथ-ही, वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सात निश्चय ''हर घर नल का जल'' योजना अंतर्गत वार्डस्तरीय जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया है, जिससे उक्त वार्ड को पूर्णतः आच्छादित करते हुए अवस्थित कुल 131 घरों में गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है ।

अध्यक्ष : प्राधिकृत हैं श्री समीर कुमार महासेठ । उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये । पूरक संक्षेप में पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : ठीक है । हम उत्तर से संतुष्ट हैं ।

अध्यक्ष : संतुष्ट हैं । धन्यवाद ।

टर्न-6/आजाद/31.03.2022

तारांकित प्रश्न सं0-3807(श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी,क्षेत्र सं0-200, बक्सर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. विदित हो कि पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक-5900, दिनांक 07.12. 2021 द्वारा ऐसे पथों का अधिग्रहण होने तक इनके रख-रखाव/मरम्मती का कार्य संबंधित नगर निकायों द्वारा कराये जाने का निदेश निर्गत किया गया है ।

नगर परिषद्, बक्सर को वित्तीय वर्ष 2021-22 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद में रूपये 1295.73138 लाख (बारह करोड़ पंचानवे लाख तिहत्तर हजार एक सौ अड़तीस रू0) मात्र एवं 15वें वित्त आयोग मद में रूपये 767.57454 (सात करोड़ सड़सठ लाख संतावन हजार चार सौ चौवन रू0) मात्र आवंटित किया गया है । इसके अंतर्गत प्रश्नगत सड़क जीर्णोद्धार भी कराया जा सकता है ।

यदि योजना नगर परिषद्, बक्सर के बोर्ड द्वारा पारित की जाती है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर परिषद्, बक्सर को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न है ताड़का नाला पर जो पुल है, उसके संबंध में कहना है कि वह सकरा है और पब्लिक को आने जाने में, वाहन को आने-जाने में कठिनाई होती है, आवागमन में दिक्कत होती है, उसका जिक्र नहीं किया गया है इस प्रश्न में । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस सकरा पुल को चौड़ीकरण कराते हुए कब तक बनवा देंगे?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस सड़क में जो यातायात का दबाव है और वह दबाव स्वाभाविक है कि उस पुल पर भी है । मैंने आज भी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, बक्सर को निदेशित किया है कि एक अंतरिम रिपोर्ट हम मांग लेते हैं क्योंकि पुल का चौड़ीकरण वह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा ही नगर विकास विभाग करायेगी लेकिन एक अंतरिम प्रतिवेदन हम 3 दिनों के अन्दर मांगे हैं कि पुल की क्या स्थिति है, यातायात का क्या घनत्व है और किस प्रकार से उसको हमलोग पुल का निर्माण कराये जिससे यातायात की सुगमता बनी रहे । सदन की चिन्ता को हमने समझा है और उसको भी करायेंगे । इन्होंने जो 2.2 कि0मी0 जो सड़क है, वह जर्जर है, उसमें भी जो राशि इनके नगर निगम में भेजा है, उसमें मैंने कहा भी है कि आंतरिक संसाधन इस तरह के मेनटेनेन्स, जो रख-रखाव का कार्य किया जाता है, यह उस राशि से या अभी हाल में हमने सिक्सथ फाईनांस कमीशन से जो 6 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों का मैंने पूर्व में भी सदन को बताया है कि लगभग 17 प्रतिशत की राशि माननीय सांसद, माननीय विधायकों के अनुशंसा पर प्राथमिकता देकर उसको पारित कराकर उससे निर्माण कार्य कराया जायेगा, उस मद से भी मैंने कराने का आज ही निदेश नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर को मैंने कहा है और मुझे लगता है कि माननीय सदस्य जब बक्सर लौटेंगे तो इन दोनों मामलों को देख लेंगे । मैंने यह भी कहा है कि उनसे सम्पर्क करके इन सारी चीजों को देखकर प्रतिवेदन दें जिससे कि जल्द से जल्द ये दोनों कार्य कराने में विभाग तत्पर हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, हम सहमत हैं ।

अध्यक्ष : फिर बैठ जाइए ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, एक मेरा पूरक है, यह वीर कुँवर सिंह सेतु जो यू0पी0, बिहार को जोड़ता है । उससे भी यह मुख्य सड़क जुड़ती है हमारी, जो शहर होकर आती है । महोदय, इस प्रश्न में 22 कि0मी0 दे दिया गया है, लेकिन इसकी लम्बाई 2.2 कि0मी0 है तो महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि अगर बोर्ड में न हो तो सरकार

उस सड़क को पथ निर्माण में हस्तांतरित कराते हुए कब तक बनवा देगी ? माननीय मंत्री जी के बात से हम संतुष्ट हैं ।

अध्यक्ष : बहुत ही सकारात्मक जवाब दे दिये हैं ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, आपका इसमें संरक्षण प्राप्त हो, कब तक इस सड़क को बनवा देंगे ? काफी सकरा पुल है और काफी सकरा सड़क है और वह यू0पी0, बिहार को जोड़ने वाला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लें और जल्द से जल्द से ।

तारांकित प्रश्न सं0-3808(मो0 आफाक आलम, क्षेत्र सं0-58, कसबा)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, कसबा के पत्रांक-159, दिनांक 25.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कसबा नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु नगर परिषद्, कसबा के पत्रांक-916, दिनांक 06.12.2021 एवं पत्रांक-99, दिनांक 28.02.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया तथा पत्रांक-490, दिनांक 30.04.2021 के द्वारा अंचलाधिकारी, कसबा को पत्र भेजा गया है, परन्तु अब तक सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है । भूमि उपलब्ध होने के उपरांत सम्राट अशोक भवन निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

मो0 आफाक आलम : जवाब तो मिला है सर ।

अध्यक्ष : संतुष्ट हैं ?

मो0 आफाक आलम : संतुष्ट नहीं हैं सर ।

अध्यक्ष : अच्छा तो बोलिए ।

मो0 आफाक आलम : इसमें ऐसा है कि हम अशोक सम्राट हॉल के बारे में लिखे हैं और इसमें जवाब मिला है कि जमीन उपलब्ध होने पर, इसके लिए 2019 में विभाग से गया अंचलाधिकारी को पत्र, 2021 में, 2022 में .....

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : सुन लिये, कहना क्या चाहते हैं ?

अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

मो0 आफाक आलम : फिर 2022 में गया, पॉच बार वहां के सी0ओ0 को लिखा गया, तीन साल पर पॉच बार लिखा गया, अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हुआ ......

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ? एक सेंटेन्स में पूरक बोलिए ।

मो0 आफाक आलम : विभाग से जो रिपोर्ट मांगा जाता है पदाधिकारी से, पॉच बार उसको लिखा गया है, 2019, 2021, फिर 2021, 2022 और फिर 2022 ।

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य मो0 आफाक आलम जी की चिन्ता को समझता हूँ, मैंने आज भी सुबह में समाहर्ता, पूर्णिया एवं अपर समाहर्ता, पूर्णिया से दूरभाष से बात किया है और मैंने कहा है कि अगर कोई राजस्व की जमीन उपलब्ध है, जहां कि हम सम्राट अशोक भवन का निर्माण कर सके तो निश्चित तौर पर जमीन के संबंध में पूरी जानकारी भेजें, मुझे लगता है कि आज शाम तक प्रतिवेदन वे भेज भी देंगे, फिर अग्रेतर कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे । हम स्वयं चाहते हैं कि सम्राट अशोक भवन का निर्माण ससमय हो, अन्यथा फिर उसका लागत में वृद्धि होगी, वह तो सरकार के लिए अधिभार होता है । लेकिन मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप माननीय विधायक हैं और आप अच्छे विधायक हैं । इसलिए थोड़ा आप भी प्रयत्न करके आपको स्वयं भी देखना चाहिए, एक सलाह के तौर पर बता रहे हैं ।

मो0 आफाक आलम : सर, एक मिनट । माननीय मंत्री जी से हमारा तालुकात आज से नहीं, वे भी हमको जानते हैं और हम भी हमको जानते हैं और पड़ोसी भी है लेकिन हमारा कहना है .....

अध्यक्ष : पड़ोसी हैं तो दोनों मिलकर बात कर लीजियेगा । अब आगे बढ़ने दीजिए, समय कम है ।

मो0 आफाक आलम : 2023 आने वाला है, क्या इसको 2023 में पूरा कर देंगे ?

अध्यक्ष : पड़ोसी हैं, बात कर लीजियेगा । श्री अजीत कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-3809 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-3810 (श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र सं0-28, सीतामढ़ी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि नगर निगम, सीतामढ़ी क्षेत्र अंतर्गत बड़े आर0सी0सी0 नाला का निर्माण वार्ड नं0-01, 17, 26, 27 में कराया गया है । पूर्व में जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर विभन्न वार्डों में नाला एवं सड़क निर्माण कराया गया है ।

विदित हो कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर निगम, सीतामढ़ी को षष्ठम् राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रमश: रू0 587.06372 लाख (पाँच करोड़ सतासी लाख छ: हजार तीन सौ बहत्तर रू0) मात्र एवं रू0 357.03488 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख तीन हजार चौर सौ अठासी रू0) मात्र प्राप्त हुआ है । इस आवंटित राशि से सड़क एवं नाला निर्माण भी कराया जा सकता है ।

यदि सड़क एवं नाला के निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम, सीतामढ़ी के बोर्ड द्वारा पारित किया जाता है तो निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सड़क एवं नाला निर्माण का कार्यान्वयन नगर निगम, सीतामढ़ी द्वारा कराया जा सकेगा ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है और सीतामढ़ी की जनता की धैर्य की सीमा तीरहुत हो रही है ......

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री मिथिलेश कुमार : मुझे प्राप्त नहीं हो सका है तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कब तक सीतामढ़ी के धरती के लोगों को जिसके कारण बिहार आदरणीय है । उस धरती के लोगों को यह सर्पदंश, कालाजार और मच्छर से मुक्ति के लिए नाला निर्माण एवं सड़क निर्माण कब तक करायेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इन्होंने पूरे सीतामढ़ी नगर क्षेत्र में सड़क और नाला निर्माण की बात की है, कुछ स्पेशीफिक सड़क और नाला की चर्चा नहीं की गयी है जो क्रमांक-1 स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि नगर निगम, सीतामढ़ी क्षेत्र अंतर्गत बड़े आर0सी0सी0 नाला का निर्माण वार्ड नं0-01, 17, 26, 27 में कराया गया है । पूर्व में जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर विभन्न वार्डों में नाला एवं सड़क निर्माण कराया गया है ।

विदित हो कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर निगम, सीतामढ़ी को षष्ठम् राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्रमश: रू0
587.06372 लाख (पॉंच करोड़ सतासी लाख छ: हजार तीन सौ बहत्तर रू0) मात्र एवं रू0 357.03488 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख तीन हजार चौर सौ अठासी रू0) मात्र प्राप्त हुआ है । इस आवंटित राशि से सड़क एवं नाला निर्माण भी कराया जा सकता है ।

यदि सड़क एवं नाला के निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम, सीतामढ़ी के बोर्ड द्वारा पारित किया जाता है तो निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सड़क एवं नाला निर्माण का कार्यान्वयन नगर निगम, सीतामढ़ी द्वारा कराया जा सकेगा ।

इन्होंने कोई पार्टिकुलर किसी सड़क या नाला की बात नहीं की है ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : बात कर लीजियेगा ।

श्री मिथिलेश कुमार : जिस वार्ड की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है, वहां भी नाला संचालित नहीं है, वहां भी लोग जल-जमाव झेल रहे हैं और यह कार्य योजना और प्रस्तावना कई बार हुआ, लेकिन मैं शर्मसार हो जाता हूँ, जब नगर के वार्डों में जाता हूँ, मुझे काफी लोगों का सुनना पड़ता है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है । यह जो वैधानिक कठिनाई है, माननीय सदस्यों को यह बात समझना पड़ेगा । वहां पर बोर्ड है, उस बोर्ड से पारित कराना पड़ेगा और माननीय विधायक उस बोर्ड के पदेन सदस्य भी होते हैं । वे वहां पर लिखकर तो कम से कम एक बार दे ही दें, यह देना आवश्यक है । देने से यह

होता है कि हमलोगों को भी दबाव बनाने में इसको पारित कराकर उसका एक्सक्यूशन ससमय करें, इससे हमलोगों को भी सुविधा होती है । अगर माननीय विधायक ने सीतामढ़ी नगर निगम में अपने द्वारा विभिन्न बोर्ड के बैठकों में इन्होंने अपनी अनुशंसा की है सड़क एवं नाला की तो उसकी एक प्रति हमें उपलब्ध करायें । मैं बात करके उसका एक्सक्यूशन कराने में उनका सहयोग करूंगा ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष जी, किसी बोर्ड की बैठक की सूचना प्राप्त नहीं होती है, सूचना नहीं दी जाती है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये लिखकर दें कि हमें सूचना नहीं दी जाती है तो हम कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सभी माननीय विधायकों को सूचना बैठक की नहीं मिलती है, यह पत्र द्वारा आप सुनिश्चित करा दें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-3811 (श्री विजय शंकर दूबे, क्षेत्र सं0-112, महाराजगंज)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री(लिखित उत्तर) : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वर्ष 2020-21 में जिले का मत्स्य उत्पादन सभी स्तरों से 10.54 हजार मीट्रिक टन हुआ था, चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 10.95 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध माह फरवरी, 2022 तक 10.10 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ है ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी जिलों में सीवान जिला सहित केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न मात्स्यिकी विकासन्मुख योजना संचालित है। वर्तमान में RKVY की योजना कार्यान्वित नहीं है ।

4. मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, जलाशय में अंगुलिकाओं का संचयन, नया तालाब का निर्माण, रिपेयरिंग तालाब का निर्माण, इनपुट योजना, बायोफ्लॉक तालाब निर्माण, मत्स्य विपणन योजना के अन्तर्गत मोटर साईकिल आईस बॉक्स सहित तीन पहिया वाहन आईस बॉक्स सहित, फिड मील का अधिष्ठापन, मछुआरों का प्रशिक्षण, मत्स्य हैचरी का निर्माण, मत्स्य फसल बीमा योजना कार्यान्वित है । यह सभी योजनाएँ सीवान जिला सहित राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, उत्तर आया हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए, उत्तर मुद्रित है ।

श्री विजय शंकर दूबे : मैं पूछता हूँ । महादेय, देखेंगे उत्तर के खंड-1 में जो जवाब सरकार ने दिया है, उससे प्रमाणित होता है कि जो लक्ष्य है, उतना उत्पादन सीवान जिले में नहीं हुआ है

मछली का और महोदय, मेरे प्रश्न करने का मूल उद्येश्य यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मछली उत्पादन के लिए जितने कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों का उपयोग सीवान जिला में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मछली उद्योग में लगे लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है एक, महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रोजगार में एक वर्ग विशेष के लोग मछुआरा सोसाईटी बनाये हुए हैं । उन लोगों को डिसप्लेश किया गया है बड़े पैमाने पर, मैं सीवान की बात जानता हूँ ।

..... क्रमशः ......

टर्न-7/शंभु/31.03.22

श्री विजय शंकर दूबे : क्रमशः मछली के जितने सोसाइटी हैं उसमें दूसरे दबंग लोग कब्जा किये हुए हैं, दूसरी जाति के लोग कब्जा किये हुए हैं ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है आपका ? समय समाप्त हो रहा है ।

श्री विजय शंकर दूबे : मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सिवान जिले में जॉच कराकर के मछली उद्योग में लगे लोगों को, मछुआरों के सोसायटी में जो दूसरे जाति के लोग घुसकर कब्जा किये हुए हैं उनको कब्जा दिलाने की कार्रवाई सरकार करना चाहती है कि नहीं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सरकार स्वयं मछुआ समाज का जो पेशागत कारोबार है मछली मारना या इससे जुड़े सारे चीजों पर रोजीरोटी उनका निर्भर है उसके लिए सरकार स्वयं भी चिंतित है और इसकी पूरी समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31 मार्च, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है । श्री महबूब आलम, श्री महानन्द सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव, श्री विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री गोपाल रविदास, श्री अजय कुमार, श्री सूर्यकान्त पासवान एवं समीर कुमार महासेठ । दूसरा श्री अख्रूल ईमान, श्री शाहनवाज, श्री इजहार अशफी, डा0 सत्येन्द्र यादव, श्री सैय्यद रूकनुद्दीन अहमद, श्री मो0 अनजार नइमी । तीसरा श्री अजीत शर्मा । आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2) एवं 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

अख्तरूल जी, आज हैं मौजूद इसलिए उनको दे दीजिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-98 के अधीन आवश्यक लोक महत्व के निम्न विषय पर अपने कार्य स्थगन की सूचना देता हूँ ..

अध्यक्ष : संक्षिप्त में बोल दीजिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : संक्षिप्त ही है सर । राज्य के सीमांचल के जिला पूर्णियां, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले में महानन्दा के परवान, बकरा आदि विनाशकारी नदियों से जल के कटाव से किनारों की बस्ती के हजारों परिवार विस्थापित हो गये हैं, विशेषकर अमौर, बायसी, बैसा, डगरूआ, कोचाधामन, टेढ़ागाछी, जोकीहाट इत्यादि प्रखंडों के क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं । दर्जनों बस्तियों एवं सरकारी पक्के भवन, पक्की सड़कें नदियों में विलीन हो गयी हैं । हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पर रेत जम गयी है जिसके कारण आम नागरिकों एवं किसानों को काफी कठिनाई है और उनके बीच निराशा एवं आक्रोश है । विस्थापितों को कोई राहत नहीं दी गयी है और कटावरोधक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है । अतः मैं क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं पर विमर्श एवं निदान हेतु सदन में कार्य स्थगन पेश करता हूँ। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी चले गये, डिप्टी सी0एम0 यहां पर मौजूद हैं । मैं सिर्फ यह चाहूंगा कि पैसा भी मौजूद है आपदा से और अगर बारिश से पूर्व हमारा काम नहीं कराया गया तो हमारी सैंकड़ों बस्तियां कट जायेगी । इसलिए महोदय, जरा आप सरकार से कहें ।

अध्यक्ष : सरकार सुन रही है ।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, आपके माध्यम से ...

अध्यक्ष : अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी कोरोना वाइरस से मृत व्यक्तियों के अनुदान के सन्दर्भ में कुछ कहना चाहती हैं और सर्पदंश के सन्दर्भ में भी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ । पहले तो मैं सांप दंश के बारे में बोल दूं कि हमारे पूरे सदन की चिंता थी कि बाढ़ के समय आपदा में आप सर्पदंश का पैसा देती हैं और बाद में आपदा से बिहार सरकार नहीं देती है, लेकिन मुझे आज खुशी हो रही है कि हमेशा बिहार की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी चिंता करते हैं कि हमारा कोई भी गरीब किसी भी आपदा में पड़े तो उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं तो बाढ़ अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से होने से आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-68/सा0पुन0, दिनांक-06/08/2002 एवं 4187/आ0प्र0, दिनांक 24.11.14 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (बाढ़) जनित कारण मानते हुए मृतक के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पोंस कोष (एस0डी0आर0एफ0) से निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगातन किया जाता है, परन्तु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होनेवाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से सम्प्रति अनुमान्य नहीं है । अब दूसरा है कि बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सामान्य समय में जब राज्य में सर्पदंश की घटनाएं घटित होती रहती है तो इससे होनेवाली मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग में जन शिकायत, जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री, कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन एवं माननीय जन प्रतिनिधियों से भी पत्र प्राप्त होते रहते हैं । उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 07.03. 2022 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य में बाढ़ के दौरान बाढ़जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा (लोकल डिजास्टर) में शामिल करते हुए मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को आपदा रिस्पांस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष हमारा 4 लाख का है उससे संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा । यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कोरोना वाइरस में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके निकटतम संबंधियों का जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाय । उसमें सदन को कहते मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले तो स्वास्थ्य विभाग 12936 व्यक्तियों को पहले ही सूचना दे चुकी थी उनके परिवारजनों को बचे हुए हमारे जो परिवारजन थे उनके भुगतान राशि के लिए शेष मृतकों के लिए कार्रवाई जिला स्तर पर किया जा रहा है । दिनांक 28.03.2022 को राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुपालक निर्देशन के साथ बैठक में उनके द्वारा बताया गया कि जिलों में अनुग्रह अनुदान भुगतान मामले में

स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुशंसा भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग से वर्तमान में 2156 नये मामले पर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुशंसा कर भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है । शेष दावों की समीक्षा की जा रही है । स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिनांक 29.03 को आपदा प्रबंधन विभाग को कुल 2116 कोरोना वाइरस के मृत व्यक्तियों को भुगतान हेतु संबंधित जिला को राशि उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना की गयी है जिसका विवरण मैं पूरे बिहार का विवरण दे रही हूँ 2116 लोगों को चला गया है और मात्र 1500 बचा हुआ है । वह 1500 - 20 अप्रील तक सभी को सभी जिले में यह पैसा चला जायेगा ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिया जायेगा । श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, गया जिला के डोभी प्रखंड अन्तर्गत पंचायत नावाडीह में आर0डब्लू0एम0पी0 प्रोजेक्ट के तहत भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किया गया मिट्टी कार्य में भारी अनियमितता के साथ वरीय पदाधिकारियों के मिलीभगत से रेकड़ खोलकर भारी मात्रा में पैसे की निकासी की गयी है । सभी संलिप्त पदाधिकारियों पर जॉच की मांग करती हूँ ।

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, नवादा जिले के वारिसलीगंज में 1993 ई0 से बंद पड़ी चीनी मिल की 66 एकड़ जमीन पर इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की सरकार से मांग करती हूँ ।

टर्न-8/पुलकित/31.03.2022

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्ड अंतर्गत बाराहाट-ईशीपुर स्थित योगीवीर पहाड़ उस इलाके का गौरव है । जो कि सभी सम्प्रदायों का प्रसिद्ध धर्म स्थली भी है । मैं सरकार से उक्त योगीवीर पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सुप्पी अंचल के रामपुरकंठ ग्राम में गैर मजरूआ आम सड़क है । जिसका थाना नं0- 78, खाता नं0- 267, खेसरका- 1205, रकबा- 60 डि0 है । जिसको कुछ असामाजिक तत्व द्वारा अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है । जिसको शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं रहने के कारण यहां के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करन पड़ता है । निवेदन है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु नवादा जिला में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सदन से मांग करती हूं ।

श्रीमती वीणा भारती : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखण्ड में मेला ग्राउण्ड त्रिवेणीगंज के पास चिलौनी नदी में वर्ष 2008 में पुल धवस्त हो गया था । जिससे लोगों के आवागमन में कठिनाई होती है ।

अत: उक्त स्थान पर चिलौनी नदी में यथाशीघ्र पुल निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगर निगम क्षेत्र में बने विभाग/पंचायतों द्वारा पी0सी0सी0 सड़कों की जांच कराकर गुणवत्ता में कमी वाली सड़कों का विभाग/संबंधित एजेंसी को पुनर्निर्माण का जनहित में सख्त आदेश जारी करें ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग दशकों से हो रही है । गोराडीह प्रखंड में गौशाला की 475 एकड़ जमीन है, उक्त जमीन एवं उसके आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर नया हवाई अड्डा बनाने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बिहार के हजारों नौजवान सेना में अपनी सेवा देते हैं, तीनों सेनाओं में सवा लाख के करीब पद रिक्त रहने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों से बहाली नहीं होने के कारण युवाओं में निराशा व्याप्त है । बहाली के लिए सदन से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं खेमका जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष : पहले अपना शून्यकाल पढ़िये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से अररिया, पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज में नदियों के भीषण कटाव से 2000 से अधिक परिवार विस्थापित हो गये हैं और अभी भी निरन्तर कटाव जारी है, अगर इस वर्ष वर्षा पूर्व कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया तो सैकड़ों गांवों के नदी में कटकर विलीन हो जाने की पूर्ण संभावना है ।

अत: मैं सरकार से कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती भागीरथी देवी ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, आप ही के लिए शेर था । खेमका जी मजाक उड़ा रहे हैं कल के मामले में तो मैंने कहा कि-

"कितने शीरीं हैं तेरे लब के लकीब,
गालियां खा के बे-मजा न हुआ ।"

गालिब ने अपनी प्रेमिका को देखकर कहा ।

अध्यक्ष : ये शेर संजय सरावगी जी को सुना रहे हैं आप ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर एवं गौनाहा प्रखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन में आवास सहायक तथा संबंधित पदाधिकारियों की मिलीभगत से उचित राशि मिलने पर ही लाभार्थी को प्राथमिकता सूची में शामिल कर उसे लाभ पहुंचाया जाता है ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि जिले के किसी पदाधिकारी को नियुक्त कर प्राथमिकता सूची तैयार कराई जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संज्ञान में लें । श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सस्तीपुर जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र विभूतिपुर में कार्यरत डाटा ऑपरेटर अगस्त- 2020 से ही रविवारीय एवं राजपत्रित अवकाश के दिन भी कार्य करते हैं किन्तु पारिश्रमिक भुगतान नहीं होता है ।

मैं सरकार से अवकाश के दिनों का पारिश्रमिक भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

श्री सउद आलम : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के 2459 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए सरकार द्वारा फरवरी, 2011 में निर्णय लिया गया था । निर्णय के 10 साल बाद भी जांच एल0पी0सी0 तथा स्थलीय निरीक्षण के नाम पर मदरसों के वेतन भुगतान लंबित है । अनुदान सहित वेतन भुगतान की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में जन शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी जिलों में संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत के0आर0पी0 के पद पर कार्यरत कर्मी जो 13 वर्षों से गांव टोलों के 6-14 आयु वर्ग के बच्चों एवं 15-45 साल की असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं ।

अत: मैं उन्हें सम्मानजनक मानदेय/वेतनमान देने की मांग करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण के अरेराज प्रखण्ड अंतर्गत गोविंदगंज एवं मलाही में अवस्थित नारायणी नदी के तट पर विद्युत शवदाह गृह अति आवश्यक है । जिला भर से लोग यहां अंतिम संस्कार करने आते हैं ।

अत: मैं सरकार से उक्त वर्णित स्थलों पर विद्युत शवदाह गृह निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड के हरसिद्धि बाजार से बनकटी जाने वाले पथ में दुधही पीर महम्मद मियां के घर से वाया भरवलिया बनिया टोली होते हुए कनछेदवा पारस सिंह के बथान तक सड़क जीर्णशीर्ण है ।

सरकार से उक्त सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में, तेघड़ा प्रखण्ड के चिल्हाय पंचायत में अवस्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने के कारण आमजनों को 10 किलोमीटर दूर अनुमंडलीय अस्पताल अथवा 20 किलोमीटर दूर बेगूसराय जाना पड़ता है ।

अत: उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की मांग सरकार से करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कटोरिया प्रखण्ड को बौंसी प्रखण्ड से जोड़ने हेतु कटोरिया प्रखण्ड के भोरसार भेलवा पंचायत में उदारखूट गांव एवं तसरिया गांव के बीच नदी पर पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति से शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, एक अति महत्वपूर्ण सूचना है । सुन लिया जाय । महोदय, ये भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर थाना के, मकन्दपुर निवासी प्रशांत कुमार राय के पुत्र शुभम राय सोमवार, 28 मार्च से ही लापता है । थाना में केस दर्ज है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

सरकार बगल में बैठी है, सरकार संज्ञान में ले, इसको देखें । बैठिये ।

श्री भाई वीरेंद्र : महोदय, एक मामला मेरा भी है । भोजपुर और बक्सर जिले में, पूरे बिहार में एम0एल0सी0 चुनाव हो रहे हैं । बक्सर और भोजपुर जिला में मेरे दल के कई ऐसे सदस्यों को फंसाया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ध्यानाकर्षण सूचना ली जायेगी।

(व्यवधान)

नहीं । बैठ जाइये ।

(क्रमश:)

टर्न-9/अभिनीत/31.03.2022

अध्यक्ष (क्रमश:) : माननीय सदस्यगण, कल यानी 30 मार्च, 2022 की संध्या में 02, देशरत्न मार्ग, पटना स्थित अध्यक्षीय आवास में वसंतोत्सव के अवसर पर आयोजित स्नेह मिलन एवं सहभोज कार्यक्रम में आप सभी की आत्मीयता और सहृदयता से परिपूर्ण उपस्थिति को

देखकर मुझे बेहद आनंद और संतोष हुआ । आपकी स्नेहिल और स्निग्ध उपस्थिति के लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

वसंत राग, रंग और रस का मौसम है । यह उत्साह, उम्मीद और उत्कर्ष की ऋतु है । प्रकृति और संस्कृति के श्रेष्ठ उपादानों की सराहना का काल है । विगत को संजोकर आगत के स्वागत का समय है । अत: हम सबको मिलकर अपने निजी और सार्वजनिक जीवन को वसंतमय बनाने का प्रयास करना है ताकि जन अपेक्षाओं तथा जन भावनाओं को अपने वचन और कर्म से संतुष्ट करते हुए पंक्ति में खड़े समाज के सबसे पीछे के लोगों तक सुख, समृद्धि और संभावनाओं का वसंत पहुंचा सकें । हम यह याद रखें कि-

''पृथ्वी हो साम्राज्य स्नेह का
जीवन स्निग्ध सरल हो
मनुज-प्रकृति से विदा सदा को
दाहक द्वेष-गरल हो
बहे प्रेम की धार, मनुज को
वह अनवरत भिगोये
एक-दूसरे के उर में नर बीज प्रेम के बोये ।''

एक बार फिर से आपको तथा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को वंतमय जीवन की शुभकामनाएं देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष के यहां हमेशा सभी सदस्यों का अधिकार बना हुआ है ।

माननीय सदस्या सुश्री श्रेयसी सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉ0 निक्की हेम्ब्रम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, ''बिहार राज्य के 38 जिला जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर (भभूआ), रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया सहित भागलपुर के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर 302 स्टेडियम निर्माण हेतु 69 करोड़ 57 लाख 66 हजार 993 रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी । राज्य में कुल 302 स्टेडियमों में अब तक 122 स्टेडियम

का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । 66 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं तथा निर्मित 114 स्टेडियम का निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ।

निर्मित स्टेडियमों के रख-रखाव, प्रबंधन एवं उपयोगिता हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश में परिवर्तन कर सोसायटी के माध्यम से रख-रखाव, प्रबंधन हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर खेल विकास समिति के गठन की कार्रवाई अब तक नहीं है ।

अत: अपूर्ण स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने, निर्मित स्टेडियमों की गुणवत्ता की जांच कराने एवं खेल विकास समिति के गठन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का धयान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है । वर्तमान में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा एजेंसी का चयन कर किया जाता है । भवन निर्माण विभाग एवं निगम द्वारा किये जा रहे खेल अवसंरचनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण भी किया जाता है । अब तक कुल 353 प्रखंड स्तरीय आउट डोर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें 168 स्टेडियम पूर्ण हैं, 84 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं और 101 प्रक्रियाधीन हैं । साथ ही, विभाग द्वारा समीक्षा भी की जाती है । इसी क्रम में 19.08.2021 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी थी जिसमें स्टेडियम के निर्माण एवं कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने तथा निर्माण मॉडल के अनुरूप नहीं होने से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तत्काल सभी संबंधित अभियंताओं और संवेदकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है । पूर्व में विभागीय पत्रांक- 584, दिनांक- 09.09.2016 द्वारा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम प्रबंध समिति का गठन किया गया था ।

उपरोक्त वर्णित खेल विकास समिति के गठन के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 805, दिनांक- 09.07.2019 एवं पत्रांक- 412, दिनांक- 30.03.2022 द्वारा खेल विकास समिति के गठन से संबंधित प्रारूप पर मंतव्य प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से अनुरोध किया गया है । मंतव्य प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि यह 2008-2014 में राशि स्वीकृत की गयी थी । अभी तक जितने भी स्टेडियम निर्माणाधीन हैं या जिनका डीपीआर नहीं बनाया गया है क्या उनका जो डीपीआर है, जो प्राक्क्लन है उसको रीवैल्यूएट करके नयी राशि स्वीकृत की जायेगी, जिससे वह स्टेडियम अच्छी तरह से बन सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, जो पूर्व में स्टेडियम बना हुआ है या किसी कारण से निर्माणाधीन है, प्रक्रिया में है उसके जीर्णोद्धार के लिए महोदय, पुनः हमलोग जिला से उसका प्रतिवेदन मंगाकर और उसको विभाग में भेजकर, उसकी स्वीकृति देकर बनाने की प्रक्रिया हमलोग करते हैं । हमलोगों की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, यदि कहीं से कोई इस प्रकार का, छूट गया है स्टेडियम, जिस किसी कारण से उसका निर्माण नहीं हो सका या निर्माण होने के बाद उसमें कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है उसको हमलोग करते हैं और हमलोग वह कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : चूंकि महोदय, हमारा विभाग जो है इसके निर्माण की एजेंसी हमलोगों का अभियंत्रण इकाई नहीं है । हमलोग उसमें प्रयत्नशील हैं...

अध्यक्ष : आप जानकारी ले लें, जो विभाग एजेंसी है उसको बुलाकर समीक्षा कर लें ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : जी, महोदय । हमलोग उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी भी भवन निर्माण के साथ बैठकर कि उसमें यदि, हमारे विभाग से भी एक पदाधिकारी के साथ और भवन निर्माण के पदाधिकारी के साथ सभी स्टेडियम की हम समीक्षा करके और हमलोग उस पर भी जो कहीं पर इस प्रकार का है तो उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2008-2014 से शुरू हुई है, आज लगभग 10 साल से भी ऊपर हो चुका है । माननीय मुंख्यमंत्री बिहार में खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि क्या कोई समय-सीमा निर्धारित कर इन सभी स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा ? साथ ही, जो भी समिति बनानी है जिला स्तरीय या प्रखंड स्तरीय क्या उसका आदेश भी समय-सीमा निर्धारित कर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, जो भी पुराने स्टेडियम हैं उसको एक साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जायेगा । उसमें समय लगता है, उसका तकनीकी अनुमोदन जिला से बनवाकर...

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : जी, अगले वित्तीय वर्ष में उसको कंप्लीट कर लिया जायेगा और जहां तक समिति की बात है तो हमलोगों ने बताया है कि प्रबंधन समिति तो हमारी बनी हुई है, खेल विकास समिति की जो बात है, तो इसको भी हमलोग जल्द करेंगे ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा निर्धारित कर दी जाय । 2008 से 2014..

अध्यक्ष : इन्होंने बता तो दिया अगले वित्तीय वर्ष में ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : नहीं, महोदय, जो खेल विकास समिति बननी है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बताइये ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि जल्द-से-जल्द इसको हमलोग करेंगे । हमलोगों ने महोदय, प्राधिकरण को पत्र भेजा है और जैसे ही वहां से मंतव्य आयेगा हमलोग...

अध्यक्ष : देखिए, माननीय सदस्या खेल के प्रति सजग हैं और बिहार में खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहती हैं । आप इसे प्राथमिकता में लें ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : जी, महोदय । माननीय सदस्या बराबर संपर्क में भी रहती हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि स्टेडियम का निर्माण तो हो रहा है लेकिन रख-रखाव अच्छी तरह से नहीं हो रहा है । स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ अगर वहां पर ट्रेनिंग और इक्यूपमेंट की व्यवस्था करा दें, क्या उनके पास कोई जानकारी है या उसका कोई प्लान है माननीय मंत्रीजी के पास कि ट्रेनिंग और इक्यूपमेंट वहां पर हो ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह विषय इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, बिल्कुल इसी प्रश्न से संबंधित है ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, हमलोग पूरे राज्य में 45 एकलव्य सेंटर बालक और बालिकाओं का हर खेल के लिए खोले हुए हैं । उसमें लगभग 35 संचालित हैं बाकी हमलोग और शुरू कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग हमलोग करते ही हैं हर जगह, जहां-जहां एकलव्य सेंटर है वहां प्रशिक्षण दिया जाता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ट्रेनिंग सेंटर की बात अलग है, उसकी जानकारी मुझे भी है । लेकिन मेरा कहना है कि जो स्टेडियम बन रहे हैं उसको सिर्फ बना देने से काम नहीं होता है, युवाओं की प्रतिभाएं नहीं निखरती हैं । वहां पर ट्रेनिंग और इक्यूपमेंट की व्यवस्था भी हो ताकि समूची प्रतिभा निखर कर बिहार का नाम रौशन करे ।

अध्यक्ष : ठीक है । आपका सुझाव ग्रहण कर लिए हैं ।

टर्न-10/हेमन्त/31.03.2022

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, जब स्टेडियम और खेल की बात आती है, तो इसमें खिलाड़ी इस चीज के पूरक होते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी देश के लिए अपना कीमती समय देते हैं और देश के लिए मेडल जीतते हैं, मेडल लेने के बाद क्या हमारी बिहार सरकार उनकी विभागीय स्तर पर नियुक्ति के लिए कोई योजना रखती है ?

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, वह तो हम लोग इसके लिए प्रत्येक वर्ष निकालते हैं, हम लोगों का जो सामान्य प्रशासन विभाग से खेल कोटा पर नियुक्ति तो होती ही है महोदय ।

अध्यक्ष : सरकार पूरी गंभीरता से इसको लेती है ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : जी महोदय ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : आप भी हैं ?

श्री नीतीश मिश्रा : जी, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, ठीक है । यही तो खूबसूरती है । इसमें आपको आपत्ति है क्या ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, समय-सीमा को भी मैं जान रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं कि विभाग के पास कठिनाई है कि इनके पास कोई मानक डिजाईन नहीं है । अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी बैठी हैं । 2009 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन्होंने उद्घाटन किया था । हमारे यहां एक स्टेडियम, इन्हीं के विभाग से राशि गयी थी, ग्रामीण कार्य विभाग ने उसका डिजाईन बनाया और उसका कन्स्ट्रक्शन किया और वह स्टेडियम नहीं वह एक दुकान की शेप है । अध्यक्ष महोदय, हम समझ रहे हैं कि ये जितनी भी राशि खर्च कर रहे हैं, तो या तो इनके पास कोई मानक डिजाईन नहीं है, वह मानक डिजाईन स्टेडियम का होना इनके पास अति आवश्यक है । दूसरा, ये स्टेडियम निर्माण किसको कहते हैं ? बड़े मैदान में एक छोटा सा स्टैंड ये बना देते हैं, उसको ये स्टेडियम मानते हैं या स्टेडियम किसको मानते हैं ? मैं स्टेडियम मानूंगा कि चारों तरफ स्टैंड बना रहे, वहां पर खिलाड़ियों के रहने की सुविधा हो, चेन्जिंग रूम हो, तो मेरी समझ से विभाग को इस तरह की योजना पर भी काम करना चाहिए और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, रख-रखाव । जैसे मेरे यहां अभी ललित कर्पूरी स्टेडियम नगर क्षेत्र में है, तो या तो आपके पास कोई खेल विकास समिति नहीं है, तो आप नगर प्रशासन को दे दें या आप प्रखंड प्रशासन को दे दें । एक शीशा टूटता है, उसको बदलने वाला कोई नहीं होता है अध्यक्ष महोदय । राशि खर्च करना एक एक्स्पेक्ट है । डिजाईन हम क्या बना रहे हैं, मानक अनुरूप है कि नहीं, हमारे खिलाड़ी कैसे आगे

बढ़ेंगे अगर हम उनको मानक स्तर का स्टेडियम नहीं देंगे । दूसरा, अगर सरकार की राशि खर्च हो रही है, तो मेंटेनेंस उसकी अगर नहीं होगी, तो वह तो खंडहर होता जायेगा । यह बहुत आवश्यक है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रख-रखाव करने के लिए और विगत, मुझको याद है कि 2006 से 2007 में मेरे यहां प्रथम बार राशि गयी थी स्टेडियम निर्माण के लिए । विगत 17-18 वर्षों में अगर स्टेडियम के रख-रखाव की नीति नहीं बनी हुई है, तो अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, जहां तक रख-रखाव की बात है, तो हमने बताया है कि हम लोगों ने इसकी प्रबंध समिति जिला में डी0एम0 की अध्यक्षता में बनायी है ।

अध्यक्ष : विधायक भी उसमें हैं ?

श्री आलोक रंजन, मंत्री : नहीं, विधायक नहीं हैं उसमें महोदय ।

अध्यक्ष : विधायक को भी उसमें रखें ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अगर कहा जायेगा तो फिर से हम उसकी समीक्षा करके और...

अध्यक्ष : उसमें विधायक को भी रखें, तो थोड़ा इन लोगों का भी इंटरेस्ट है । उसमें क्या आपत्ति है ?

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, उसमें बताते हैं । महोदय, जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष हैं, उप विकास आयुक्त सदस्य हैं, अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदस्य हैं, खेल प्रेमी चिकित्सक पुरुष एवं महिला क्रमश: 1+1 सदस्य हैं, स्थानीय पुरुष एवं महिला खिलाड़ी 2+2 सदस्य हैं, स्थानीय महिला पुरुष खेल प्रशिक्षक 2+2 सदस्य हैं, जिला खेल पदाधिकारी उसके सदस्य सचिव हैं महोदय । ये जिले के जो स्टेडियम हैं उसकी जो समिति बनी है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्टेडियम के मानक के संदर्भ में पूछे हैं, आप बतायें ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : प्रबंध समिति जो प्रखंड स्तर पर है वह अनुमंडल पदाधिकारी उसके अध्यक्ष हैं और बाकी सदस्य जो जिस प्रकार से बताये महोदय और मानक की..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट..

अध्यक्ष : सुन लीजिए पहले ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मानक की बात है, तो विभाग के द्वारा एक मॉडल बना हुआ है, जो आऊट डोर स्टेडियम बनाते हैं और उस मॉडल के हिसाब से बनाते हैं । लेकिन माननीय सदस्य जिस बात की चर्चा किये हैं उसमें कुछ दम है कि पहले जो बनता था उस समय किसी विभाग को भेज दिया जाता था । अब तो थोड़ा

उसमें सुधार किया है कि भवन निर्माण निगम या भवन निर्माण विभाग के द्वारा, लेकिन उसमें एक आवश्यकता है कि खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले जो इंजीनियर हैं, जो तकनीकी सहायक हैं, आने वाले समय में उनकी ट्रेनिंग कराकर और कोई भी खेल अवसंरचना जो बने, उस हिसाब से बने, आने वाले समय में इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप श्रेयसी जी बैठ जाइये, आपका तो हो चुका ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यावहारिक कठिनाई है जिससे सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे । हमारा प्रश्न आता है जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गयी है, आप भी लगकर जल्दी भिजवा दीजिए । 6-6 महीने से स्टेडियम की रिपोट नहीं आती है, 1-1 साल, 2-2 साल, जिला प्रशासन की कोई रुचि नहीं होती है । जिस जिलाधिकारी की स्पोर्ट्स में रुचि होती है, वह इच्छा लेकर बढ़ाते हैं बाकि जिलाधिकारियों की कोई रुचि स्पोर्ट्स में नहीं होती है और अध्यक्ष महोदय, जो समिति है, उसमें प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर माननीय सदस्यों को रखें और जिला स्तर की जो कमेटी है, जिला स्तर पर माननीय सदस्यों को रखने में, मेरी समझ से पदेन सदस्य के तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सदस्यों को उस समिति में, जिला स्तरीय समिति में बिहार विधान मंडल के सदस्यों को ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : इस पर हम विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय और हमारा प्रयास होगा कि आप..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं । जिनका इसमें नाम नहीं है, उनको इसमें अनुमति नहीं मिलेगी ।

(व्यवधान)

श्री आलोक रंजन, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा कि हम लोग उस पर विचार करेंगे । तो विचार करेंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : केशरी जी, आपका नाम नहीं है इसमें । आपका नाम नहीं है, बैठ जाइये ।

आप एक बार मंत्री जी, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज हमारे दो तिहाई के लगभग युवा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से जुड़ें, तो इसको गंभीरता से लें और एक बार माननीय विधायक को इसकी जानकारी मिले, तो इसमें नीतिगत निर्णय आपको करना है और आप इस पर गंभीरता से विचार करें ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : जी, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपका है क्या ? आप क्यों बोल रहे हैं ? बैठ जाइये ।

श्री ऋषि कुमार : बिहार की दो प्रतिभायें पैरालम्पिक्स में मेडल लेकर आयीं । एक को गोल्ड मिला, एक को ब्रॉन्ज मिला, भारत सरकार ने सम्मानित किया उनको...

अध्यक्ष : यह सूचना के समय दें । अभी यह प्रश्न चल रहा है । माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री राकेश कुमार रौशन, रणविजय साहू एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''राज्य में अपराध की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है, जिसका ताजा उदाहरण दिनांक-24.03.2022 को संध्या 6 से 7 बजे के बीच में राजधानी पटना से सटे शहर हाजीपुर के बसंत बिहारी लाईन होटल, हाजीपुर के मालिक श्री विवेक चौरसिया की गोली मार कर हत्या कर दी गयी साथ ही निर्दोष खाना-खाने वाले ग्राहक श्री लाला राय की भी हत्या कर दी गयी । ऐसी अन्य कई घटनाएं रोज दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं ।

अतः राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में प्रतिवेदित कांडों के अनुसार राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है । अपराध की स्थिति नियंत्रित है । वैशाली जिलान्तर्गत बसंत बिहारी लाईन होटल औद्योगिक क्षेत्र, वैशाली के पास दिनांक- 24.03.2022 को संध्या लगभग 7-8 बजे दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा विवेक कुमार एवं लाला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी । उक्त घटना के संदर्भ में मृतक विवेक कुमार के भाई लाल बाबू चौधरी के फर्द बयान के आधार पर दो अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध औद्योगिक थाना कांड सं0- 50/2022, दिनांक- 24.03.2022 धारा 302/34 भारतीय दंड विधान एवं 24 आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है । कांड का उद्भेदन एवं हत्यारों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एस0आई0टी0 गठित की गयी है । शीघ्र ही कांड का उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी कर ठोस कार्रवाई की जायेगी । पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व में इस प्रकार के कई कांडों में अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गयी है । (क्रमशः)

टर्न-11/धिरेन्द्र/31.03.2022

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस प्रशासन मुस्तैद है । सभी वरीय पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर घटित घटनाओं से संबंधित कांडों की लगातार समीक्षा का निर्देश दिया जाता है । थाना स्तर से सघन रूप से गश्ती, छापेमारी एवं कांडों का उद्भेदन कर गिरफ्तारी की जा रही है । अपराध रोकने हेतु आसूचना संकलन की जाती है । प्रमुख चौक-चौराहे पर सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा लगाया गया है जिसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर कार्रवाई की जाती है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । महोदय, राज्य की विधि-व्यवस्था प्रतिदिन गिरती जा रही है और इस प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का विस्तार से सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं, महोदय । जिस गंभीरता के साथ हमने इस ध्यानाकर्षण को लाया है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि अपराध में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन बिहार के अंदर जो अभी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन घटनाएं नहीं हो रही हैं । उसके बाद ये सिर्फ कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है लेकिन महोदय जो स्थिति है बिहार में पुलिस का, पुलिस का जो सिस्टम है....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, वही बात कह रहे हैं कि पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस का पूरा सिस्टम ही यहां फेल है ....

अध्यक्ष : नहीं । आप पूरक पूछिये । आपका क्या पूरक है ?

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, जरा बोलने का समय दीजियेगा तब न ।

अध्यक्ष : प्रश्न के पूरक का समय है, वाद-विवाद का समय नहीं है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी सदन में बता रहे हैं कि अपराध की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है । किस आधार पर ये बता रहे हैं कि अपराध की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकारी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से वृद्धि नहीं हुई है लेकिन घटनाएं हो रही हैं और महोदय, घटना जो होती है उसके लिए सरकार भी चिंतित है । दुखद घटनाएं हो रही हैं ।

अध्यक्ष : उस पर कार्रवाई भी की जा रही है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, कार्रवाई भी हो रही है और जो तकनीकी है उसके हिसाब से अपराधी चिन्हित किये जायेंगे और अपराध करने वाले शीघ्र-अतिशीघ्र पकड़े भी जायेंगे । अपराध कर बगल के राज्यों में अपराधी चले जाते हैं और इसमें नाम से एफ0आई0आर0 भी नहीं है । नाम से एफ0आई0आर0 होता है तो वह जल्दी से पकड़ा जाता है लेकिन महोदय, अज्ञात मुकदमे हुए हैं तो अगल-बगल के राज्य में भी ये लोग चले जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है और महोदय, समय लगेगा लेकिन अपराधी किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, हर हालत में पकड़े जायेंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मेरा और भी पूरक है ।

अध्यक्ष : तीसरा पूरक पूछिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, दूसरा पूरक पूछ रहे हैं, अभी तो पहला ही पूछे थे । बिहार में जो इन्वेस्टीगेशन की प्रक्रिया है, बराबर सरकार की तरफ से जवाब आता है कि कार्रवाई की जा रही है लेकिन महोदय, बिहार में टीम इन्वेस्टीगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है । किसी भी कांड के अनुसंधान के लिए एकमात्र अनुसंधानक बना दिया जाता है ।

अध्यक्ष : विषय से जो जुड़ा हुआ है, वही पूछिये । यह विषय नहीं है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, वही पूछ रहा हूँ । उस अनुसंधान टीम में जिन विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिए था, उन विशेषज्ञों को नहीं रखा जा रहा है ।

अध्यक्ष : अलग से उसका प्रश्न ले आइयेगा ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं, महोदय । मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि बिहार में वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था क्या सरकार करना चाहती है ?

अध्यक्ष : आपका विषय इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है । श्री रणविजय जी ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, दिल्ली पुलिस और दूसरा सी॰बी॰आई॰ के लोग इन्वेस्टीगेशन करते हैं .....

अध्यक्ष : आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई पूरक है तो पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

अब श्री रणविजय जी को बोलने दीजिये ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय....

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, हमारा तीन पूरक है, पूछने दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप इस विषय से जुड़ा हुआ पूरक पूछे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, इसी से तो पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, बिहार सरकार अपराध रोकने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वैज्ञानिक अनुसंधान तो आप लोग कर ही रहे हैं । नयी टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग व्यवस्था बना ही रहे हैं ।

(व्यवधान)

अलग से पूछियेगा तो ये तैयारी कर के आयेंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, कहां व्यवस्था हो रही है । जितनी जगहों पर....

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू जी ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, राज्य में ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । आप ही के साथ उनका भी साइन है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई, जो सरकार काम कर रही है और इससे इतर कोई उनके दिमाग में अच्छा सुझाव है तो माननीय सदस्य सरकार को लिखित में दे दें । उनके सुझाव पर सरकार अमल करेगी।

अध्यक्ष : ठीक है, लिख कर दे दें । श्री रणविजय जी ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, राज्य में व्यवसाय अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं लेकिन आज ....

अध्यक्ष : इस प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय ही रखें, अलग से कोई नया प्रश्न नहीं रखें । सरकार उसके जवाब की तैयारी नहीं की है । इस पर हस्ताक्षर है इसलिए आपको पूरक पूछने का मौका मिला है ।

श्री रणविजय साहु : महोदय, पूरक है । कल ही एक व्यवसाय प्रमोद बांगला जी को रंगदारी नहीं देने के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके पुत्र को भी गोली लगी है, उनके मुंशी को भी गोली लगी है ।

अध्यक्ष : यह तो शून्यकाल में आप उठाइये चूंकि लोक महत्व का है । इससे पूरक कुछ है क्या । नहीं है । श्री मुकेश जी ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, बिहार में डबल इंजन की सरकार है । तथाकथित सुशासन बाबू के राज में लगातार अपराध की घटनाएं घट रही हैं । महोदय, जो विवेक चौरसिया की हत्या हुई है और जो लाला राय की हत्या हुई है, महोदय, लाला राय के छोटे-छोटे चार बच्चे हैं पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाय और जो लाला राय की पत्नी

हैं उनको सरकारी नौकरी सरकार दे और उनके छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश के लिए कम-से-कम सरकार 10 लाख रुपये की मुआवजा दे ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका सुझाव सरकार ग्रहण की है ।

<u>याचिकाओं का उपस्थापन</u>

अध्यक्ष: सभा सचिव ।

सभा सचिव: माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 436 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब सदन की सहमति से शेष शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री राजीव कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, तारापुर विधान सभा अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत में थेवई गाँव के नजदीक बरूआ नदी के ऊपर आमजनों की परेशानी को देखते हुए जनहित में पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, सहरसा नगर क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं चहारदीवारी के अवैध निर्माण पर रोक लगाने एवं नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राजस्व के व्यापक लूट की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज विधान सभा (157) के अंतर्गत असियाचक पंचायत में यथाशीघ्र पंचायत सरकार भवन बनवाया जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया माधोपाड़ा वर्मा सेल तथा पूणिया कोर्ट हवाई अड्डा जमीन पर वर्षो से बसे सैंकड़ो भूमिहीन परिवार को प्रशासन द्वारा बेघर किया जा रहा है ।

अत: मैं सरकार से वर्षों से उक्त स्थान पर बसे भूमिहीन गरीब परिवारों को विस्थापित करने से पूर्व सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के सभी जन वितरण (प्रणाली) दुकानदारों द्वारा सी०सी०टी०वी० कैमरा की निगरानी में लाभार्थियों को अनाज का वितरण कराया जाय, जिसकी मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज शहर बरसात के मौसम में बरसों से साल में 4 महीने टापू में तब्दील हो जाता है और शहर से बाहर निकलने के सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं । जिसमें नरकटियागंज से बलथर, चनपटिया, रामनगर, भिखना ठोरी एवं लोरिया रोड आते हैं ।

अत: शहर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराते हुए, रोड का उच्चीकरण करते हुए आवश्यकतानुसार पुल-पुलिया एवं लचका का निर्माण कराने की मांग करती हूँ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज एवं नरपतगंज विधान सभा का एकमात्र अंगीभूत डिग्री कॉलेज फारबिसगंज कॉलेज है । क्षेत्र के लगभग बीस हजार छात्र-छात्रा स्नातकखण्ड में नामांकन हेतु आवेदन करते हैं, परन्तु कॉलेज में आवंटित सीटों की संख्या मात्र 3300 के करीब है जिसके कारण अच्छे छात्र-छात्राओं का भी नामांकन नहीं हो पाता है ।

अत: कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग सदन से करता हूँ ।

डा० सी० एन० गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर में बेखौफ अपराधियों ने सोमवार दिनांक-28.03.2022 को दिनदहाड़े काशी बाजार स्थित पी०एन० ज्वेलर्स में धावा बोलकर स्टाफ को पिस्तौल के बल पर एक करोड़ से अधिक जेवरात लूट लिए गये । उक्त कांड के अपराधियों को पकड़ने एवं जेवरात की बरामदगी हेतु सूचना हूँ ।

टर्न-12/संगीता/31.03.2022

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरा प्रखण्ड में बरनर नदी पर टीहिया-दिनारी से कोदवारी-मंझगांय घाट पर शीघ्रातिशीघ्र पुल निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मिथिला क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा में बन रहे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लहेरिया सराय दरभंगा अभी तक चालू नहीं होने के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जिसे शीघ्र चालू करवाने हेतु सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, कलवार वैश्य एवं सूरी वैश्य जाति झारखण्ड एवं उड़ीसा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा बंगाल में सूरी वैश्य जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है । बिहार में ये दोनों उपजातियां पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हैं ।

अत: इनकी शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति के मद्देनजर इन्हें अतिपिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाय ।

श्री निरंजन राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों, प्राथमिक एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि जगहों पर 1638 परिधापक (ड्रेसर) के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने हेतु यथाशीघ्र वैकेन्सी निकालकर जनहित में बहाली की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के रघुनाथपुर उत्तर पंचायत के शेखपुरा गांव स्थित वार्ड नं0-7 में बेलसारा वितरणी के 23 आर डी पर बने जर्जर पुल के पुनर्निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2014 में की गयी थी । इनका मानदेय 19720 रुपये है जो अन्य इनके अन्य समकक्ष योग्यताधारी से बहुत कम है ।

अत: अन्य समकक्ष के अनुरूप इनका 50,000 रुपये वेतनमान निर्धारित करने की मांग करती हूं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखण्ड के काजीचक छिलका के पास तेइसी नहर में पुल नहीं होने से हैदरचक ग्राम बरसात के दिनों में प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि काजीचक छिलका के पास तेइसी नहर में पुल का निर्माण करावें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिले के ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र में हॉस्पीटल चौक से नीम चौक तक नाला नहीं रहने के कारण बरसात में सैकड़ों दुकानों एवं घरों में जल जमाव हो जाता है, जिससे सैकड़ों परिवारों को विस्थापित होना पड़ता है ।

अत: जनहित में शीघ्र नाला निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 30 मार्च को दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत बलभद्रपुर निवासी जटाशंकर चौधरी एवं पटना सिटी चौक थानान्तर्गत प्रमोद बागला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी एवं स्पीडी-ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, N.H. 227L कलुआही-उमगांव पथ भाया बासोपट्टी का निर्माण कार्य अवरूद्ध है । एक वर्ष छ: माह पूर्व कार्य आरंभ हुआ था, परन्तु पूरा नहीं हुआ यातायात प्रभावित है । शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु संवेदक पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री ऋषि कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अंचल के दाउदनगर नासरीगंज सोन पुल पहुंच पथ मौजा तरारी में सड़क निर्माण हेतु पूर्व सरेखण से अधिक भूमि पर सड़क निर्माण किया जा रहा है । सरेखण से अधिक भूमि पर सड़क निर्माण में गए हुए भूमि का भूस्वामियों का अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करावें।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने की चिरप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं होने के कारण दिनांक 22.03.2022 से भागलपुर के घंटाघर चौक पर लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है ।

अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ कर धरना समाप्त कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत जी0टी0-02 बाराचट्टी से मोहनपुर सड़क जो दो प्रखण्डों के अलावा कई प्रखण्डों को जोड़ने का काम करती है, अत्यन्त जर्जर है । इस सड़क पर छोटे से भारी वाहनों का काफी दबाव है और आम जनता काफी परेशानी में है ।

मैं तत्काल इस सड़क के निर्माण की मांग सदन से करती हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर थाना के मकन्दपुर निवासी प्रशांत कुमार राय के पुत्र शुभम राय सोमवार 28 मार्च से ही लापता है । थाने में केस दर्ज है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है ।

अतः शुभम राय की सकुशल बरामदगी की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज खेल पर और विधि व्यवस्था सहित कई गंभीर प्रश्नों पर चर्चा हुई । आप सबों ने बहुत गंभीरता के साथ विमर्श किया । इसके अलावा इस लंबे बजट सत्र में सदन में आपकी सकारात्मक भूमिका रही है । आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/सुरज/31.03.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक-1 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के तर्ज पर बिहार राज्य के प्रत्येक नगर निकायों के बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में पांच सामाजिक कार्यकर्त्ता मनोनीत करे ।''

अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने प्रस्ताव दिया है बिहार में भी नगरपालिका एक्ट में पहले प्रावधान था कि पांच सदस्य जो हैं वार्ड पार्षद के रूप में मनोनीत किये जाते थे और उसके बाद प्रावधान अभी हटा दिया गया है । देश में, अभी हम उत्तराखंड गये थे, छत्तीसगढ़ गये थे, उत्तर प्रदेश गये थे, पंजाब गये थे, देश के कई राज्यों में अध्यक्ष महोदय सभी का समावेश हो सके इसके लिये देश के कई राज्यों में यह प्रावधान है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी अधिनियम में जो प्रावधान नहीं है, पूर्व में अधिनियम में प्रावधान था इसलिये पूर्व की तरह, मैंने लिखकर भी दिया था पूर्व की तरह पता नहीं कैसे यह कट गया है इसमें इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिनियम में संशोधित करके पांच सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का प्रावधान करें, मेरा यह कहना था ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में नगरपालिकाओं के बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्त्ता को पदेन सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान नहीं है । अतएव नगर निकायों के बोर्ड में पांच सामाजिक कार्यकत्ताओं को पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता है इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें और आपसे आग्रह है हुजूर हमारा 5-7 पढ़ना है और बहुत अति आवश्यक कार्य से मुजफ्फरपुर जाना है तो अगर आप...

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, प्रावधान रहता तो हमलोग गैर सरकारी संकल्प लाते ही क्यों? प्रावधान पूर्व में था और देश के...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैंने अभी प्रस्ताव वापस नहीं लिया है । अध्यक्ष महोदय, अगर प्रावधान रहता तो विधान सभा में मामला उठाने की जरूरत ही नहीं थी और देश के कई राज्यों में है और बिहार में भी पुराने नगरपालिका एक्ट में प्रावधान था इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जरा सकारात्मक लें । एक बार और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जरा सकारात्मक सोचते हुये कुछ बोल दें ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि इसको वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले रहे हैं ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वापस तो करना ही है लेकिन...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री संजय सरावगी : एक हजार सामाजिक कार्यकर्त्ता का एडजस्टमेंट हो जाता अध्यक्ष महोदय, मेरा यही विचार था ।

<u>क्रमांक-2 : मो0 आफाक आलम, स0वि0स0</u>

मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के गुड़ही के कमरौली मौजा को चकबंदी नियम के तहत-26 ''क'' प्रपत्र के अनुरूप कमरौली मौजा में किसानों को पोजीशन दिलावे ।''

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक सूचना देना चाहते हैं । हमारे माननीय विधायक सी0पी0आई0(एम0एल0) के लोग बाहर धूप में बैठे हुये हैं । हम आग्रह करेंगे आसन से कि सूचना देकर उनको बुलवा लिया जाता सदन में ।

अध्यक्ष : जाइये, आप ही अधिकृत हैं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थिति में बिहार जोतों का समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 से आच्छादित राजस्व ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के तहत कार्यों के संपादन में रैयतों को विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसी समस्या के अंतर्गत वैसे राज्य ग्राम जिन्हें चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत अनाधिसूचित हो जाने के पश्चात भी मौजे के रैयत वास्तविक दखलकार नहीं हैं । उन क्षेत्रों के रैयतों को कोई वैधानिक समस्या उत्पन्न न हो, के हित को देखते हुये चकबंदी अधिनियम में वर्तमान प्रावधान के तहत इस बिंदु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है । प्राप्त परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत है :

Since the government has already passed special survey and settlement act, 2011 under this act government is impart to issue notification under section 34 carrying out survey in the state. Further section 20 of the act is made as overwriting effect over other clause.

Further state government is proposed to initiate conciliation proceeding after completion of special survey under section 6 of the special survey and settlement act, 2011 landholders and owner had to submit declaration of land owned hold by them in a form to thereafter as per section 9 khanapuri work will be done and further under section 11 records of right will be published since....

अध्यक्ष : बहुत लंबा जवाब है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : Khanapuri party has given power to examine all the claims objection. अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

मो0 आफाक आलम : इसमें कहना है...

अध्यक्ष : अब मंत्री जी इतना लंबा जवाब दे दिये हैं ।

मो0 आफाक आलम : इसमें कहना है अध्यक्ष जी कि ये जो 26(क) गठित हुआ है, चकबंदी जो हुआ है, उस चकबंदी में पोजीशन नहीं मिला लेकिन नया नक्शा और नया में रजिस्ट्री भी होता है, सब कुछ नये से हो रहा है लेकिन पोजीशन नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी लंबा जवाब पढ़े हैं आप ही के लिये, गंभीर हैं । वापस ले रहे हैं आप ?

मो0 आफाक आलम : माननीय मंत्री जी...

अध्यक्ष : वापस ले रहे हैं ?

मो0 आफाक आलम : पोजीशन दिलायेंगे जमीन पर ? चकबंदी करा के 26(क) गठित हो गया है...

अध्यक्ष : आप वापस ले रहे हैं आफाक साहब ?

मो0 आफाक आलम : हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि पोजीशन दिलायें...

अध्यक्ष : आपके आग्रह को संज्ञान में लिये हैं । आप वापस ले रहे हैं ?

मो0 आफाक आलम : ठीक है, सर मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-3 : श्री बच्चा पाण्डेय, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-4 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखण्ड अंतर्गत सरौगढ़ से लखौरा रोड में सरौगढ़ हहवा नाला पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित सरौगढ़ से आमगाछी डीह महुआई पथ होते हुये

लखौरा पथ से हहवा नाला पर अवस्थित है, जहां पुलिया की आवश्यकता है । आमगाछी में डीह महुआई पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । पुनरीक्षित प्राक्कलन में अभिस्तावित पुल स्थल पर पुलिया निर्माण का प्रावधान किया जा रहा है तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट आई है वह दूसरी तरफ मोड़ करके दी गई है । यह हहवा नाला की बात है जो जिला को जोड़ती है । 10 पंचायत ऐसे हैं जो लखौरा से जाने में 5 किलोमीटर की दूरी होगी ऐसे 25 किलोमीटर की दूरी घूमकर लोगों को जिला जाना पड़ता है । वह जो पुल का दे रहे हैं रिपोर्ट वह अलग चीज है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सी0पी0आई0(एम0एल0) के माननीय सदस्य आ गये हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : हम लेंगे सर लेकिन मंत्री जी को जानकारी दे दें...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ, प्राधिकृत हैं श्री राजेश कुमार ।

क्रमांक-5 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के पूर्वी भाग के सभी पंचायतों को मिलाकर बलिया बलौन को प्रखण्ड का दर्जा दिलावे ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष : धन्यवाद है । माननीय सदस्य, सदन के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार हैं और अच्छा है कि भागीदारी करनी चाहिये, कई प्लेटफार्म मिलते हैं उचित प्लेटफार्म का उपयोग करना चाहिये ।

श्री ललित कुमार यादव : आपके आग्रह को इन्होंने मान लिया ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उसमें भी वैसे सदस्य जो पूरे सदन के महबूब हों वही सदन में नहीं रहेंगे तो किसको अच्छा लगेगा ?

टर्न-14/राहुल/31.03.2022

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माले के माननीय सदस्य आ गए हैं आपने जो निदेश दिया उसके हिसाब से, बहुत अच्छा लग रहा है । महोदय, कटिहार जिलांतर्गत कदवा प्रखंड के बलिया बलौन को नए प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ में अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-6 : श्री शाहनवाज, स0वि0स0

श्री शाहनवाज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के जोकीहाट से दलमालपुर होते हुये पूर्णिया सीमा तक की सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत संकल्पाधीन पथ जोकीहाट-दलमालपुर की कुल लंबाई 12.30 किलोमीटर है एवं सिंगल लेन पथ है । यह पथ जोकीहाट से प्रारम्भ होकर दलमालपुर तक समाप्त होता है । आर0ओ0डब्ल्यू0 810 मीटर है । अतएव पथ के चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन की भी आवश्यकता होगी तो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण का विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री शाहनवाज : ठीक है महोदय, मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 7: श्री संजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के लालगंज, भगवानपुर प्रखंडों की कृषि योग्य भूमि पर जल जमाव से मुक्ति हेतु ठोस कदम उठावे ।''

हुजूर किसानों की समस्या है, हजारों किसान इससे प्रभावित हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, संकल्प का बाद में उत्तर दिया जायेगा तब तक आगे बढ़ा दें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

क्रमांक-8 : श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय प्रखंड अंतर्गत दलसिंहसराय से समस्तीपुर जाने वाली पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क की रेलवे गुमटी संख्या-33 पर ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय-समस्तीपुर पथ पर रेलवे गुमटी संख्या-33 अवस्थित है । उक्त आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुशंसा की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : धन्यवाद महोदय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-9 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद-पटना पथ एन0एच0-139 पर ट्रैफिक की समस्या के निवारण हेतु चार लेन सड़क निर्माण करावे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद-पटना पथ एन0एच0-139 पर वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-98 (नया 139) के एम्स, पटना से नौबतपुर तक सोन कैनाल के किनारे पेभ्ड सोल्डर सहित अतिरिक्त दो लेन सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित है जो दिनांक-22.03.2022 तक प्राप्त की जा रही है । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नौबतपुर से दाउदनगर तक सोन कैनाल के बगल में पेभ्ड सोल्डर सहित सड़क निर्माण कार्य एवं दाउदनगर से हरिहरगंज, झारखण्ड सीमा तक मौजूदा एन0एच0-139 को चार लेन किये जाने का भी प्रस्ताव है । उक्त प्रस्ताव के आलोक में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु डी0पी0आर0 परामर्शी की नियुक्ति हेतु निविदा भी आमंत्रित की जा रही है । डी0पी0आर0 परामर्शी से संभाव्यता

प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत तकनीकी मूल्यांकन कर समुचित निर्णय लिया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव जी, प्राधिकृत हैं श्री भीम कुमार सिंह ।

क्रमांक-10 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखण्ड नानपुर के ग्राम-ददरी में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिलावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड नानपुर के ग्राम ददरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र नवसृजित किया गया है, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां निर्माण कार्य अब तक नहीं किया जा सका है । भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निदेशित किया गया है । नवसृजित स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि उपलब्ध होने पर इसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा जिसमें 14 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी । इसे अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिये जाने की कोई भी योजना अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, उप स्वास्थ्य केंद्र पहले से स्वीकृत है और ददरी ग्राम की जनसंख्या एक हजार से अधिक है इसलिए...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री भीम कुमार सिंह : वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-11 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

श्री बागी कुमार वर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिले के कुर्था प्रखण्ड अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लालाचक के निर्माणाधीन अर्द्धनिर्मित भवन का कार्य पूर्ण कराकर विद्यालय का संचालन करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इसको वापस लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हो गया न ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है अगले वित्तीय वर्ष में करायेंगे अभी प्रस्ताव वापस लेंगे तब न काम होगा आगे ।

श्री बागी कुमार वर्मा : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-12 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद के सुभाष चौक रेलवे क्रोसिंग पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद के सुभाष चौक रेलवे क्रोसिंग पर आर0ओ0बी0 फ्लाईओवर का निर्माण (एल0सी0-65, फारबिसगंज एवं बथनाहा के बीच) के लिए जी0ए0डी0 स्वीकृति की प्रक्रिया में है । जी0ए0डी0 की स्वीकृति के उपरांत डी0पी0आर0 का निर्माण किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर निविदा के माध्यम से आर0ओ0बी0 निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विद्या सागर केशरी : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 64 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये, माननीय मंत्री जी ने तो सकारात्मक जवाब दिया है, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, कब डी0पी0आर0 समर्पित हो जायेगा...

उपाध्यक्ष : डिबेट इसमें नहीं होती है, माननीय मंत्री की बात सुन लिये, मंत्री जी ने विस्तृत रूप से बताया है इसलिए अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस पर भारी जाम की स्थिति बनी रहती है, उस पर नेपाल का आवागमन बहुत ज्यादा होता है इसलिए इस पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करा दिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा, प्राधिकृत हैं श्री निरंजन राय ।

क्रमांक-13 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री निरंजन राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत प्रखंड फुलवारीशरीफ, नगर परिषद वार्ड संख्या-28 का ब्रह्मपुर-रानीपुर मुख्य सड़क स्थित श्री राजेश्वर यादव के मकान से उत्तर पश्चिम दिशा स्थित श्री उदयकान्त झा के मकान होते हुये श्री लालबाबू साह के मकान तक की कच्ची सड़क को ऊंचा कराकर नाला सहित सड़क का पक्कीकरण करावे ।"

टर्न-15/मुकुल/31.03.2022

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राजेश्वर यादव के मकान से उत्तर पश्चिम दिशा स्थित श्री उदयकान्त झा जी के मकान होते हुए श्री लालबाबू साह के मकान तक बचे हुए नाला सहित सड़क जिसकी लम्बाई 815 फीट एवं चौड़ाई 12 फीट है, का प्राक्कलन तैयार करने का निदेश कनीय अभियंता नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ को दे दिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर परिषद् फुलवारीशरीफ को पंचम राज्य वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि क्रमश: 7 करोड़ 59 लाख 55 हजार 127 रुपये तथा 7 करोड़ 4 लाख 84 हजार 324 रुपये प्राप्त हुई है । इस आवंटित राशि से सड़क एवं नाला निर्माण भी कराया जा सकता है । यदि नगर निगम फुलवारीशरीफ से बोर्ड द्वारा सड़क एवं नाला निर्माण की योजना को पारित किया जाता है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद् फुलवारीशरीफ द्वारा किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आधा रोड बना हुआ है और आधा बाकी है, मार्च का महीना समाप्त हो गया है लेकिन आज भी वहां पर जल-जमाव है और वहां पर आज भी लोगों का चलना दुभर है तो माननीय मंत्री जी आश्वस्त करें कि यह निश्चित रूप से हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी हमें आश्वस्त कर दें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-14 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत की ओर से प्राधिकृत हैं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-चरोखरीगढ़ के अंतर्गत ग्राम-तेतरिया बंदरा के बीच पैमार नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित ग्राम बन्दरा असम्पर्कित बसावट है । पैमार नदी के एक ओर तेतरिया बसावट है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ "राजा बिगहा से तेतरिया" द्वारा सम्पर्कित है तथा नदी के दूसरी ओर प्रश्नगत बसावट बंदरा है, जिसे बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय मोबाइल एप के माध्यम से सर्वे कर लिया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-21727 है । इस पथ का नाम तेतरिया गनीपिपरा पथ से बन्दरा एवं लम्बाई 1.00 कि0मी0 है । समीक्षोपरांत पथ के साथ पुल निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह गांव झारखंड के बोर्डर से सटा हुआ है । इस पुल के बन जाने से झारखंड, बाराचट्टी विधान सभा और फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में आने-जाने में लोगों को सुविधा होगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके संकल्प में यह सब तो लिखा हुआ है ही । आप संकल्प वापस ले लीजिए । माननीय मंत्री जी ने इतना विस्तृत रूप में जवाब दे दिया है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-15 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

श्री कुमार शैलेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत बीहपुर विधान सभा के म्रैचा-रतनपुरा, लोकमानपुर, दोढ़िया-दादपुर सिंहकुंड कालुचक, चोरहर, कहारपुर, गुआरीडीह में कोसी नदी के तेज बहाव से इन गांवों को बचाने के लिए कटाव निरोधक कार्य करावे ।"

महोदय, म्रैचा से थोड़ा आगे ही एक 50 करोड़ की लागत से पुल बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बनाया है और यदि म्रैचा को नहीं बचाया गया तो वह पुल हैंग कर जायेगा । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्य करावे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

माननीय मंत्री जी दूसरे सदन में हैं । जब वह आ जायेंगे तो इसका उत्तर दे देंगे ।

क्रमांक-16 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण के बगहा से पूर्वी चम्पारण के बगहा से केसरिया संग्रामपुर कल्याणपुर प्रखण्ड होते मुजफ्फरपुर तक तिरहुत मुख्य नहर का पक्कीकरण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

माननीय मंत्री जी दूसरे सदन में हैं ।

क्रमांक-17 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत देसरी बाजार में अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत चांदपुरा-भटौलीया-देसरी-महुआ पथ के 5वें कि0मी0 में आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु फिजिब्लिटी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है । समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि इसको जल्द-से-जल्द बनवाने की सिफारिश करे, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-18 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

श्री राणा रणधीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखण्ड के इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ मेहसी प्रखंड के ओझिलपुर को एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत भूषण सिंह के घर से बुढ़ी गंडक बांध तक निर्मित पथ से एवं दूसरी ओर मधुबन प्रखंड के चकचौहनिया बसावट को एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत चकचौहनिया से साव टोला पथ से सम्पर्कता प्राप्त है ।

सम्प्रति विभाग द्वारा सभी योग्य बसावटों को बारहमासी सड़क से एकल सम्पर्कता प्रदान किया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त रहने के कारण अभिस्तावित पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राणा रणधीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव वापस ले लूंगा लेकिन सरकार ने छ: हजार से ज्यादा पुलों का निर्माण करवाया है । मंत्री जी आगे इसको ध्यान में रखें और यह पुल भी बन जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-19 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-20 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडल व्यवहार न्यायालय सह आवासीय परिसर का भवन निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग । विधि विभाग को ट्रांसफर है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना (ढाका) अनुमंडल में न्यायालय भवन एवं आवासीय भवन के

निर्माण हेतु चयनित 6.00 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही भवनों के निर्माण से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

रक्सौल एवं चकिया अनुमंडलों के लिए न्यायालय भवनों एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय की सहमति हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को भेजा गया है । माननीय उच्च न्यायालय की सहमति/निदेश प्राप्त होने के उपरांत तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

पकड़ीदयाल एवं अरेराज अनुमंडलों के लिए उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव जिला प्रशासन से अप्राप्त है, इस हेतु समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को क्रमश: अंतिम स्मार विभागीय पत्रांक-6749, दिनांक-14.12.2021 एवं पत्रांक-4099, दिनांक-03.08.2021 द्वारा किया गया है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्ताव वापस लेने की कृपा की करें।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, विभाग द्वारा तैयार किया हुआ जवाब है जिसको बिल्कुल असत्य कहा जायेगा । महोदय, महालेखाकार द्वारा 17 करोड़ रुपया जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण को व्यवहार न्यायालय की जमीन अधिग्रहण हेतु सिकरहना का उपलब्ध करा दिया गया है । मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन का प्रोसेस हो रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से आग्रह कर लीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर जवाब ही गलत होगा तो हम आग्रह करके क्या करेंगे । आखिर यह बात संज्ञान में तो मंत्री जी को ही देना पड़ेगा । पूर्वी चम्पारण में छ: अनुमंडल है, दो अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय संचालित होता है, सिकरहना और अरेराज में, बाकी जगह संचालित नहीं होता है । सरकार का कहना है कि जहां व्यवहार न्यायालय संचालित होगा वहीं भवन बनाया जायेगा और वहां पर तो जमीन अधिग्रहण के लिए राशि भी चली गई है । माननीय मंत्री जी यह तो बता दें कि कब तक भवन निर्माण हो जायेगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गैर सरकारी संकल्प है, इसमें डिबेट नहीं होता है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार का जवाब गलत आयेगा तो हमलोग क्या करेंगे, उसी को मानकर वापस कर लें ?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से विशेष आग्रह कीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब सुधारना भी तो पड़ेगा । हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि जवाब में सुधार कराया जाय और सरकार का यह नियम है कि भवन निर्माण वहीं होगा जहां पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है । अगर माननीय मंत्री जी इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में बनवा दें । हम अपना संकल्प वापस कर लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/यानपति/31.03.2022

क्रमांक-21 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-22 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के पूर्वी छोर पर अवस्थित तथा उप राजधानी बनने की सारी अहर्ताओं को पूरा करने वाले भागलपुर को राज्य की उप राजधानी घोषित करे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, भागलपुर को उप राजधानी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अजीत शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, कोई संकल्प वापस का सवाल, यह पुरानी परिचित चीज है भागलपुर को उप राजधानी बनाने की बात काफी दिनों से हो रही है और आप भी बगल से जुड़े हुए हैं, आप भी पढ़ाई-लिखाई किए । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको बनवाने की दिशा में कार्रवाई करें ।

उपाध्यक्ष: ठीक है । प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा: नहीं सर, वापस नहीं लेंगे सर ।

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा: नहीं, हम वापस नहीं लेंगे ।

उपाध्यक्ष: रिक्वेस्ट करते हैं प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा: प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे सर ।

उपाध्यक्ष: एक बार और आग्रह है माननीय सदस्य से कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा: नहीं, प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे सर इनको आश्वासन देना होगा ।

उपाध्यक्ष: ठीक है ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के पूर्वी छोर पर अवस्थित तथा उप राजधानी बनने की सारी अहर्ताओं को पूरा करने वाले भागलपुर को राज्य की उप राजधानी घोषित करे ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-23 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, प्राधिकृत हैं श्री राकेश कुमार रौशन ।

क्रमांक-24 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

श्री राकेश कुमार रौशन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के सदर प्रखण्ड के धोई, खुटवारा, दिवारी के हजारों एकड़ चौर में जल जमाव की निकासी हेतु पक्की नाला का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

(माननीय मंत्री अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी आ जाएंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक-25 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखण्ड के सिंघपा पंचायत के ग्राम परसाही में उपलब्ध 22 एकड़ जमीन सरकारी जमीन में केंद्रीय विद्यालय स्थापित कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा करे ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभाग द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को संसूचित किया गया है कि भविष्य में बिहार में केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय तभी लिया जाय जब सरकार विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने में सहमति देती है साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकार द्वारा राज्य में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु नि:शुल्क भूमि इस शर्त पर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाएगा जब उक्त विद्यालय में स्थानीय लोगों के बच्चों का न्यूनतम 50 प्रतिशत नामांकन अंडरटेकिंग दिया जाएगा । केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली द्वारा उक्त आशय का अंडरटेकिंग दिए जाने में असहमति व्यक्त की गई है । संप्रति मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती मीना कुमारीः उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला में लदनियां प्रखंड में जो सिंघपा पंचायत में परसाही गांव में जो 22 एकड़ जमीन है वहां पर, उस जमीन के, वहां के सी0ओ0 और एस0डी0ओ0 हैं उनको मतलब केंद्रीय विद्यालय की अनुशंसा मतलब उसका जो जमीन का एन0ओ0सी0 होता है उस समय के तत्कालीन डी0एम0 को केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया था...

उपाध्यक्षः ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए । माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया है, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्रीमती मीना कुमारः हां, तो हम इसके लिए आग्रह करेंगे कि सरकार से उसकी अनुशंसा करे और इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-26 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0</u>

श्री राजेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के एन0एच0-139 भतरा कर्मा नहर पथ को देव अम्बा पथ तक शीघ्र बनवावे ।"

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत भतरा ग्राम से बटाने कर्मा नहर पथ होते हुए उत्तर कोयल मुख्य नहर तक पक्की सड़क का संपर्क है । इसी प्रकार उत्तर कोयल मुख्य नहर का एन0एच0-139 होते हुए देव अम्बा पथ तक पक्की सड़क का संपर्क है । बटाने कर्मा नहर पथ से भी देव अम्बा पथ तक पक्की सड़क का संपर्क है । इसलिए वर्तमान में प्रश्नगत पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह चाहेंगे कि यह जो प्रश्नागत यह संकल्प है उस संकल्प पर वो काम की आवश्यता है । अब जो उत्तर आया है उसपर तो हम डिबेट नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है लेकिन इसकी आवश्यकता है, अब उत्तर आया है उसकी हम अलग से सरकार को प्रतिवेदन देंगे ।

उपाध्यक्षः ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी ।

<u>क्रमांक-16 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0</u>

श्रीमती शालिनी मिश्राः मेरा पहले वाला पढ़ना है ।

उपाध्यक्षः पहले वाला जो छूट गया है वही है । जल संसाधन विभाग का है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण के बगहा से पूर्वी चंपारण के बगहा से केसरिया संग्रामपुर कल्याणपुर प्रखंड होते मुजफ्फरपुर तक तिरहुत मुख्य नहर का पक्कीकरण करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि तिरहुत मुख्य नहर की कुल लंबाई 277.14 कि0मी0 है यह नहर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला से होकर गुजरती है । तिरहुत मुख्य नहर के 0 से 2.4 कि0मी0 तक तथा 214 से 240 कि0मी0 तक अर्थात् 28.15 कि0मी0 की लंबाई में ब्रिक पी0सी0सी0 लाइनिंग का कार्य किया हुआ है । वर्तमान में गंडक फेज-2 योजना के तहत तिरहुत मुख्य नहर के 240.85 से 227.14 कि0मी0 तक कुल 36.29 कि0मी0 की लंबाई में मुजफ्फरपुर से होते हुए समस्तीपुर तक नहर का नव निर्माण एवं लाइनिंग पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है । तिरहुत मुख्य नहर के 2.4 से 214 कि0मी0 जोकि लगभग 200 कि0मी0 है तक नहर का बांध ठीक है एवं नहर में आवश्यक जलश्राव प्रवाहित किया जाता है । वर्तमान में तिरहुत मुख्य नहर के इस भाग में लाइनिंग पक्कीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमेशा ही सकारात्मक उत्तर देते हैं पर इस बार उनका उत्तर थोड़ा सा अलग है । मैं फिर भी आग्रह करूंगी कि यह नहर जो है जिससे कई बार यह होता है कि बूढ़ी गंडक का पानी भी यहां पर आता है, इस नहर में आ जाता है बाढ़ के प्रेशर से तो कई बार बाढ़ भी आ जाती है नहर का बांध टूटने से तो आग्रह है कि नहर का सुदृढ़ीकरण, पक्कीकरण करावें । इससे बगहा से मुजफ्फरपुर की दूरी जो 5-6 घंटे में तय होती है, हमलोग तय करते हैं वह आधे समय में तय करेंगे, बाढ़ से भी बचाव होगा ।

उपाध्यक्ष: ठीक है, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: आग्रह है कि इसको करवाएं इसी आग्रह के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, प्राधिकृत थे श्री राकेश कुमार रौशन जी ।

क्रमांक-24 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

श्री राकेश कुमार रौशन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के सदर प्रखण्ड के धोई, खुटवारा, दिवारी के हजारों एकड़ चौर में जल जमाव की निकासी हेतु पक्की नाला का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

टर्न-17/अंजली/31.03.2022

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के धोई, खुटवारा, दिवारी ग्रामों के बीचों-बीच एक नाला पूर्व से बहती थी, जिससे बरसात का पानी निकलकर अंतिम रूप से मारनचौर से होते हुए सोनकी पुल के पास निकल जाता था परंतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गौसा घाट से धोई घाट तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया है । इस क्रम में पूर्व से निर्मित कल्भर्ट बंद हो गया है जिससे बरसात का पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया है । मुख्य अभियंता समस्तीपुर को दिनांक-30.03.2022 को पत्र लिखकर प्रश्नगत चौरों से जल निकासी हेतु नाला निर्माण के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, जल जमाव की समस्या रहती है इसलिए नाला का निर्माण यथाशीघ्र करवा दें । हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय मंत्री जी, आपका जो छूटा हुआ है, हम बोल देते हैं उसका जवाब आप दे दीजिएगा । नंबर -7 है, श्री संजय कुमार सिंह ।

क्रमांक-7 : श्री संजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के लालगंज, भगवानपुर प्रखंडों के कृषि योग्य भूमि पर जल जमाव से मुक्ति हेतु ठोस कदम उठावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में प्रश्नगत प्रखंड के निचले भागों को छोड़कर कहीं भी जल जमाव की समस्या नहीं है । प्रश्नगत

प्रखंडों के निचले भाग से जल निकासी हेतु विस्तृत सर्वेक्षणोंपरांत तकनीकी संभाव्यता के आधार पर कार्रवाई हेतु वहां के चीफ इंजीनियर को निदेशित किया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लें ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत काम-करिंदा हैं, हम जानते हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं परंतु हम इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हजारों एकड़ भूमि आज भी किसानों की जलमग्न है । घाघरा नहर है हमारे यहां...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दे दिए हैं । इसलिए प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : जी अगर केवल घाघरा नहर की उड़ाही करा दी जाय तो हमारे यहां किसानों की जय-जयकार हो जाय ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री कुमार शैलेन्द्र । पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रश्नगत गांव यथा कहारपुर, म्रैचा-रतनपुरा कोसी नदी के बाएं किनारे स्थित है । जब कि लोकमानपुर एवं सिंहकुंड कोसी नदी के बीच में स्थित है तथा दोढ़िया-दादपुर, कालुचक, चोरहर एवं गुआरीडीह गांव कोसी नदी के दाएं किनारे स्थित है । कहारपुर, सिंहकुंड, कालुचक गांव को बाढ़ से बचाने हेतु विगत वर्ष 2021 में कटाव निरोधक कार्य कराया गया, जो बाढ़ अवधि में प्रभावी रहा । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है। बाढ़ वर्ष 2022 से पूर्व प्रश्नगत गांवों यथा कहारपुर, म्रैचा, लोकमानपुर, सिंहकुंड, दोढ़िया-दादपुर, कालुचक, गोआरीडीह आदि स्थलों की सुरक्षा कटाव निरोधक कार्य से संबंधित योजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा अनुशंसा प्राप्त है । परंतु स्थल पर कटाव की गंभीरता को देखते हुए एक गोआरीडीह जो पुरातात्विक स्थल भी है, का निरीक्षण कर, विशेष तकनीकी सुझाव के लिए एक तकनीकी दल का गठन किया गया और जिसकी अनुशंसा प्रतिवेदन के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत स्थलों पर बाढ़ वर्ष 2022 अवधि में सतत निगरानी एवं चौकसी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता कटिहार को निदेशित किया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

क्रमांक-27 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला NH-110 राजा बाजार रेलवे अंडरपास के जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु रेल ओवरब्रिज के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसकी समीक्षा की जा रही है, समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि उसके चलते जहानाबाद के आम लोगों की हालत एकदम नारकीय है और माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है तो प्रस्ताव वापस लेने का कहां है ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए हैं, भेजेंगे तब फिर उसको...

उपाध्यक्ष : वापस लीजिएगा तब न काम होगा । वापस ले लीजिए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी ।

क्रमांक- 28 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री छोटे लाल राय ।

क्रमांक- 29 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

श्री छोटे लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत प्रखंड परसा के ग्राम-शोभेपुर, सैदपुर, सराय साहो, मौडर दिघरा, बनकेरवा कांटा होते हुए सरनारायण पुल से आगे तक नहर की सफाई करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड परसा ग्राम-शोभेपुर, सैदपुर, सराय साहो, मौडर दिघरा, बनकेरवा, कांटा आदि ग्राम

से होकर जल की निकासी बौधा नाला के माध्यम से गंडक नदी में होती है । बौधा नाला एक प्राकृतिक नाला है जो कि बसंतपुर बंगला चौर से शुरू होता है और लगभग 26 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हरदिया चौर से मिलती है । हरदिया चौर से होते हुए इसके कुछ जल की निकासी गंडक तटबंध पर स्थित दरियापुर स्लुइस से गंडक नदी में होता है । शेष पानी का निकासी मुगल कैनाल के माध्यम से होता है । स्थल निरीक्षण के क्रम में बौधा नाला एवं मुगल कैनाल में जलकुंभी एवं मिट्टी आदि भरा हुआ देखा गया है । सारण जिला को बाढ़ एवं जल जमाव से निजात दिलाने के लिए एक जल शक्ति मिनिस्ट्री का वेबकास्ट है कंसलटेंट, उसको डिपार्टमेंट ने डी0पी0आर0 बनाने का काम दिया है उसकी रिपोर्ट भी लगभग तैयार है ताकि इस जिले को जलजमाव से मुक्ति मिले, इसमें यह एरिया भी है जिसको अधिशेष जल का उपयोग सिंचित क्षेत्र में हो, उसको कर दिया जाएगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री छोटे लाल राय : उपाध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष : सकारात्मक जवाब है ।

श्री छोटे लाल राय : हां है । बस थोड़ा जल्दी करवा देना है, माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री छोटे लाल राय : जी वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद कामरान ।

क्रमांक-30 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

श्री मोहम्मद कामरान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत ककोलत जलप्रपात को सौंदर्यीकरण सहित पर्यटकों के लिए रज्जुमार्ग (रोप-वे) का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत ककोलत जलप्रपात के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2008 और 2009 में 39 लाख 63 हजार रुपए एवं वर्ष 2014-15 में 5 करोड़ 71 लाख 93 हजार रुपए की योजना स्वीकृत की गई थी । इस योजना के अंतर्गत सीढ़ियों एवं पाथवे का चौड़ीकरण, जीर्णोद्धार, कैफेटेरिया ब्लॉक, पैदल चलने का रास्ता, पार्किंग, गेस्ट हाउस, लाईटिंग, पार्किंग, साइनेज प्रवेश द्वार, गार्ड रुम, टिकट काउंटर, पुलिस चौकी इत्यादि का निर्माण कराया गया है । ककोलत जलप्रपात में रज्जुमार्ग का निर्माण संबंधित कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है । इसके लिए नए सिरे से

विकास हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पर्यटन विभाग में प्रस्तावित विचाराधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लिया जाय ।

श्री मोहम्मद कामरान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि कैफेटेरिया ब्लॉक, पाथवे, गेस्ट हाउस, पार्किंग, प्रवेश द्वार, गार्ड रुम के लिए पैसा आवंटित किया गया था वर्ष 2014-15 में, अभी तक उस जगह पर तो कुछ भी नहीं पता है, एक पत्थर भी नहीं लगा है महोदय । कुछ भी नहीं हुआ है और यह पूरे बिहार के लिए एक धरोहर है ककोलत जलप्रपात, जो 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है और उस प्रकृति की देन को हमलोग संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इस पर आप कुछ सकारात्मक जवाब दें तब मैं इसको वापस लूंगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देख लीजिएगा ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, 571...

उपाध्यक्ष : हो गया, बैठिये ।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, मैं वापस नहीं लिया हूं । इसपर सकारात्मक जवाब देना है, यह तो बिल्कुल मतलब यह है कि कुछ है ही नहीं ।

उपाध्यक्ष : इसमें जवाब नहीं होता है ।

श्री मोहम्मद कामरान : यहां पर कोई न कोई हमारे साथी निश्चित रूप से गए होंगे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें न डिबेट होता है न जवाब होता है ।

श्री मोहम्मद कामरान : महोदय, हमको आप आश्वासन दे दें कि अगले वित्तीय वर्ष में...

उपाध्यक्ष : आप संज्ञान में दे दिए, सरकार दिखवा लेगी, माननीय मंत्री जी से आकर दिखवा लीजिए। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको दिखवा लीजिए ।

श्री मोहम्मद कामरान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात है हमारा आग्रह इतना ही है कि ये सब जो आप बोल रहे हैं कि हो गया है, अगर नहीं हुआ हो तो अगले वित्तीय वर्ष में आप करवा दें । इतना ही हमारा आग्रह है ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : एकदम दिखवा लेते हैं । 5 करोड़ 71 लाख की योजना है वर्ष 2014-15 में, यदि नहीं हुआ है तो इस पर प्रशासनिक कार्रवाई हम करेंगे ।

श्री मोहम्मद कामरान : अगले वित्तीय वर्ष में इसको करवा दिया जाय सर ।

उपाध्यक्ष : ठीक है प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मोहम्मद कामरान : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-18/सत्येन्द्र/31-03-22

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, परसों शाम को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी 1857 के वीर वांकुरा बाबु कुंवर सिंह के पोते की नृसंस हत्या कर दी गयी । अभी तक उस मामले में जबकि उस मामले में पुलिस आरोपित है, अभी तक उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देशित किया जाय कि जल्द से जल्द जो अभियुक्त हैं, उसकी गिरफ्तारी की जाय, अन्यथा लोगों में आक्रोश फैलता जा रहा है ।

उपाध्यक्ष: ठीक हैं, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: महोदय, मंत्री जी कुछ बोलें । नहीं महोदय, यह हमारे जिला का मामला है, सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है इसको देखा जाय । पुलिस पर आरोप है और नृसंस हत्या हुई है । कम से कम सरकार बतलाये कि इस संबंध में सरकार कार्रवाई क्या कर रही है ।

उपाध्यक्ष: ठीक है,माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: मंत्री जी के संज्ञान में हुजूर आ गया ठीक है....

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सुर्यकांत पासवान ।

<u>क्रमांक-31 : (श्री सुर्यकांत पासवान,स0वि0स0)</u>

श्री सुर्यकांत पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल के विभिन्न चौरों से जल निकासी हेतु पुराने नहरों की उड़ाही एवं नए नहरों का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री,जल संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिला के बखरी अनुमंडल के विभिन्न चौरों यथा मालेपुर, सिलठा, कोरवा, सुजारपुर, गढ़पुर, गमईल, कारू इत्यादि चौरों का जल नहर चैनल के माध्यम से कॉवर टाल चौर में प्रवाहित होता है । विभागीय पत्रांक 1341, दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा प्रश्नगत नहर चैनल के उड़ाही के संबंध में तकनीकी फिजिब्लिटी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निर्देशित किया गया है इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गया इसलिए आप बैठ जाईए ।

श्री सुर्यकांत पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, बखरी अनुमंडल के चकदा, मालीपुर, सुजारपुर, दुल्ही, कॉवर, रहुआ, ढेंगहा, बरार में जाड़े में जल जमाव से, क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन पर

जल जमाव से लाखों परिवार तबाह होते हैं । महोदय, प्रत्येक साल दिसम्बर जनवरी माह तक खेतों में जलजमाव रहने के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है । इससे हसनपुर चीनी मिल भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है । जल जमाव के कारण गन्ना की उपलब्धता नहीं हो पाती है इससे मिल के कार्यक्षमता पर भी संकट मंडरा रहा है । बेगुसराय के बखरी अनुमंडल में गन्ना उत्पादन की अपार संभावना है और इसका फायदा भी किसानों को मिल पायेगा, जब इस क्षेत्र में जल जमाव की व्यवस्था बेहतर होगी । महोदय, जल प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ रहने पर साल में 50 -60 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन में वृद्धि होगी..

उपाध्यक्ष: इस पर इतना लंबा बोला जाता है, प्रस्ताव वापस लीजिये न ?

श्री सुर्यकांत पासवान: महोदय प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अजय यादव ।

क्रमांक- 32 (श्री अजय यादव,स0वि0स0)

श्री अजय यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के प्रखंड खिजरसराय में गया-इस्लामपुर मुख्य मार्ग से ग्राम शादीपुर महादलित टोला से ग्राम जोलहविगहा महादलित टोला तक के कच्ची सड़क को पक्कीकरण कराये ।''

(व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष: ठीक है,माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, कल भी यह मामला उठा था सदन में महोदय, सरकार के संज्ञान में पूरी बातें है । सरकार ने निर्देश दिया है कि इस संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करें और जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई करें ।

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज,मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित बसावट जोलहाबिगहा को सम्पर्कता देने हेतु जगन्नाथचक-सादिकपुर जी0टी0एन0वाई0 सड़क से जोलहाबिगहा महादलित टोला तक पथ जिसकी लम्बाई 2 कि0मी0 है, का विभागीय मोबाईल ऐप के द्वारा सर्वे लिया गया है । सर्वे आई0डी0 नं0 596 है । समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अजय यादव: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की समिति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्या, श्रीमती गायत्री देवी ।

क्रमांक- 33 (श्रीमती गायत्री देवी,स0वि0स0)

श्रीमती गायत्री देवी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार से भिसवा पथ निर्माण विभाग की परित्यक्त पथ का निर्माण करावे।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि रूनीसैदपुर-पुपरी-परिहार-भिसवा पथ जो एस0एच0-87 के निर्माण के क्रम में बाईपास होने से परिहार भिसवा सहित परित्यक्त पथांशों की कुल लम्बाई 7.3 कि0मी0 है और चौड़ाई 3.7 मी0 है । विषयांकित पथांश का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है जिसे अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता पर लिया जायेगा । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती गायत्री देवी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूॅं कि इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाय । चूंकि बाढ़ के समय होता है तो बड़ी ही परेशानी होती है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूॅं लेकिन थोड़ा आग्रह करती हूॅं कि इस पर ध्यान देकर करा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सदा ।

क्रमांक-34 (श्री रत्नेश सदा,स0वि0स0)

श्री रत्नेश सदा: उपाध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के ध्बौली पूर्वी पंचायत के हसान जगह ड्रेनेज पुल का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल हसानटोला से रहुआ ग्राम तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ एवं पुल को छुटे हुए बसावट के तहत विभागीय ऐप द्वारा सर्वेक्षण करा लिया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0 29437 है । तदनुसार समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री रत्नेश सदा: उपाध्यक्ष महोदय, वहां दलित महादलित और अल्पसंख्यक की आबादी है और भादो महीना में आवागमन में काफी कठिनाई होती है इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अबिलम्ब करा दें । यह कहते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।
माननीय सदस्य, श्री दामोदर रावत।

क्रम संख्या-35(श्री दामोदर रावत, स0वि0स0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन ।

क्रम संख्या- 36(श्री राकेश कुमार रौशन,स0वि0स0)

श्री राकेश कुमार रौशन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अन्तर्गत कोरथू गांव के समीप फल्गु नदी में पुल का निर्माण करावे।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज,मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ कोरथु बसावट है जिसे एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन कोरथू से पक्की सड़क लम्बाई 1.35 कि0मी0 से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दूसरी तरफ कृषि भूमि है । कोरथू ग्रम एवं कृषि भूमि के आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण यह किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । अत: अभिस्तावित पुल स्थल पर पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । अभिस्तावित पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में 900 मीटर पर पथ निर्माण विभाग द्वारा फल्गु नदी पर पुल निर्मित है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन: उपाध्यक्ष महोदय, ये गांव जो है नालंदा जिला का सबसे पश्चिमी छोर पर बसा हुआ अंतिम गांव है और इस गांव में पुल नहीं बनाने से जिला मुख्यालय से और प्रखंड मुख्यालय से सम्पर्कता नहीं रहता है । जब माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने महोदय, रोड भी बनवा दिया था वहां तक, सिर्फ पुल के चलते आवागमन नहीं हो रहा है । हम अनुरोध करेंगे कि पुल निर्माण करवाया जाय जनहित में।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-19/मधुप/31.03.2022

क्रमांक-37 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर प्रखण्ड के वर्ष 2005 से 2010 तक में विधायक मद की राशि से स्वीकृत योजनाएँ जैसे-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेन्दुआरी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौहरी थम्मन बरूआ बहुआरा की अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभाग अंतर्गत विधायक मद की राशि से स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है बल्कि राज्य योजना अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के क्रम में अतिरिक्त वर्ग कक्ष/विद्यालय भवन का निर्माण उपलब्ध संसाधन के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाता है ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय सेन्दुआरी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जौहरी थम्मन बरूआ बहुआरा के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 26 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी थी । ससमय राशि का व्यय नहीं होने एवं विभागीय निर्देश के आलोक में ए0सी0/डी0सी0 के समायोजन के क्रम में राशि चालान के माध्यम से विभाग को वापस कर दी गयी । पुन: विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय संन्दुआरी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जौहरी थम्मन बरूआ बहुआरा के 10+2 स्तरीय भवन एवं उपस्कर आपूर्ति हेतु क्रमश: 175.61 लाख एवं 176.68 लाख का तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त है। उक्त प्राक्कलन में उपस्कर की राशि भी सम्मिलित है । प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर राशि की स्वीकृति की अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो गैर सरकारी संकल्प लाये थे, वह विधायक मद की राशि से जो निर्मित योजना है उसके संदर्भ में लाये थे । माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, ए0सी0/डी0सी0 बिल के कारण जो राशि वापस हुई है, वह अन्य योजना का है । हम तो आग्रह किये थे कि जो विधायक मद की राशि से अपूर्ण योजना है । अगर उसकी भी राशि वापस हो गयी है तो चूंकि 75 प्रतिशत काम हो गया है तो कोई न कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह करते ताकि योजनाएँ पूर्ण हो जायें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । संज्ञान में चली गयी है ।

श्री अवधेश सिंह : इसी के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-38 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कुट्टी से नूनिया (फर्साडेंगी) के बीच महानंदा नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, ट्रांसफर हो गया है आर0सी0डी0 को ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, मेरे हिसाब से यह जल संसाधन विभाग का नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष : क्रमांक-38 श्री मुहम्मद इजहार असफी का देख लीजिये, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। उत्तर है क्या ?

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो नहीं आया है । हम इसको देखवा लेंगे । माननीय सदस्य से अभी आग्रह करते हैं कि प्रस्ताव को वापस ले लें । फिर मैं इसको देखवा लूँगा ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिये ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : ठीक है, सर ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-39 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखण्ड के मोरसंड एवं रैनविशुनु पंचायत को जोड़ने वाली गोरिगामा ग्राम के लखनदेई नदी में पुल निर्माण करावे ।"

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ मोरसंड पंचायत के ग्राम गोरिगामा को पंचायत द्वारा निर्मित पी0सी0सी0 से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ रैनविशुनु पंचायत के ग्राम चकदेहाई को पी0एम0जी0एस0वाइ0 अंतर्गत निर्मित रून्नी सैदपुर चकदेहाई पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल के डाउन स्ट्रीम में 800 मीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है । सम्प्रति विभाग द्वारा सभी योग्य बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान किया जाना है । पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को भिन्न-भिन्न पथों से एकल सम्पर्कता प्राप्त है । अत: अभिस्तावित पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय मंत्री जी, पांच पंचायत जो हैं, वह कटा हुआ है और आपका जो जवाब आया है, उसमें रैनविशुनु पंचायत है, खरका है, अतरी है, पांच पंचायत कटा हुआ है और वहाॅं बहुत आवश्यक और जरूरी है ।

माननीय मंत्री जी, आश्वस्त तो कीजिये कि अगले वित्तीय वर्ष में ही करा देंगे तो हम वापस ले लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : रिक्वेस्ट कर लीजिये । वापस ले लीजिये ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : ठीक है । वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-40 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद में रफीगंज विधान सभा के मदनपुर प्रखण्ड में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना का निर्णय है ।

वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के अंचल देवग्राम धनारी में राजकीय पॉलिटेक्निक औरंगाबाद की स्थापना की गयी है । उक्त संस्थान में पठन-पाठन प्रारंभ भी है ।

अत: औरंगाबाद जिला में अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से गुजारिश है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, इनका जवाब तो खैर सही है कि बगल के प्रखण्ड में पॉलिटेक्निक कॉलेज है मगर चूंकि बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत गरीब इलाका है इसलिये हमारा और हमारे जो तमाम अगल-बगल के तीन-चार ब्लॉक हैं जो गया जिला में पड़ते हैं, तमाम लोगों की राय है और उनलोगों की भी मॉग है कि वहाॅं पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराया जाय ।

उपाध्यक्ष : सरकार के संज्ञान में आ गया । वापस ले लीजिये ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : हाॅं, इसके अलावा तो और कोई चारा है भी नहीं । हम तो वोटिंग कराने के हक में भी नहीं हैं । प्रस्ताव वापस लिया लेकिन गंभीरता से माननीय मंत्री जी इसपर सोचें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-41 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0</u>

श्री रामप्रवेश राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के मॉझा प्रखण्ड के ग्राम परशुरामपुर के सामने शाखा नहर पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित गोपालगंज जिलान्तर्गत मॉझा प्रखण्ड के ग्राम परशुरामपुर के सामने छपरा शाखा नहर के लगभग 14 आर0डी0 पर पुल निर्माण से संबंधित है । छपरा शाखा नहर के प्रश्नगत स्थल के नहर रीच में रूपांकित जलश्राव 1620 क्युमेक है । पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में 0.50 आर0डी0 पहले अर्थात 13.50 आर0डी0 पर क्रॉस रेगुलेटर सह एकपथीय सेतु निर्मित है जो मझौली मॉझा गढ़ को जोड़ने वाली सड़क पर अवस्थित है तथा डाउन स्ट्रीम में 2 आर0डी0 पर बाद में अर्थात 16 आर0डी0 पर एकपथीय सेतु निर्मित है । विभागीय मापदंड के अनुसार 1 हजार से 5 हजार घनसेक के बीच जलश्राव वाले नहरों में दो पुलों के बीच की दूरी न्यूनतम 7.92 आर0डी0 निर्धारित है । अत: विभागीय मापदंड के अनुसार छपरा शाखा नहर के 13.50 से 16 आर0डी0 के बीच परशुराम बाजार के सामने पुल अनुमान्य नहीं है ।

इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, माननीय मंत्री जी जिस पुल की चर्चा कर रहे हैं, वह दूसरे गॉव में है। इस गॉव में जहॉ के लिए हम मॉग कर रहे हैं, परशुरामपुर गॉव की आबादी बहुत ज्यादा है और इस गॉव के सामने नहर पार करने के लिए दूसरे गॉव में होकर जाना पड़ता है । इसलिये माननीय मंत्री जी से आग्रह करना है कि जवाब असंतोषजनक है इनके पदाधिकारी लोगों ने भेजा है । एक बार देखवा लीजिये, उस गॉव के लोगों को काफी परेशानी है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सरकार के संज्ञान में बात आ गयी है । वापस ले लीजिये ।

श्री रामप्रवेश राय : ठीक है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 42 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-43 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता प्राधिकृत हैं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 500 रूपये दैनिक मजदूरी एवं प्रति मजदूर 200 दिन साल में कार्यदिवस एवं कार्यस्थल पर मजदूरी के भुगतान की गारंटी के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

टर्न-20/आजाद/31.03.2022

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बा इसका जवाब है, मैं ऊपर वाला पढ़ देता हूँ और नीचे वाला भी पढ़ देता हूँ नहीं तो 15 मिनट पढ़ने में ही लग जायेगा।

उपाध्यक्ष महादेय, ज्ञातव्य है कि मनरेगा योजना एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जो महात्मा गाँधी अधिनियम, 2005 के तहत संचालित है । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य और कुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से न्यून गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है । इस प्रकार स्पष्ट है, प्रश्नगत विषय भारत सरकार के संज्ञान में है कि राज्य सरकार ही संवेदनशील है । इसलिए इस विषय पर भारत सरकार से सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है । मैंने मजदूरी के बारे में इन्होंने जो कहा है उसको भारत सरकार से अनुरोध भी किया है महोदय और भारत सरकार अभी दो दिन पहले ही 12 रू0 मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी है महोदय । मैं आशान्वित हूँ कि इस दिशा में और भी भारत सरकार से अनुरोध करूंगा ताकि मजदूरों की मजदूरी बढ़े ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महादेय, मनरेगा कानून में है कि किसी राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मनरेगा में नहीं दी जा सकती है । अपने यहां बिहार में अब मजदूरी 318 रू0 न्यूनतम हो गई है और मनरेगा के तहत मजदूरी जो है 194 पहले थी, अगर 12रू0 मान लिया जाय तो 208 रू0 होती है ....

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सकारात्मक जवाब दिये हैं, इसलिए प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट हम कहना चाहेंगे कि पुराने जमींदार जो थे, वे न्यूनतम मजदूरी नहीं देते थे और अभी हमारे माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं और वे भी यही काम कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी बिहार के मजदूरों को नहीं दे रहे हैं और कानून से अलग दे रहे हैं ....

उपाध्यक्ष : अब प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हम कहना चाहेंगे कि न्यूनतम मजदूरी मिले और 200 दिन काम मिले गरीबों को, काम के स्थल पर ही मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दी जाय, यह प्रस्ताव सदन से पास हो और केन्द्र सरकार को भेजा जाय महोदय । मैं इसे वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-44 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गीतवास के जर्जर भवन का निर्माण करावें । ''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि रानीगंज प्रखंड के गीतवास में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा निविदा का निष्पादन करते हुए संवदेक को एल0ए0ए0 निर्गत कर दिया गया है। शीघ्र ही नये भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जायेंगे ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : सरकार का सकारात्मक जवाब है ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-45 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखण्ड स्थित ग्राम दौलतपुर महावीर मंदिर से दौलतपुर झरहा टोला तक सड़क निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ ग्राम दौलतपुर महावीर मंदिर से दौलतपुर झरहा टोला की पथ की कुल लम्बाई 1.5 कि0मी0 है एवं औसत चौड़ाई 3 से 4 मीटर है । इस पथ में लगभग एक कि0मी0 में निजी भूमि पड़ता है । दौलतपुर झरहा टोला छूटे हुए बसावट में सम्मिलित है, जिसका मोबाईल एप से सर्वे कर लिया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-19193 है । समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय मंत्री जी, हमारा जो रोड है, उसको बनाने के लिए संकल्पित है, इसलिए हम इसको वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-46 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत पटपारा से ग्राम बछौली, प्रखण्ड खानपुर को जोड़ने वाली सड़क में पुल का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : यह स्थानान्तरित है ग्रामीण कार्य में ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य, 46 नम्बर ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट बछौली को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ टी0-03 से परनावारा एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट पारा को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ टी0-03 पटवारा से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल किसी नदी पर न होकर बसावट रहित लो लैंड है, जहां पानी का जमाव रहता है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखण पर नहीं है । सम्प्रति पुल स्थल के दोनों तरफ बसावट को एकल सम्पर्कता रहने के कारण पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता में यह है कि यह सिर्फ न दो पंचायत को जोड़ता है, बल्कि वह दो प्रखंड को जोड़ता है और अगर वह पुल बन जाय तो विभूतिपुर से खानपुर तक जोड़ने वाली जो रास्ता है, वह कम से कम 12 कि0मी0 कम हो जायेगा और इसमें छोटा पुल लगना है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप इसपर सकरात्मक विचार बनाये और प्रस्ताव हम वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-47 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मनोज कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड कोटवा में चंद्रगोकुल उच्च विद्यालय, मच्छरगांवा के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण करावें ।"

श्री आलोक रंजन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-62 दिनांक 31.01.2022 से एवं स्मार पत्रांक-176 दिनांक 28.02.2022 द्वारा की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मनोज कुमार यादव : महोदय, कई बार हम मांग किये हैं, लेकिन वहां से यही अन्सर आता है जबकि प्रस्ताव वहां से आया हुआ है । फिर भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार दिखवा लीजिए, लोगों की भलाई के लिए है, विद्यार्थियों के लिए वहां पर कोई भी स्टेडियम नहीं है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-48 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंद प्रखंड पी0डब्लू0डी0 बेलसन छतौनी पथ में मारर पुल के पहुँच पथ में पुल का निर्माण करावें ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंद प्रखण्ड छतौनी पथ में मारर पुल के पहुँच पथ में पुल का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रस्ताव मान लिये हैं माननीय मंत्री जी, हम उनके विश्वास पर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-49 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-50 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0</u>

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पीपरा विधान सभा अंतर्गत बूढ़ी गंडक सिकरहना दाए तटबंध वाटरगंज से सेमरा (0 से 52) एवं बूढ़ी गंडक सिकरहना बाए तटबंध लहलादपुर से गालिमपुर (57 से 76) तक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर बाँधों का उच्चीकरण करके उनको स्टोन पिचिंग से पक्की करावें ।"

टर्न-21/शंभु/31.03.22

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिकरहना बूढ़ी गंडक नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नये तटबंध निर्माण हेतु समेकित योजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है । उक्त योजना के अन्तर्गत सिकरहना एवं बूढ़ी गंडक नदी का पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया स्थल से खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिलन बिन्दु तक उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर से योजना अनुशंसित है । उक्त योजना के तहत पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पिपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बूढ़ी गंडक दायें तटबंध वातगंज से सेमरा जीरो से 52 एवं बायें तटबंध लहलादपुर से गालिमपुर 57 से 76 तटबंध उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है इसी योजना में । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : हम मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं और अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-51, श्री भूदेव चौधरी,स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-52, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड संझौली, ग्राम बाजीतपुर के पूरब काव नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री जयंत राज,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ ग्राम चवरिया को एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित पथ चवरिया छुलकार पथ से

चवरिया टोला पथ से एकल संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल के स्थल के दूसरे तरफ बाजीतपुर गांव को आरा सासाराम पी0डब्लू0डी0 पथ बाजीतपुर पथ से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 3 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में ढाई कि0मी0 पूर्व से पुल निर्मित है । अत: पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, हमारा सड़क का मांग नहीं है । यह जो संझौली प्रखंड मुख्यालय है और संझौली पंचायत भी है । संझौली पंचायत के चार गांव काव नदी के उस पार है और बरसात के दिनों में जब पानी आता है तो बहुत भयावह स्थिति होती है, यह गांव पंचायत से कट जाता है पढ़ाई, लिखायी, दवाई सब चीज से वंचित हो जाता है । इसलिए यह पुल बनाना अति आवश्यक है । संझौली महत्वपूर्ण पुल है, पंचायत कटा हुआ है और इस पंचायत के चार गांव को 10 कि0मी0 दूरी तय करके अपने पंचायत मुख्यालय पर आना पड़ता है । इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है हमारा कि इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-53, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह,स0वि0स0</u>

(श्री ऋषि कुमार,स0वि0स0 प्राधिकृत)

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत अकोड़ा रेलवे स्टेशन पर 18611/18612 इन्टरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव हेतु रेल मंत्रालय को सिफारिश करे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत अकोड़ा रेलवे स्टेशन पर 13347 अप0/13348 डा0 पलामू एक्सप्रेस, 18310 अप0/18311 डा0 वाराणसी संबलपुर एक्सप्रेस, 18611/18612 इन्टरसिटी एक्सप्रेस तथा 18631/18632 अजमेर रांची सवारी गाड़ी के ठहराव से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक-54, श्री गुंजेश्वर साह,स0वि0स0</u>

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के ग्राम पंचायत पस्तपार के कन्दाहा सूर्य मंदिर से तेलहर जानेवाली सड़क में पिपरा मोईन पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राम,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित धोरे एवं तेलहन बसावट की संपर्कता एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित सरौंधी से धोरे तक पथ से प्राप्त है । दूसरे तरफ अवस्थित कन्दाहा एवं झिटकी बसावट की संपर्कता 3054 अन्तर्गत निर्मित गोरहे चौक से कन्दाहा सूर्य मंदिर तक पथ से प्राप्त है। अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 1.2 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 2.96 कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अत: अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री गुंजेश्वर साह : उपाध्यक्ष महोदय, कन्दाहा सूर्य मंदिर भारत की सबसे पुरानी सूर्य मंदिर है, छठी शताब्दी की है । वहां दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और वह पहले सड़क थी बाद में वहां पानी कटाव से मोईन बन गया है और एक ही पंचायत दो पार्ट में बंटा हुआ है । उससे कई पंचायत जुड़ता है । वह इतना महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष : आपने सरकार के संज्ञान में दे दिया, अब प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री गुंजेश्वर साह : हम माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत भी आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि इसपर विशेष ध्यान देकर इसको बनवाने की कृपा करें और अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-55, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन,स0वि0स0</u>

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के पातेपुर विधान सभा अन्तर्गत झील बरेला से भोरहा पुल सं0-13, लखनिया नुन नदी नहर तक बांध एवं स्लूइस गेट का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत बरेला झील का वर्षा का अतिरिक्त जल बरेला ड्रेनेज चैनल से भोरहा पुल सं0-13 से गुजरते हुए नुन नदी के लखनियां स्लूइस गेट के माध्यम से प्रवाहित होता है । बांध के जीर्णोद्धार के संबंध में मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण, मुजफ्फरपुर क्योंकि समस्तीपुर में भी है । समस्तीपुर को पत्रांक-1348/30.03.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है । इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता यांत्रिक को पत्रांक-1339 द्वारा प्रश्नगत स्लूइस गेटों की मरम्मति हेतु निदेशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए चूंकि वह जो है झील बरेला से नहर निकली है 13 नंबर पुल होते हुए लखनियां नदी को जाती है । उससे तीन विधान सभा प्रभावित होती है- एक तो महनार विधान सभा का जन्दाहा, पातेपुर विधान सभा मोरवा, अगर बरेला झील से लेकर नुन नदी तक उड़ाहीकरण कराते हुए बांध का निर्माण हो जाय तो तीनों विधान सभा का कायाकल्प हो जायेगा । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि सहानुभूतिपूर्वक इस विचार करते हुए अविलंब इस कार्य को करा दें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-56, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता,स0वि0स0</u>

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पं0 चम्पारण जिले के सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंडों में कटाव निरोधी कार्य करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखंड करताहा सिकटा एवं सिकरहना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है । बाढ़ के दौरान नदी के जलस्राव में वृद्धि होने पर नदी के किनारों का आंशिक क्षरण होता है । जिसे आवश्यकतानुसार न्यूनतम बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । बाढ़ 2022 पूर्व कटाव निरोधक कार्य कराने हेतु सिकटा प्रखंड में सिकटा रेलवे लाइन के पास एजेंडा सं0-180 नरकटिया, धनकुटवा एजेंडा सं0-180/111 एवं बरेठा गहवा टोला सुंदरगांव कदमवा, एजेंडा सं0-180/77 के तहत कटाव निरोधक कार्य की योजना पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाना प्रक्रियाधीन है । इसी प्रकार मैनाटांड़ प्रखंड में विरंची ग्राम की सुरक्षा हेतु एजेंडा सं0-180/103 के तहत कटाव निरोधक कार्य हेतु योजना पर तकनीकी सलाहकार समिति

द्वारा विचार किया जाना प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है । इसीलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस साल बरसात में सैंकड़ों एकड़ जमीन जो कट जाती है, गांव कट जाते हैं वह नहीं कटे तो यथाशीघ्र काम कराने की कृपा करें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-22/पुलकित/31.03.2022

क्रमांक- 57 : श्री राम चन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

क्रमांक- 58 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड शेरघाटी के ग्राम घाघर से झारखंड राज्य की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के घाघर नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निमार्णाधीन पथ शेरघाटी के घाघर जिसकी लम्बाई 3.34 किलोमीटर के आरेखन पर है । इस पथ का पुनरक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है जिसमें अभिस्तावित पुल की जगह वेंट काउज वे का प्रावधान किया गया है । यह पुनरक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में पुनरक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात पथ के निर्माण के साथ-साथ पुल की जगह वेंट काउज वे का निर्माण भी कराया जायेगा ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 59 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री ऋषि कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखण्ड के ग्राम महुआव एवं विशुनपुरा स्थित पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण करावें ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग में आ गया है । महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ महुआव ग्राम के खंटी एवं महुआव पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । दूसरी तरफ की बसावट विशुनपुरा को बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत मरम्मती किये गये बेलपौथू पथ से विशुनपुरा तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ की बसावटों को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । इसके अप स्ट्रीम में चार किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ऋषि कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बेलपौथू सड़क का माननीय मंत्री जी ने जो जिक्र किया, वहां तक जाने के लिए वह 15 किलोमीटर का घेरा बनता है और सिर्फ महुआव और विशुनपुरा जोड़ने की बात नहीं है, पांच और पंचायतें उससे जुड़ती है । मलुआ, बेल, रतनपुर, भरूप और करसाव लगभग दो दर्जन से ज्यादा गांव जुड़ेंगे । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें और इसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 60 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0

श्री अखतरूल ईमान : जनाबे डिपटी स्पीकर मौहतरम, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज में स्थापित ए0एम0यू0 सेंटर के विकास कार्य में एन0एम0सी0जी0 द्वारा लगाये गये रोक को हटाने और विकास कार्य हेतु फंड रिलीज करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करें ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इस आशय का अनुरोध केन्द्र सरकार से शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या- 894, दिनांक- 31.08.2020 द्वारा किया

गया था । पुन: नेशनल मिशन फॉर क्लिीन गंगा के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किशनगंज केन्द्र के भवन निर्माण पर रोक को हटाने हेतु पहल करने का अनुरोध शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या- 354, दिनांक- 29.03.2022 द्वारा किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : सकारात्मक जवाब दिया गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, सरकार गरीबों की शिक्षा के लिए तत्पर है और सीमांचल का वह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है और वहां जमीन सरकार ने दी है, उसके लिए हम बधाई देती है । उसी महानंदा बेसिन के किनारे पर ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज गर्वमेंट का बना है और पुलिस लाईन बन रही है । लेकिन अलीगढ़ के नाम पर वहां रोक है और इसमें बिहार सरकार को कुछ करना भी नहीं है । सिर्फ बिहार सरकार को अपनी रूचि लेनी है कि सिफारिश कर दिया जाय । इसलिए इसको वापस लेने का नहीं, स्वीकृति का मामला है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अखतरूल ईमान : क्योंकि सरकार खुद चाहती है । माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने और मैं कहना चाहता हूं कि पूरा सदन चाहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने ।

उपाध्यक्ष : सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री अखतरूल ईमान : इसलिए सिफारिश कर दिया जाये, रिमाईन्डर हो जायेगा । सिफारिश कर दी जाये ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, प्रस्ताव वापस कैसे होगा । जब सिफारिश में कुछ करना नहीं है सिर्फ एक रिमाईन्डर लिखना है । सर, स्वीकृति करा दीजिये ।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दे दिया ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, दो बार पत्र भारत सरकार को लिखा गया है । माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस लें । बिहार की सरकार कृतसंकल्पित है । बार-बार अनुरोध कर रही है ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, इसको स्वीकृत करने में क्या दिक्कत है ।

उपाध्यक्ष : बिहार सरकार पत्र लिख दी है । प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एक और पत्र लिख दिया जाये । सदन के आग्रह पर एक बार और पत्र लिख दिया जाये । इसमें क्या दिक्कत है, इसमें सरकार की कोई लागत भी नहीं है । सरकार की रूचि का मसला है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, हमलोग चाहते हैं आपका सरंक्षण । सर, सरकार की रूचि इसमें दिखेगी। इसमें प्रस्ताव वापस लेने का क्या सवाल है ? अलीगढ़ के काम का....

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज में स्थापित ए0एम0यू0 सेंटर के विकास कार्य में एन0एम0सी0जी0 द्वारा लगाये गये रोक को हटाने और विकास कार्य हेतु फंड रिलीज करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री आबिदुर रहमान ।

क्रमांक- 61 : श्री आबिदुर रहमान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार सिंह ।

क्रमांक- 62 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर विधान सभा अंतर्गत मोहनपुर प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय के लिए भवन का निर्माण करावें ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनुपर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गयी है । जिसमें 0. 99 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण भूमि तथा 2.12 एकड़ उच्च विद्यालय की भूमि है । जो शिक्षा विभाग के अधीन है । उक्त भूमि के अंतर्विभागीय हस्तांतरण हेतु शिक्षा विभाग से अनापत्ति की मांग की गयी है । अनापत्ति होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत मोहनपुर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बिल्डिंग बनाने से वर्क कल्चर डेवलेप होता है और अधिकारियों को भी कार्य करने में आनंद अनुभव होता है । मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इनकी जानकारी बिलकुल सही है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री शमीम अहमद ।

क्रमांक- 63 : श्री शमीम अहमद, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव प्राधिकृत है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य स्तर पर सभी विद्यालयों के शौचालयों में व्याप्त गंदगी का निदान करावें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इस बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए समग्र विद्यालय अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती है । उन विद्यालयों में समग्र विद्यालय अनुदान की 10 प्रतिशत राशि विद्यालय परिसर के साफ-सफाई शौचालय का रख-रखाव एवं साफ-सफाई सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जानी है । इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि समग्र विद्यालय अनुदान के तहत नामांकन के अनुपात में प्रति विद्यालय 125.00 से 01.00 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : संकल्प वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-23/अभिनीत/31.03.2022

क्रमांक- 64 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलांतर्गत बारसोई प्रखंड के खुराधार गांव में सुधानी नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल खुराधार से दचना पश्चिमी टोला तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ सह पुल निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष एन0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत तैयार किया जा रहा है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन मेरा आग्रह है कि यह खुराधार नदी जो है छोटी नदी है । यहां बारसोई और बलरामपुर दो प्रखंड है, तो बलरामपुर के फतेहपुर पंचायत...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने इतना सम्मान किया और सकारात्मक जवाब दिया है आपको ।

श्री महबूब आलम : महोदय, 75 हजार की आबादी है जिन्हें 30 किलोमीटर दूर से अनुमंडल मुख्यालय आना पड़ता है महोदय ।

मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता ।

क्रमांक- 65 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत वार्ड सं0- 07, 10, 21, 34, 35 को जल-जमाव से मुक्त करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत सभी नगर निकायों में आवश्यकतानुसार स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है । योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता निर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नगर निगम एवं जिला मुख्यालयों में अवस्थित नगर परिषद् क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के बाद शेष नगर निकाय में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है । इसी क्रम में नगर निगम सासाराम क्षेत्र के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन राशि की उपलब्धता के आलोक में प्राथमिकता के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि कबतक वह ड्रेनेज बन जायेगा ? कब-तक काम लग जायेगा ? क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । संज्ञान में आ गया है, अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्या श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

क्रमांक- 66 : श्रीमती स्वर्णा सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

क्रमांक- 67 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत बासोपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 247, दिनांक- 29.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बासोपट्टी में 80 से 85 प्रतिशत जनसंख्या लघु किसान एवं मजदूर वर्ग हैं जो खेती या मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करते हैं । अत: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत अर्हता नहीं होने के कारण बासोपट्टी को नगर पंचायत के रूप में गठित नहीं किया जा सकता है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को जिस अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर दिया है बिल्कुल सरासर अन्याय किया है । महोदय, वह बाजार है, बासोपट्टी बाजार कहलाता ही है । पूर्वी और पश्चिमी मिलाकर 40 हजार की आबादी है, 75 प्रतिशत से अधिक लोग वहां व्यवसायी हैं । साढ़े तीन सौ तो बासोपट्टी में केवल भपोइया चावल बनाने का व्यवसाय चल रहा था आज बंद हो गया है । वहां सारे व्यवसायी लोग हैं उसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए माननीय मंत्रीजी से मैं आग्रह करता हूं कि..

उपाध्यक्ष : ठीक है । अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : आगे इसकी कार्रवाई करें, इसकी पुनर्जांच कराकर उस प्रस्ताव को आगे बढ़ावें । मैं अपना संकल्प इसी आशा के साथ वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री दिलीप राय ।

क्रमांक- 68 : श्री दिलीप राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार । समीर कुमार महासेठ प्राधिकृत हैं ।

क्रमांक- 69 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर शहर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, मुंगेर जिला में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी ।

क्रमांक- 70 : श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला में स्थित कांटी थर्मल पावर यूनिट से प्रदूषित वायु, जल एवं छाई को सी0एस0आर0 मद के माध्यम से दुष्प्रभावों को रोकने की व्यवस्था करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में स्थित कांटी थर्मल पावर यूनिट का पूर्ण स्वामित्व एन0टी0पी0सी0 के पास है । इसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर स्थिति निम्नवत है :

1. प्लांट के एस0वाई0के0 सलून में जाने वाले पानी को वाटर रीसर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से पानी को रीसर्कुलेशन करके प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है ।

2. ऐसे डायक में जाने वाली छाई का उपयोग एन0एच0आई0 के द्वारा बिहार राज्य के नेशनल हाइवे के निर्माण में किया जाता है । यह कार्य भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के द्वारा निर्धारित एस0 यूनाइटिलेजेशन के नियमों के तहत किया जाता है जो ए0ओ0एफ0

राज्य की अधिसूचना संख्या- 2511816 और सी0आई0आर0सी0 आदेश दिनांक- 05.11.2016 पर आधारित है ।

3. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छाई ढुलाई के मार्ग में समय-समय पर जल छिड़काव आदि किया जाता है । साथ ही, आटोमेटिक वॉटर स्क्रीलिंग सिस्टम के द्वारा लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है ।

4. कांटी थर्मल पावर यूनिट के स्टेज-2 में इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगा हुआ है जो कि 99.9 प्रतिशत से काम करता है । साथ ही, चिमनी की उंचाई 146.5 मीटर है । अत: चिमनी से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण न के बराबर होता है ।

5. कांटी थर्मल पावर यूनिट द्वारा निर्मित स्टेज-2 पावर प्लांट में आधुनिक उपकरण लगाये गये हैं और यह पर्यावरण के उच्च मानक को पूरा करता है ।

6. कांटी थर्मल पावर यूनिट के द्वारा वायु, जल एवं छाई से संबंधित सभी पर्यावरण मानकों को पूरा किया जाता है अत: इससे किसी प्रकार के प्रदूषण की संभावना नगण्य है ।

अतएव, माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : उपाध्यक्ष महोदय, छाई की यह स्थिति है, वहां पर 5-7 गांव ऐसे हैं जहां पर धूल उड़ने के कारण आम जन-जीवन प्रभावित हो रहा है । अधिकारी एन0टी0पी0सी0 से मैंने खुद मौखिक रूप से आग्रह किया था कि कम-से-कम बाउंड्री चारों तरफ से कर दिया जाय जिससे कम-से-कम धूल से लोगों को दिक्कत नहीं हो । जल-जमाव जो हो रहा है माननीय मंत्रीजी, डैम से । -क्रमश:-

टर्न-24/हेमन्त/31.03.2022

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी(क्रमश:) : पानी जो निकल रहा है, उससे पहले नहीं निकलता था । अब उससे काफी दिक्कत हो रही है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अपने स्तर से दिखवा लें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-71 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0</u>

श्री रामबली सिंह यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज प्रखण्ड, कोकरसा पंचायत अंतर्गत गर्भी नदी में मोजनाते बांध में स्लुईस गेट का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखण्ड अन्तर्गत कोकरसा पंचायत के ग्राम रूस्तमपुर के निकट गर्भी नदी भूथी नदी के दाहिने तरफ मिलती है । गर्भी नदी एवं भूथी नदी के मिलन बिंदु से लगभग एक किलोमीटर डाऊन स्ट्रीम में गर्भी नदी में प्रश्नगत बांध में स्लुईस गेट निर्माण हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी तैयार करने हेतु विभागीय पत्रांक- 1342, दिनांक- 29.03.2022 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को निदेशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामबली सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही जरूरी है स्लुईस गेट, सिंचित ईलाका है और इस स्लुईस गेट के बन जाने से हुलासगंज प्रखण्ड जहानाबाद जिला के कोकरसा है, मुरगांव है और इसके बाद नालंदा जिला के औंगारी तक हजारों एकड़ जमीन के सिंचित होने की पूरी गुंजाईश है महोदय । इसलिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें माननीय मंत्री जी इसको बनवा दें । इस उम्मीद के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी, प्राधिकृत हैं श्री भाई वीरेन्द्र ।

क्रमांक-72 : श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में पूर्वोत्तर रेलवे के सिवान कचहरी रेल ढाला, सिवान के चाप ढाला एवं जीरादेई स्टेशन के रेल ढाला पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण करावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कचहरी रेल ढाला, चाप ढाला और कचहरी स्टेशन के रेल ढाला पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री जी के सकारात्मक जवाब से मैं संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-73 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवगछिया कटिहार रेल खंड स्थित कटरिया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण कराने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : नवगछिया कटिहार रेल खंड स्थित कटरिया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु सीमांत रेलवे एन0एफ0आर0 द्वारा निर्णय लिया जाना है । इस संबंध में सिफारिश की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत खुशी की बात है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-74 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

श्री विनय बिहारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला के बेतिया, मनुआपुल भाया नवलपुर रतवलपथ सड़क का निर्माण कार्य करावे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मनुआपुल रतवलपथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए संवेदक को धीमी गति के कारण बी0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया । टर्मिनेट के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0- 7904/2020 दायर किया गया है । उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 02.02.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा निविदा को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निविदा को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई की जा रही है । वर्तमान में नवलपुर तक लम्बाई 0 से 22.5 किलोमीटर पथ के निर्माण का प्रस्ताव है । विदित हो कि नवलपुर तक पथ कार्य पूर्ण होने के उपरांत पथ की उपयोगिता हो जायेगी । चूंकि नवलपुर से रतवलपुर तक के दोनों पथांश में दोनों तरफ काफी पेड़ हैं । ये गंडक नदी के बांध पर स्थित हैं तथा 4 स्लुईस गेट हैं ।

अत: इस परिप्रेक्ष्य में नवलपुर से रतवलपुर तक के पथ निर्माण का अलग से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय बिहारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । लोहिया जी ने कहा था कि ''जिंदा कौम पांच साल का इंतजार नहीं करती ।'' मैं 2010 से विधायक हूं और 2011 से इसकी मांग कर रहा हूं । 11 साल में यह सड़क नहीं बनी है । उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क कभी संवेदक की बात की जाती है और कभी किसी की बात की जाती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तिथि बतायें कि उस तिथि से कार्य प्रारंभ हो सकेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री सकारात्मक जवाब दिये हैं । गैर सरकारी संकल्प में डिबेट नहीं होती है और न ही प्रश्न पूछा जाता है ।

श्री विनय बिहारी : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही से जो मेरा गैर सरकारी संकल्प है उसको खत्म कर दिया जाय, नहीं रखा जाय ।

उपाध्यक्ष : आग्रह कर दीजिए । माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दे दिये हैं ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, ''लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां फरियाद क्या करना ।'' मैं अपना संकल्प वापस नहीं लूंगा ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति हो तो आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

क्रमांक-75 : श्री मिश्री लाल यादव, स0वि0स0

श्री मिश्री लाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के तारडीह प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत ठेगहा ग्राम-भेरिया राही के उत्तर दिशा में कमला नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

महोदय, ये गांव अपने-आप में बड़ा चर्चित है, भेरिया राही । किधर से भी रास्ता नहीं है आने-जाने का । पूरा चचरी, दक्षिण तरफ भी चचरी का पुल...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित भेरिया राही पूर्वी टोला बसावट पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित एल0-40, एल0-26 से भेरिया राही पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के दूसरी तरफ भेरिया राही बसावट का अधिकांश भाग अवस्थित है । उक्त बसावट को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट के अंतर्गत कर लिया गया है जिसका सर्वे आई0डी0- 20773 है । पुल स्थल के अप

स्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर एवं डाऊन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है । पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । लेकिन जो टोला है उसको सम्पर्कता प्रदान करने के लिए हम यह कर रहे हैं ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, यह जो मामला है भेरिया राही में पुल बनाने का, यह बड़ा पुराना है और इस गांव में किधर से भी आने-जाने का रास्ता नहीं है । बराबर अखबार में लिखा जाता है और सरकार की भी बदनामी होती है । ''भेरिया राही में नहीं जा सकती एंबुलेंस खाट पर गर्भवती को चचरी पुल से ले जाया गया अस्पताल ।'' यह सब लिखा जाता है महोदय । ''चचरी पुल पर टिकी है भेरिया राही लोगों की...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिए माननीय सदस्य ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, एक मिनट । उस समय के तत्कालीन डी0एम0 ने भी इसको जाकर देखा है और उन्होंने कहा है कि भेरिया राही के लोगों को आवागमन..

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मिश्री लाल यादव : चचरी पुल को पुल में कन्वर्ट करना आवश्यक है महोदय । डी0एम0 ने भी जाकर देखा और उन्होंने कहा लेकिन अभी तक नहीं बना है । योजना में ले लिये हैं महोदय । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस योजना से हो उस पुल को बनवायें और भेरिया राही के लोगों को जीने का अवसर दें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-25/धिरेन्द्र/31.03.2022

क्रमांक-76 : डॉ॰ रामानुज प्रसाद, स॰वि॰स॰

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखण्ड के बस्ती जलाल पंचायत के उन्नहचक बाजार (एन॰एच॰-19) से कुरैया पंचायत के विशुनपुर/पुरूषोतमपुर ग्राम के बीच माही नदी पर आर॰सी॰सी॰ पुल का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ बसावट उन्नहचक बाजार को एन॰एच॰-19 से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट विशुनपुर एवं पुरूषोतमपुर को पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ अंतर्गत निर्माणाधीन केशरपुर से कुरैया पथ से

सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर एवं डाउनस्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर में पूर्व से पुल निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, इसे बाबागांवा का इलाक बोला जाता है । गंगा नदी और माही नदी से चारों ओर पूरा घिरा हुआ है । जो मिश्री लाल जी पढ़ रहे थे उसी तरह की स्थिति है । उतना मौका दिया जाय तो मैं भी पढ़ देता हूँ । वहां बहुत बार घटना हुई है, नांव डूबी है और उसमें लोग भी मरे हैं तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पुल को दिखवा लीजिये, आपके इंजीनियर ने गलत जवाब बनाकर भेजा । इसको करवाने की कृपा करेंगे । इस आशय के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसको करवा देंगे ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-77 : श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उफ रिंकू सिंह, स॰वि॰स॰</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-78 : श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स॰वि॰स॰</u>

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड मुख्यालय से शिवसागर बाजार के बीच गुजरने वाली एन॰एच॰-2 पथ पर फूट ओवर ब्रिज का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, एन॰एच॰-2 के वाराणसी-औरंगाबाद पथांश के छ: लेन चौड़ीकरण हेतु किये गये रियायत अनुबंध (Concession Agreement) के अनुसार रोहतास जिला स्थित शिवसागर बाजार में दो पैदल यात्री अंडरपास (Pedestrian Underpass) और एक वाहन अंडरपास (Vehicle Underpass) का निर्माण प्रस्तावित है । अत: शिवसागर बाजार में फूट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : महोदय, अति महत्वपूर्ण चीज था । माननीय मंत्री जी के जवाब में अच्छी बातें आयी कि दो पैदल पारपथ और एक वाहन पारपथ भी बन रहा है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-79 : श्री जितेंद्र कुमार, स॰वि॰स॰

श्री जितेंद्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखण्ड में एक स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखण्ड के ओंडा/230 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-780, दिनांक-09.03.2021 द्वारा दी जा चुकी है । जिसका कार्य आवंटित एवं निर्माण कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जब स्वीकृत हो गया तो वापस क्या लेना है । वह तो स्वीकृत हो गया ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । वापस ले लीजिये ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, वापस क्या लेना है । सरकार को धन्यवाद देने की बात है । इसी तरह का उस दिन हुआ था कि आपके द्वारा वापस करवा दिया गया और फिर अध्यक्ष जी के द्वारा कैशलेस कार्ड जो माननीय विधायकों का था, उसमें स्वीकृत हो गया तो यह दुविधा वाली बात हो जाती है ।

उपाध्श्क्ष : ठीक है ।

क्रमांक-80 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स॰वि॰स॰

श्री सुरेन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखण्ड के असुरारी एवं बीहट ग्राम के दर्जनों किसानों की जमीन 'बियाडा' के द्वारा बिना अधिग्रहण किए घेराबन्दी की गयी जमीन का मुआवजा भुगतान करावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखण्ड के ग्रोथ सेंटर के लिए बियाडा से कुल 400 एकड़ भूमि अर्जन का प्रस्ताव वर्ष 1995-96 में प्राप्त हुआ था जिसमें से कुल पाँच अभिलेख के अधीन 392.535 एकड़ भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए हितबद्ध रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है । एक मौजा पपरौर, थाना नंबर-509,

रकवा-7.465 एकड़ का अभिलेख व्ययगत हो जाने के कारण भू-अर्जन नहीं किया गया है । उक्त मौजा के लिए बियाडा से स्वच्छ अधियाचना की मांग विभिन्न पत्रों के माध्यम से किया गया है, किन्तु अधियाचना अद्यतन अप्राप्त है । अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इसको दिखवा लें और इसी आग्रह के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 : श्री भारत भूषण मंडल, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद । प्राधिकृत हैं श्री अरूण सिंह ।

क्रमांक-82 : श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बटाईदार किसानों को चिन्हित कर पहचान पत्र मुहैया करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बटाईदार किसानों को चिन्हित कर पहचान पत्र मुहैया करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, आप सभी जानते हैं, हमलोग जानते हैं कि 70 परसेंट कृषि बटाईदार किसानों के भरोसे हो रही है लेकिन सरकारी कोई भी सुविधा उन्हें मुहैया नहीं हो रही है । इसलिए जरूरी है कि बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाय । मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । यह किसानों का सवाल है, बटाईदारों का सवाल है । इस आशय के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83 : श्री सुनील मणि तिवारी, स॰वि॰स॰

श्री सुनील मणि तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज एवं संग्रामपुर प्रखण्ड स्थित गंडक नदी में गाद के कारण पुछरिया बिनटोली गाँव की ओर बढ़ रहे धार की दिशा बदलने हेतु प्रस्तावित चैनल प्रोजेक्ट की स्वीकृति देकर कटाव से बचावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज एवं संग्रामपुर प्रखण्ड स्थित पुछरिया बिनटोली गाँव की ओर बढ़ रहे धार की दिशा बदलने हेतु बाढ़-2021 पूर्व पायलट चैनल निर्माण कराने से संबंधित एजेंडा 168/77/21 पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया परन्तु तकनीकी संभाव्यता के आधार पर योजना की अनुशंसा नहीं की गई । बाढ़-2022 पूर्व प्रश्नगत पुछरिया बिनटोली ग्राम एजेंडा संख्या-180/97/2022 के तहत कटाव निरोधक कार्य हेतु स्वीकृति निर्गत है एवं निविदा निष्पादन के उपरांत कार्य आवंटित है । इस कार्य को बाढ़-2022 के पूर्व पूर्ण कराने का लक्ष्य है, इस कार्य के कार्यान्वयन से प्रश्नगत ग्राम को बाढ़ से सुरक्षा मिल जायेगी । इसलिए सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सुनील मणि तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कटाव का अवरोधक काम तो हो रहा है लेकिन जब तक धार नहीं बदलेगी तो आपका पाइलट चैनल का काम नहीं होगा तबतक वह गांव निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कट जायेगा । मैं आग्रह करता हूँ...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : महोदय, जी, माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिये हैं । इसीलिए मैं आग्रह और विश्वास के साथ प्रस्ताव वापस लेता हूँ कि आगे पाइलट चैनल कम-से-कम लगाने की कृपा करेंगे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-26/संगीता/31.03.2022

क्रमांक-84 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत चनपटिया प्रखण्ड के मुसहरी सेंवरिया पंचायत से लेकर मंझोलिया

प्रखण्ड के डुमरी पंचायत तक सिकरहना नदी के भीषण कटाव से क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण कार्य कराकर पक्का ठोकर के साथ-साथ चनपटिया से सुगौली तक उस बांध पर सड़क का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत रीच में चनपटिया प्रखंड के सेंवरिया से मझोलिया प्रखंड के जहानीघाट तक सिकरहना नदी पर कोई जमींदारी बांध अवस्थित नहीं है । मझोलिया प्रखंड के जहानीघाट से डुमरी तक 15 किलोमीटर की लंबाई में सिकरहना नदी पर जमींदारी बांध निर्मित है । उक्त बांध विभिन्न खंडों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसके आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार करने का अनुरोध जिला प्रशासन, पश्चिम चंपारण से किया गया । वर्णित जमींदारी बांध को बाढ़ अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । सिकरहना, बूढ़ी गंडक नदी एवं इसके सहायक नदियों पर निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए तटबंध निर्माण हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है । उक्त योजना की कुल प्राक्कलित राशि 2 हजार 986 करोड़ है । वर्णित बृहत योजना के प्रथम चरण के तहत सिकरहना नदी के दाएं किनारे चनपटिया से सिकरहना बांध के अंतिम छोर तक 56.56 किलोमीटर के लंबाई में तटबंध नवनिर्माण कार्य प्राक्कलित राशि 249.98 करोड़ को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किए जाने हेतु तकनीकी अप्रेजल प्राप्त करने के निमित्त प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार में समर्पित है । भारत सरकार की स्वीकृति हो जाने के उपरांत कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी जिसमें यह जगह भी है आपका उसमें इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, 17 महीने में 17 बार हम आवेदन दे चुके, प्रश्न भी उठा चुके हैं और अब यह भारत सरकार के यहां जाएगा तब तो वह पूरा गांव ही बह जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं और ये खाली मनरेगा की बात करके माननीय मंत्री जी टाल देते हैं कि मनरेगा जिला पदाधिकारी, उतना बड़ा बांध मनरेगा से कभी न बनाएगा, न होगा...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सकारात्मक जवाब दिए हैं, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री उमाकांत सिंह : थोड़ा सा माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि खाली बड़े लोगों को सुनते हैं हमलोग नए सदस्य हैं और छोटे सदस्य हैं, कभी-कभी छोटे लोगों को भी सुना करिए..

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी समान रूप से सबको सुनते हैं ।

श्री उमाकांत सिंह : नहीं, नहीं खाली माननीय मंत्री जी बड़े लोगों को सुनते हैं, हमलोग नए सदस्य हैं और क्षेत्र में जाते हैं...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री उमाकांत सिंह : जी, प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 : श्री हरि नारायण सिंह, स0वि0स0

श्री हरि नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत नगर नौसा प्रखण्ड के राजकीयकृत+2 उच्च विद्यालय, नगरनौसा में 8 जर्जर कमरों को तोड़कर नए कमरों का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वर्णित विद्यालय में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार अतिरिक्त नए कमरों के निर्माण पर विचार करेगी और बनवायेगी इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री हरि नारायण सिंह : मैं जवाब से संतुष्ट हूं, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-86 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

श्री विनय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के एस0एच0-101 गुरूआ-दरियापुर रोड में धमौल नहर से कमलदह होते हुए गया-कपसिया रोड का निर्माण करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत मामला गया जिलान्तर्गत लीलाजान सिंचाई योजना के फतेहपुर वितरणी के दायां बांध पर निर्मित सेवा पथ से संबंधित है । नहर सेवा पथ एस0एच0-101 गुरूआ-दरियापुर रोड एवं गया कपसिया रोड को कमलदह होते हुए जोड़ती है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है । नहर का सेवा पथ कच्ची है जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा आवागमन के रूप में किया जाता है । वर्तमान में इसके पक्कीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि ग्रामीण कार्य विभाग अथवा पथ निर्माण विभाग से सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री विनय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं कि वह सर्विस रोड है और कच्ची है, वह 16 किलोमीटर रोड बन जाने से वहां पर दो प्रखंडों के दर्जनों गांवों को लाभ होगा, वहां पर मगध मेडिकल जाने के लिए...

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विनय कुमार : गया डोभी रोड जो पटना जाने के लिए वह बहुत कारगर होगा महोदय और पहले भी इनका सर्विस रोड उस पर बना हुआ है जो डोभी से सगाही तक बना हुआ है तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वह सर्विस रोड सगाही से लेकर डायरेक्ट 16 किलोमीटर तक करायेंगे तो बहुत बड़ा...

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विनय कुमार : इसलिए हम इसको बनाने का माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसको बनाया जाय...

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-87 : श्री विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0</u>

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मिथिला विभूति एवं हिन्दी मैथिली संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यिक स्व0 वैजनाथ मिश्र जो हिन्दी साहित्य के लिए नागार्जुन मैथिली रचनाओं के लिए यात्री एवं संस्कृत रचनाओं के लिए चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म तिथि 30 जून को राजकीय समारोह के रूप में मनावे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, स्व0 वैजनाथ मिश्र यात्री, नागार्जुन जी की जयन्ती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और उन्हीं के निर्णयानुसार हर वर्ष मनायी जाती है । पटना में यह राजकीय समारोह के रूप में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जाता है चूंकि सरकार 2007 से ही मना रही है इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-88 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय विधायकों की अनुशंसा के राशि में से 25 प्रतिशत राशि उनके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अनुशंसा करने का प्रावधान मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में करावे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यह माननीय विधायक की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र के लिए ही योजना है इसलिए इसको बाहर खर्च करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री छत्रपति यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हम सुरक्षित क्षेत्र से आते हैं अलौली 148 सुरक्षित क्षेत्र है जो सुरक्षित क्षेत्र से...

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री छत्रपति यादव : विधायक आने वाले हैं उनके साथ दिक्कत होती है घर जाने में इसलिए अनुरोध करते हैं सरकार से आपके माध्यम से कि भविष्य में इसका प्रस्ताव लाया जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दिकी, प्राधिकृत हैं श्री समीर कुमार महासेठ जी।

श्री समीर कुमार महासेठ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखण्ड के अंतर्गत अनाथालय स्कूल के पास एवं धोबिया काली के पास आर0ओ0बी0 का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-90 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में दिनांक-01.09.2005 से लागू न्यू पेंशन सिस्टम (N.P.S) को बंद कर पुन: दिनांक 01.09.2005 की तिथि के प्रभाव से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के प्रख्यापित (N.P.S) के सदृश्य ही राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 द्वारा दिनांक 01.09.2005 एवं उनके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन प्रणाली लागू किया गया था । दिनांक 01.09.2005 के प्रभाव से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु केंद्रीय सरकार से सिफारिश करने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में लागू हो गई है, ये हमारे दल कांग्रेस पार्टी का मैंडेट है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो...

उपाध्यक्ष : ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

टर्न-27/सुरज/31.03.2022

श्री अजय कुमार सिंह : मैं वापस नहीं लूंगा । यह भाजपा की सोची-समझी साजिश के तहत न्यू पेंशन चालू किया गया है, जिसमें कर्मियों का दस परसेंट अंशदान...

उपाध्यक्ष : वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय कुमार सिंह : नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में दिनांक-01. 09.2005 से लागू न्यू पेंशन सिस्टम (N.P.S.) को बंद कर पुन: दिनांक-01.09.2005 की तिथि के प्रभाव से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-91 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखण्ड अंतर्गत सिरदिलपुर-सुपौल पंचायत से दरबा तक नहर का निर्माण करावे ।"

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी गंडक प्रणाली गंडक फेज-2 योजनान्तर्गत तिरहुत मुख्य नहर से 790 आर0डी0 से 909.40 आर0डी0 तक के नहर निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । इस योजना अंतर्गत मुख्य नहर से निकलने वाली नहर प्रणाली का सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है, जिसके अंतर्गत जन्दाहा वितरणी के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । जन्दाहा वितरणी के कमान क्षेत्र में प्रश्नगत समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखण्ड अंतर्गत सरदिलपुर-सुपौल पंचायत से दरबा तक के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है । सर्वेक्षणोपरांत जन्दाहा वितरणी का निर्माण कराया जायेगा इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी 2010 में जब पटोरी गये थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किये थे कि हम सिरदिलपुर से दरबा तक नहर का निर्माण करायेंगे इसलिये माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री रणविजय साहू : जी, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-92 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0

उपाध्यक्ष : अनुपस्थित हैं ।

क्रमांक-93 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा घोषित बिहार में कुरसेला से रूपौली बिहारीगंज, बड़ी रेल लाईन निर्माण में रूपौली से चौसा पुरैनी, उदाकिशुनगंज, बिहारीगंज मार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे ।"

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन रेल मार्ग विस्तारीकरण रेल मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्राधीन है । विस्तारीकरण के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-94 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान प्रदत्त समान शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत बिहार राज्य के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में एक पाठ्यक्रम लागू करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षा चल रही है वह कई बोर्ड, संगठनों के माध्यम से जैसे- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, फिर सी0बी0एस0ई0 है, आई0सी0एस0ई0 है, फिर दूसरे बोर्ड्स हैं तो सबका अपना-अपना पाठ्यक्रम है और सबके नियंत्री प्राधिकार भी अलग-अलग हैं । अब सी0बी0एस0ई0 तो राज्य सरकार के अधीन है नहीं इसलिये यह संभव ही नहीं है एक तरह के पाठ्यक्रम चलाना और जो मौलिक अधिकार हुआ है वह शिक्षा का अधिकार हुआ है । कोई एक ही तरह की शिक्षा या एक ही पाठ्यक्रम की शिक्षा यह नहीं है सबको शिक्षित होने का अधिकार है । अभी जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उससे भी होते हैं तो शिक्षा किसी भी बोर्ड से मिले अच्छी बात है और एक जैसा पाठ्यक्रम लागू करना यह राज्य सरकार के वश में भी नहीं है और संभव भी नहीं है इसलिये हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री ललन कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान...

उपाध्यक्ष : इतना विस्तार पूर्वक जवाब दिये हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री ललन कुमार : महोदय, बस संविधान का अनुच्छदे बता रहे हैं सुन लीजिये सब लोग कि भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री ललन कुमार : महोदय, एक मिनट एक और पाराग्राफ सुन लीजिये महोदय और इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के अनुसार भी विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं और इतने-इतने कि बिहार बोर्ड, एन0सी0ई0आर0टी, सी0बी0एस0ई आखिर समानता के अधिकार का हनन है । यह संविधान का अतिक्रमण...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री ललन कुमार : इस पर विचार करना चाहिये सरकार को । एक बात अंत में कहना चाहते हैं महोदय...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो संभव नहीं ही है साथ ही हम माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करके उसमें व्यतिक्रम पैदा न करें। वह शिक्षा का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन किसी को भी एक ही पाठ्यचर्या से सरकार उनको फोर्स करे, उनको बाध्य करे आप पढ़िये, ऐसा तो कहीं अधिकार में नहीं है इसलिये अधिकारों की व्याख्या करके उसकी दिशाहीनता की तरफ नहीं ले जायें ।

श्री ललन कुमार : माननीय मंत्री जी हम आपके समक्ष ही है लेकिन समानता के अधिकार का अवलोकन कर लीजिये....

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री ललन कुमार : प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-95 : श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0</u>

श्री सुधांशु शेखर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखण्ड के प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय के भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय का भवन पुराना है । राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखण्ड जिसके जीर्णोद्धार, मरम्मति की आवश्यकता है, उनके कार्यालय व आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिये कृत संकल्पित है । अब तक 80 प्रखण्डों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है साथ ही 101 प्रखण्डों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का भी निर्माण कराया जा रहा है । शेष प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से प्रखण्ड कार्यालय सह आवासीय भवन तथा परिसर विकास कराने की सरकार की योजना है । प्राथमिकता के आधार पर मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखण्ड को अगले चरण में शामिल किया जा सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुधांशु शेखर : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये अपने संकल्प को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-96 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0</u>

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखण्ड स्थित सुंदर यादव प्राथमिक विद्यालय दरगाहीगंज के भूमि में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए फुस के घर में चल रहे विद्यालय भवन का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में हमलोग शामिल करेंगे इसलिये अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-97 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0</u>

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के ग्राम पंचायत सासमूसा के मिश्रोली दहा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना निर्मित पथ पश्चिमी रेलवे ढ़ाला से मिश्रोली पथ जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर के आरेखन पर पड़ता है । पथ के चैनल दो सौ मीटर पर उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है । पुल निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-28/राहुल/31.03.2022

<u>क्रमांक-98 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0</u>

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर प्रखण्ड के चौरों में परिवर्तित हुये हजारों एकड़ अनुपयोगी भूमि का सर्वेक्षण कराकर उन्नयन एवं विकास हेतु नीति का निर्धारण करे ।''

श्री रामसूरत कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत संपूर्ण बिहार में भूमि का विशेष सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है जिसके तहत प्रथम चरण में राज्य के 20 जिलों में तथा शेष 18 जिलों में द्वितीय चरण में सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है । द्वितीय चरण के जिलों में, जिसमें मधुबनी भी शामिल है, विशेष सर्वेक्षण के आरम्भिक चरण में किये जाने वाले कार्यों को फरवरी, 2022 से प्रारम्भ किया गया है । उक्त सर्वेक्षण के पश्चात् चौरों में परिवर्तित हुई अनुपयोगी भूमि के उन्नयन एवं विकास की नीति के निर्धारण हेतु विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नीतीश मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ आग्रह होगा कि प्राथमिकता पर इन तीन प्रखंडों को ले लें और इस विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री जी इन तीन प्रखंडों को प्राथमिकता में सर्वेक्षण में ले लेंगे, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-100 : श्री कृष्णनंदन पासवान, स0वि0स0

श्री कृष्णनंदन पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड में चड़रहिया सेवराहा बाजार में पाण्डेय टोला होते हुए लालगंज राजेश साह घर तक सड़क का निर्माण करावे ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 1.8 किलोमीटर है । पथ का सर्वेक्षण छूटी हुई बसावटों के अंतर्गत मोबाईल एप से किया गया है जिसकी सर्वे आई0डी0- 18266 है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : सकारात्मक जवाब देने के लिए धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-101 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत पूर्णिया पूर्व प्रखंड के महराजपुर पंचायत में किशनपुर दुर्गा स्थान से

बगुलाबाड़ी घाट होते हुए मुशहरी जनता हाट पथ के बीच भेसना नदी के बगुलाबाड़ी घाट पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट की संपर्कता शीर्ष 3054 एम0आर0 योजना अंतर्गत किशनपुर पक्का टोला से बगुलाबाड़ी धार वाया दुर्गा स्थान बहरियाबाड़ी मुसहरी टोला पथ से प्राप्त हो जायेगी एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट ऋषिदेव टोला की संपर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत पिपरा, गोरीघाट से डगरूहा सीमा तक पथ से प्राप्त हो जाएगी । अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 1.5 किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है । विभागवार संप्रति राज्य की सभी बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ की बसावट को एकल संपर्कता प्राप्त है दूसरी तरफ की बसावट को एकल संपर्कता प्राप्त हो जाएगी । अभिस्तावित पुल स्थल के निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मंत्री जी दोनों तरफ सड़क के निर्माण में जो पहुंच पथ है उसकी बात कर रहे हैं और इस स्थान से उस स्थान जाने में यह घाट जो है यह लोगों को टपना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से...

उपाध्यक्ष : ठीक है । प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण स्थान पर पुल बनाने का विचार रखते हुए, इस विचार के साथ कि मंत्री जी इस पर सोचेंगे और बनावेंगे, मैं संकल्प को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-102 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0</u>

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए आपसी सहमति के आधार पर प्रत्येक एकड़ जमीन के अदला-बदली पर मो0 1000 रूपया शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था लागू करावे।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(A) के अनुच्छेद-31 के खंड (a) के विहित प्रावधान के अनुसार कृषि भूमि (Agriculture Land) से संबंधित बदलैन (Exchange) दस्तावेजों के निबंधन पर सरकार द्वारा मुद्रांक शुल्क में पूर्णत: छूट प्रदान की गयी है एवं निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के आलोक में निबंधन शुल्क से पूर्णत: विमुक्त किया गया है । बशर्ते उक्त संबंधित बदलैन

दस्तावेज में सन्निहित कृषि भूमि का अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो । उपर्युक्त वर्णित अनुच्छेद के खंड (b) के प्रावधान के आलोक में कृषि भूमि से अलग अन्य संपत्ति के बदलैन (Exchange) के दस्तावेज के निबंधन पर बदलैन से संबंधित संपत्ति के उच्चतर मूल्य पर विक्रय पत्र के अनुसार मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की प्रभार्यता निर्धारित है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, आप सभी लोग विदित हैं कि कृषि योग्य भूमि पांच बीघा किसी को है या तीन बीघा है तो 25 खंड में है, 10 खंड में है, खेती कितनी कठिन होती है और यह हमको पता है कि यदि आदान-प्रदान करते हैं तो एक रजिस्ट्री खर्चा लगता है जो हजारों में होता है वह व्यावहारिक नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध होगा सरकार से कि एक नीति बनाकर के जिस ढंग से जमाबंदी अलग करने के लिए 100 रुपये शुल्क रखा है सरकार ने उसी ढंग से भूमि के आपसी अदला-बदली को प्रति एकड़ एक हजार रुपया करने का अनुरोध करते हैं सरकार विचार करे और...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री चन्द्रशेखर : यह विचार रखते हुए, आशा करते हुए कि सरकार जरूर पॉजिटिव निर्णय लेगी मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-103 : श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0</u>

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गड़हनी के नगर पंचायत गड़हनी में गर्ल्स हाई स्कूल स्थापित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, दो बात हैं । एक तो नगर पंचातय गड़हनी में पहले से एक प्लस टू विद्यालय कार्यरत है और दूसरा कि सरकार अब लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने में विश्वास नहीं रखती है । मनोज जी प्रगतिशील वामपंथी दल के लोग हैं अब आप लड़कियों को कहां अलग कर रहे हैं अब तो वे लड़कों से पूरे आत्मबल के साथ हर स्पर्धा में आगे निकल रही हैं और उसकी बानगी और मिसाल हम आपको तुरंत अभी तुरंत की बात बता रहे हैं, एक घंटे पहले मैं वर्ष-2022 मैट्रिक परीक्षा का परिणाम निकाल कर आ रहा हूं उसमें ऊपर के जो पांच स्थान हैं मतलब टॉप-5 उसमें से चार लड़कियां हैं । यह हमारे नीतीश कुमार जी की लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की, आगे बढ़ाने की और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बनाने की जो योजना, नीतियां

और कार्यक्रम हैं यह उसका परिणाम आज परिलक्षित हुआ है तो अब आप लड़कियों को कहां अलग कर रहे हैं, वे लड़कों से पीछे कहां हैं जो उनको अलग कर रहे हो आप, साथ चलने दीजिये, अभी अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री मनोज मंजिल : मंत्री महोदय, अभी आप मैट्रिक का रिजल्ट जारी करके आ रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन मैं देख रहा था जो सरकार की रिपोर्ट है और आज सरकार का शिक्षा विभाग लड़कियों की शिक्षा के प्रति चिन्तित है । जो ड्रॉप आउट रेट है आप देखेंगे तो...

उपाध्यक्ष : ठीक है प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री मनोज मंजिल : सर, 37.3 फीसदी लड़कियां अभी बिहार में 8वीं क्लास जाते-जाते पढ़ाई छोड़ देती हैं और 66 फीसदी से ज्यादा 9वीं, 10वीं में जाते-जाते पढ़ाई छोड़ दे रही हैं । इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस पर विचार कीजिये । वह बिल्कुल दलित, अल्पसंख्यक पिछड़ा इलाका है तो लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल हो जायेगा तो बढ़िया रहेगा ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-104 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत टेढागाछ प्रखंड के दबेली पंचायत के लोधाबाड़ी घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 अंतर्गत चयनित पी0डब्ल्यू0डी0 झाला, लोधाबारी, सोहिया, बैगना, निसन्दरा पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ सह पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 अंतर्गत तैयार कर अनुमोदन हेतु एस0टी0ए0 के यहां समर्पित है । एस0टी0ए0 से अनुमोदनोपरांत प्राक्कलन एन0आर0आई0डी0ए0, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित की जायेगी । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

टर्न-29/मुकुल/31.03.2022

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002 में तत्कालीन हमारे जो सांसद श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी थे, वे अपने अपने सांसद निधि से वर्ष 2002 में बनवाये थे, वर्ष 2004 में वह धारा 100 मीटर परिवर्तित होने के कारण वह पुल बीच में लटक गया और

उस पुल का नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेतु । महोदय, 18 साल से यह तारणहाट की जो बात हो रही है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि अविलंब इसको कराया जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस भी लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-105 : श्री संतोष कुमार मिश्रा, स0वि0स0

श्री संतोष कुमार मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखण्ड के 14000 से ऊपर की आबादी वाले करगहर पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के आलोक में नगर निकायों के लिए निर्धारित मानकों यथा नगर निकायों की कुल जनसंख्या, उसमें काश्तकार कर्मियों की संख्या इत्यादि के आधार पर नए नगर निकायों का गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-1713, दिनांक-14.05.2020 द्वारा अनुरोध किया गया था ।

इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के अपर समाहर्त्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक अथवा दो पदाधिकारियों की एक समिति द्वारा समीक्षा कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी जिला पदाधिकारी से किया गया था ।

जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त प्रस्ताव में करगहर को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण गठन पर विचार नहीं किया जा सका । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि...

अध्यक्ष : आप संकल्प को वापस लीजिए ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प को वापस तो ले ही लूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-106 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा के सिंहवाड़ा प्रखण्ड के एस0एच0-75 सिरहुल्ली सीमा से हरीहरपुर हॉस्पिटल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पक्कीकरण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 1320 मीटर है, जिसमें रेलवे लाइन के दोनों तरफ रेलवे द्वारा निर्मित पथ की लम्बाई 70 मीटर है एवं शेष 1250 मीटर ईंटीकृत है । इस पथ के आरेखन पर अवस्थित हरिहरपुर पूर्वी टोला को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पथ का सर्वे कार्य छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाइल एप से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-29485 है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-107 : श्री अशोक कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-108 : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, स0वि0स0

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के कटोरिया विधान सभा अंतर्गत कटोरिया एवं बौसी प्रखण्ड में वर्ष 1905 में जमींदारी प्रथा के तहत रैयति को आवंटित भूमि को मापी कराकर रैयति की जमीन को रैयति को आवंटित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्त्ता बांका के प्रतिवेदन अनुसार कटोरिया विधान सभा अंतर्गत कटोरिया एवं बौसी प्रखण्ड में वर्ष 1905 में जमींदारी प्रथा के तहत किसी रैयत को आवंटित भूमि पर बेदखली का मामला तत्काल संज्ञान में नहीं आया है । मामला संज्ञान में आने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि हमारे क्षेत्र में भूमि विवाद की बहुत जटिल समस्या है तो उसे संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाय । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-109 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजीव चौरसिया की ओर से प्राधिकृत हैं श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जे0पी0 सेतु के समानांतर निर्मित होने वाले सेतु से नकटा दियारा पंचायत के नया टोला एवं पहलेजा घाट के पास पहुंच पथ का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-139डब्ल्यू के मार्गरेखन पर जे0पी0सेतु के समानान्तर 6 लेन पुल का निर्माण प्रस्तावित है ।

वर्तमान में जे0पी0 सेतु के समानान्तर परियोजना का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । डी0पी0आर0 परामर्शी से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नकटा दियारा पंचायत के नया टोला एवं पहलेजा घाट को जोड़ने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को अनुशंसा की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ? सकारात्मक जवाब है ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक जवाब के लिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष आग्रह करूंगा कि पहलेजा घाट जो ऐतिहासिक धरती, भगीरथी तपस्या के बाद जहां गंगा की धारा प्रवाहित हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम संकल्प तो वापस ले लिये, इस विश्वास के साथ प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-110 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल सीतामढ़ी के पत्रांक-128, दिनांक-14.06.2021 द्वारा भेजे गए प्राक्कलन का कार्य पूरा करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तरीय प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 18 नगर निगम क्षेत्रों में स्टॉर्म ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें नगर निगम, सीतामढ़ी भी सम्मिलित है । राशि की उपलब्धता के आलोक में नगर निगम, सीतामढ़ी में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी जा सकेगी। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा कि...

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेने में संरक्षण की क्या जरूरत है ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उसमें एक आग्रह करना चाहूंगा कि जो 18 जिला प्रस्तावित है। ये वाटर स्ट्रॉर्म योजना का एक वर्ष हो गया है आये हुए और सीतामढ़ी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सभी जगह के पर्यटक आते हैं और हमलोगों की जगहंसाई होती है, वहां पर जल-जमाव देखकर के और जल-जमाव की पराकाष्ठा है कि यह....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव तो वापस ले ही रहा हूं और मैं आग्रह करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री जी सीतामढ़ी से इस काम को प्रारंभ करावे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-111 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिलान्तर्गत बेगुसराय नगर निगम क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक पार्क का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय के पत्रांक-559, दिनांक-26.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पार्क का निर्माण आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु वर्तमान में नगर निगम, बेगूसरायय अधीनस्थ पार्क निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है । सरकारी भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात पार्क निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगूसराय बिहार का इकलौता इंडस्ट्रियल टाउन है, इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रयास करके जमीन अधिग्रहण करें और वहां पर पार्क बनायें । इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-112 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन की ओर से प्राधिकृत हैं श्री चंद्रशेखर ।

श्री चंद्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय में रेलवे लेव क्रॉसिंग नं0 53 ए, भोला टाकीज के निकट राज्य सरकार और रेलवे के बीच समन्वय स्थापित कर आर0ओ0बी0 का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

टर्न-30/यानपति/31.03.2022

श्री नितिन नवीन, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार एवं रेलवे के बीच 50-50 परसेंट कॉस्ट शेयर के आधार पर आर0ओ0बी0 एवं पहुंच पथ दोनों निर्माण हेतु वर्ष 2019 में किये गये रेलवे तथा बिहार सरकार के बीच एम0ओ0यू0 के तहत विषयांकित योजना का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है । विषयांकित रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे से जी0ए0डी0 का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा डी0पी0आर0 अग्रेतर स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चंद्रशेखर: धन्यवाद करते हुए संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-113 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखण्ड अंतर्गत सुरवासन पंचायत के ग्राम शत्रुघन केशवपुर, कमलपुर एवं गोसाई टोला को ग्राम सुखासन, वभनगावा, जगदीशपुर से जोड़ने हेतु एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित केशव टोला की संपर्कता एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पारसी एम0एम0जी0एस0वाई0 पथ से केशव टोला तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित सुखासन, वभनगावा एवं जगदीशपुर बसावट की संपर्कता एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित अरार से रजनी परसादी तक पथ से प्राप्त है, अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 3 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 4 कि0मी0 में पूर्व से पुल निर्मित है । विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ की बसावट को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अत: अभिस्तावित पुल के निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: प्रस्ताव वापस लिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट संरक्षण चाहेंगे थोड़ा विचार रखने दिया जाय । बहुत लंबे अर्से से हम अपने बिहारीगंज विधान सभा में जितना काम मांगे हैं सरकार से, सदन से सारा काम मेरा हो गया है लेकिन इसकी बहुत लंबे अरसे से मांग कर रहा हूं । 5-6 कि0मी0 की दूरी है आर0आर0 पुल जिसका माननीय मंत्री जी बता रहे हैं । गलत जवाब दिया जा रहा है बराबर, वर्ष 2017 से हम लगे हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं और किसान, भारत कृषि प्रधान देश है, आज कृषि पर ही सबचीज निर्भर है। नदी में उस तरफ मुख्यमंत्री संपर्क पथ बना हुआ है, इस तरफ पंचायत की सड़क बनी हुई है...

अध्यक्ष: प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: बीच में पूरा हो जाने से किसान, मतलब गांव इस तरफ और खेत है उस तरफ, किसान की सुविधा के लिए सब सरकार, हमलोग यह कर रहे हैं और इसलिए

हमलोग चाहेंगे कि किसी से नाबार्ड से ही मेरे इस काम को करा दें माननीय मंत्री महोदय...

अध्यक्ष: वापस लीजिएगा तब न करायेंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-114 : श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-115 : श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल', स0वि0स0

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के कप्लेश्वरनाथ महादेव स्थान को बिहार पुरातत्व विभाग की सूची में संरक्षित करावे ।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष कलानिधि अधिनियम, 1976 की कंडिका-2 के तहत बिहार राज्य अंतर्गत वैसे पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व की विशिष्टता रखने वाले पुरास्थल एवं स्मारक जो कम से कम सौ वर्ष से अधिक प्राचीन होते हैं उन्हें उक्त अधिनियम की कंडिका-3 की उप कंडिका- 1 एवं 2 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत राजकीय सुरक्षित स्मारक या क्षेत्र घोषित किया जाता है । इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-93, दिनांक-14.03.2022 द्वारा विभागीय तकनीकी दल द्वारा स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन की मांग की गयी है । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यदि उक्त पुरास्थल विशिष्ट रूप से पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पाया जाता है तो संबंधित पुरास्थल को नियमानुसार संरक्षित करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष: संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': ऐतिहासिक जगह है, लिखा-पढ़ी कर देंगे तो उसका विकास हो जाएगा हम इस विश्वास के साथ अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-116 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के धावा नदी में बाघासोती छोर से बेरीगांव छोर तक पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड के धावा नदी पर एक तरफ बेरी बसावट है एवं दूसरी तरफ बाघासोती बसावट है । बाघासोती को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित पथ टी-07 से बाघासोती से संपर्कता प्राप्त है । बेरी बसावट को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भदवाबेरी डिहुरी पथ पर अवस्थित है । अवस्थित पुल स्थल के दोनों तरफ की बसावटों को अलग-अलग पथों से संपर्कता प्राप्त है । अवस्थित पुल स्थल के 300 मीटर की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में पथ निर्माण विभाग द्वारा आर0सी0सी0 पुल निर्माणाधीन है एवं अप स्ट्रीम में 5 कि0मी0 की दूरी पर आर0सी0सी0 पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । अत: इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि उस पुल के बन जाने से करीब 100 गांव लाभान्वित होंगे और जनहित में वह बहुत जरूरी पुल है इसलिए हम आपके माध्यम से...

अध्यक्ष: प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री भीम कुमार सिंह: आग्रह करेंगे कि मंत्री जी उसको दिखवा लें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-117 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0

श्री निरंजन राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिन्तर्गत बांद्रा प्रखंड के पिलखी पुल से पिरापुर-पीयर-तेपरी-सखौरा होते हुए समस्तीपुर सीमा तक निर्मित सिंगल सड़क को दो लेन सड़क में परिवर्तित करावे ।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न-4 चार पथांशों के दो लेन में परिवर्तित करने से संबंधित है । पलखी चौक से तेपरी चौक इस पथ की लंबाई 6.2

किमी० है जो पी०एम०जी०एस०वाई० अंतर्गत निर्मित बड़गांव से शंकरपुर पथ का पथांश है । पथ दिनांक- 24.05.2023 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । तेपरी चौक से शिवनगर इस पथ की लंबाई डेढ़ कि०मी० है । यह पथ एम०एम०जी०एस०वाई० अंतर्गत निर्मित पथ, पथ दिनांक 08.01.2024 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । शिवनगर से सिखौरा पथ, इस पथ की लंबाई 2.154 कि०मी० है । यह पथ पी०एम०जी०एस०वाई० अंतर्गत निर्मित पथ है एवं अनुरक्षण से बाहर है । सखौरा से सखौरा चौक तक इस पथ की लंबाई 1.10 कि०मी० है । यह पथ एम०एन०पी० अंतर्गत निर्मित पथ एवं अनुरक्षण अवधि से बाहर है । क्रम संख्या-1 और 2 पर अंकित पथों का अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् पथ का ट्रैफिक सर्वे कराकर पथ को दो लेन में परिवर्तित कराने का निर्णय लिया जा सकता है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री निरंजन राय: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है आज भी वह सड़क चलने के लायक नहीं है यह कह रहे हैं अनुरक्षण अवधि में है लेकिन आज उस सड़क पर चलने की स्थिति नहीं है, पैदल चलना मुश्किल है इतनी खराब स्थिति में है वह और इतना अतिपिछड़ा क्षेत्र है। महोदय, वहां के लोगों को बागमती और बूढ़ी गंडक दोनों नदी के कारण प्रत्येक साल तबाही और बर्बादी झेलनी पड़ती है और महोदय, दो जिलों को जोड़नेवाली मुख्य सड़क है । काफी बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा । लाखों लोग उस सड़क से होकर के गुजरेंगे महोदय । दो लेन इसको बनवाने के लिए कम से कम आश्वस्त करें ।

अध्यक्ष: वापस ले रहे हैं ।

श्री निरंजन राय: आश्वस्त कर रहे हैं कि कम से कम आश्वस्त कर दें माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष: आप वापस ले लीजिए । लीजिएगा तब न ।

श्री निरंजन राय: ठीक है । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-31/अंजली/31.03.2022

<u>क्रमांक-118 : श्री राम सिंह, स०वि०स०</u>

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बगहा पुलिस जिला को पूर्ण जिला का दर्जा प्रदान करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 30 जून, 2022 तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है कि कोई भी प्रखंड, जिला निर्माण यह अभी नहीं होगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि आगे इसको लायेंगे, अभी ये प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री राम सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा । इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । आपके जवाब पर धन्यवाद मिला ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो चाहते हैं कि इस सदन के सभी सदस्य श्री राम सिंह जैसे समझदार हो जायं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री महा नंद सिंह ।

क्रमांक-119 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, केंद्रीय विद्यालय स्थापना हेतु राज्य सरकार को 4-5 एकड़ नि:शुल्क भूमि देनी पड़ती है । राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ये भूमि नि:शुल्क हम तभी देंगे जब अमूमन 75 प्रतिशत, नहीं तो कम से कम 50 प्रतिशत उस स्कूल में बिहार के बच्चे पढ़ें, तभी तो हम नि:शुल्क 4-5 एकड़ कीमती भूमि देंगे । तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए कोई नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हो रही है और वैसे भी महोदय, जब हमलोगों ने मुख्यमंत्री के निर्णयानुसार हर पंचायत में हमलोग एक +2 विद्यालय खोल रहे हैं और 5300, पांच हजार तीन सौ से अधिक नए +2 विद्यालयों की हमलोगों ने स्थापना की है और हम अपने माध्यमिक विद्यालयों का स्तर लगातार ऊंचा कर रहे हैं । इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि ये अभी संभव नहीं है, चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन हमलोगों की शर्त नहीं मान रहा है, इसलिए अभी अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महा नंद सिंह : महोदय, अब इस मामले में तो मंत्री महोदय को मैं कैसे धन्यवाद दूं । लेकिन मैं फिर से आग्रह करूंगा कि फिर से एक चिट्ठी लिखा जाय केंद्र सरकार को और इस उम्मीद पर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, कुछ सदस्य अनुपस्थित रहे हैं मैं दोहरा देता हूं ।

(व्यवधान)

अंत में तो सब को रहना चाहिए, गंभीरता दिखाई पड़नी चाहिए । माननीय सदस्य, श्री बच्चा पाण्डेय ।

क्रमांक-3 : श्री बच्चा पाण्डेय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुधाकर सिंह ।

क्रमांक-19 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह ।

क्रमांक-21 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड के अगौथरनन्दा में छपरा-थावे रेलवे लाइन में ढाला नंबर-27C में अंडरपास का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड के अगौथरनंदा में छपरा-थावे रेलवे लाइन में ढाला नंबर-27 C में अंडरपास का निर्माण हेतु उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा निर्णय लिया जाना है, इस संबंध में सिफारिश किया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने सिफारिश की बात की और आपने सिफारिश कर दिया तो फिर वापस कैसे लें ।

अध्यक्ष : ऐसे संकल्प जिसमें केंद्र सरकार से सिफारिश की जानी है और प्रभारी मंत्री द्वारा उसे सिफारिश करने हेतु सहमति दी जाती है तो उस स्थिति में संकल्प का प्रस्ताव स्वीकृत होगा । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: धन्यवाद अर्पण करता हूं माननीय मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार मण्डल ।

<u>क्रमांक-23 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी ।

<u>क्रमांक-28 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री दामोदर रावत ।

<u>क्रमांक-35 : श्री दामोदर रावत, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ई0 शशि भूषण सिंह ।

<u>क्रमांक-42 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रहलाद यादव ।

<u>क्रमांक-49 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तो खड़ा ही करवा दें । जिनका-जिनका कोई बचा हुआ है तो बता दें । नहीं हैं ।

टर्न-32/सत्येन्द्र/31-03-22

<u>समापन भाषण</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक 25 फरवरी, 2022 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-22 (बाईस) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 25 फरवरी, 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुईं । महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 की प्रति प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सदन पटल पर रखी गयी एवं प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी । सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

03 (तीन) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । कुल-11 (ग्यारह) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 28 फरवरी, 2022 को वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ और यह दिनांक 02 मार्च, 2022 को भी जारी रहा । जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 02 मार्च, 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 03 मार्च, 2022 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 04 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर दिनांक 03 मार्च, 2022 से जारी सामान्य विमर्श का उत्तर माननीय उप-मुख्यमंत्री-सह प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया ।

दिनांक 07 मार्च, 2022 को माननीय सदस्यों से संबंधित दिये जाने वाले सभी तरह के अभ्यावेदन, प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़े मामलों में ससमय कार्रवाई करने एवं समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु बिहार विधान सभा में एक समिति के गठन हेतु आसन से निदेश दिया गया । वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित पंचायती राज विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 08 मार्च, 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसन तथा सदन की ओर से नारी शक्ति को नमन करते हुए महिला माननीय सदस्यों सहित राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी गयीं और साथ ही उस दिन सदन की कार्यवाही के संचालन हेतु माननीय सदस्या-सह अध्यासी सदस्य, श्रीमती ज्योति देवी को आसन पर आसीन किया गया ।

दिनांक 15 मार्च, 2022 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-23(क), नियम-93 एवं नियम-244 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2022 को सदन पटल पर रखे जाने एवं नियमावली के नियम-287(ख) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के आलोक में नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 23 मार्च, 2022 को प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया कि यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव एवं कार्य-संचालन नियमावली की उक्त नियमावली के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रील, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद्, सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करने हेतु प्रस्ताव पर आसन की सहमति हुई ।

दिनांक 24 मार्च, 2022 को सप्तदश बिहार विधान सभा के विकासशील इंसान पार्टी के तीनों माननीय सदस्य, श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या-79, गौड़ाबौराम, श्री मिश्री लाल यादव, क्षेत्र संख्या-81, अलीनगर एवं श्री राजू कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-98, साहेबगंज द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन विकासशील इंसान पार्टी विधायक दल का भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

दिनांक 25 मार्च, 2022 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणाम बजट पुस्तिका, बाल कल्याण बजट पुस्तिका एवं जेण्डर बजट पुस्तिका तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के ग्रीन बजट पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 26 मार्च, 2022 को माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव पर बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत सामान्य लोकहित के विषय- संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन में विचार-विमर्श हुआ तथा विमर्शोपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक पक्ष रख गया । अधिकार के स्वाभाविक बोध पर कर्त्तव्य बोध की दबी चिंगारी अब सुलग गई है वह

दिन दूर नहीं जब अपने कर्त्तव्यबोध के बल पर बिहार विधायिका और बिहार की श्रमशील जनता सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करेगी । इस सत्र के दौरान उक्त विमर्श के समय आप सभी माननीय सदस्यों को संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति उपलब्ध करायी गयी जो ऐतिहासिक क्षण था । आप सब जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपका मस्तक संविधान निर्माताओं के प्रति स्वयंमेव श्रद्धापूर्वक झुक जायेगा । आपको यह पता चलेगा कि संविधान मनीषियों ने किस प्रकार हमारी सनातन संस्कार और पुरातन संस्कृति का संगम उसमें समाहित किया है । इसी दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगें गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए ।

दिनांक 30 मार्च, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2022.
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022.
(3) बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022.
(4) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022.
(5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022.
(6) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022.
(7) बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022.
(8) बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022.
(9) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022.
(10) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022.
(11) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022.

सत्र के दौरान कुल-5460 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 4693 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 4693 प्रश्नों में कुल-137 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 136 के उत्तर प्राप्त हुए, कुल-3885 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 3714 के प्राप्त हुए । साथ ही 671 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल-312 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 38 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 265 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 09 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-873 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 867 स्वीकृत हुए एवं 06 अस्वीकृत हुए । कुल-463 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 436 स्वीकृत एवं 27 अस्वीकृत हुईं । इस सत्र में कुल-258 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

आप सबों की सजगता और सरकार की संवेदनशीलता से सभी विभागों ने प्रश्नों के लगभग शत-प्रतिशत उत्तर दिये, जिसके कारण सदन में माननीय सदस्यों को उनके पूछे गए प्रश्नों पर पूरक पूछने में ही सहूलियत ही नहीं हुई बल्कि ऐसा करने से प्रश्नकाल के दौरान अधिकाधिक प्रश्नों को लिया जा सका, जिससे कहीं न कहीं हम सभी ने जनता के जीवन को सरल, सुगम और सुखी बनाने का अधिकतम प्रयास कर लोकतंत्र की उस अवधारणा को मजबूती प्रदान की जिसमें जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, ऋतुराज वसंत के उत्सवकाल में आने वाले दिनों में चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा यानी 02 अप्रैल से आदिशक्ति प्रकृति की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्र का शुभारम्भ हो रहा है, इसी दिन विक्रम संवत 2079 (दो हजार उन्नासी) की शुरूआत हो रही है और सुखद संयोग है कि इसी समय रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा है । इसके बाद भारतीय मानस में मर्यादा के प्रतीक और हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रेरणापुरूष भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी, हमारे भारत के राज्यों की भावभूमि को निर्धारित करने वाले भाग-6 को सुशोभित करने वाले भगवान महावीर की जयन्ती, राज्यों के शासन, प्रशासन और कल्याण को परिभाषित करने वाले भाग-8 की शोभा बढ़ाने वाले मारूति नंदन हनुमान जी की जयन्ती और हमारे देश के आम जनजीवन की निर्बाध स्वतंत्रता को निर्धारित करने वाले

भाग-13 में विराजमान हमारी प्राण धारा पवित्र माँ गंगा की आराधना का पर्व गंगा दशहरा जैसे महापर्वों के भी हम साक्षी बनने जा रहे हैं । इन मंगलपर्वों पर भारत भक्ति के भाव से वीतरागी होकर कर्त्तव्य की पराकाष्ठा की राह चुननी है ।

हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हैं ही साथ ही, हमारी प्राचीन परम्परा भी नितांत लोकतांत्रिक रही है । हमारे यहां जो गणतंत्र थे, उनमें मतदान की प्रक्रिया थी । समितियों का निर्माण कर प्रश्न तय करने और हल ढूंढने का विधान था। वाद-विवाद और संवाद के द्वारा समस्याओं के समाधान की संस्कृति थी । मतभेदों के साथ मनभेद से मुक्त सामाजिक सभ्यता का हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है ।

मुझे आपसे यह साझा करते हुए अपार हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है कि सरकार के सजग सहयोग और प्रतिपक्ष के सदस्यों के संवेदनशील व्यवहार से इस महान सदन ने न केवल अपनी विरासत को अक्षुण्ण रखा बल्कि आपके मर्यादित व्यवहार और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल आचरण से शत-प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर, सार्थक परिचर्चा के साथ-साथ शत-प्रतिशत उत्पादक कार्यदिवसों का उपयोग हुआ जिससे देश के सामने एक नजीर पेश किया जा सका ।

आप सबने यह सिद्ध कर दिखाया है कि यह सदन संकुचित मायने में नहीं बल्कि विराट अर्थों में एक राजनीतिक मंच है, जहां से प्रदेश की 12 करोड़ जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और कुंठाएं प्रतिबिम्बित एवं प्रतिध्वनित होती हैं ।

माननीय सदस्यगण, आप सब बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह के गवाह और भागीदार रहे हैं । इस समारोह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था ।

इस शताब्दी समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी भी आए । उन्होंने सभा परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का रोपण भी किया और शताब्दी स्मृति स्तम्भ का शिलान्यास भी किया । समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सबों द्वारा यह इच्छा जाहिर की गई कि शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पटना आएं ।

यह इसी वर्ष मई-जून में संभावित है । यह आयोजन बहुत ही भव्य होगा उसमें आप सबकी उपस्थिति अपेक्षित रहेगी ।

इसी शताब्दी वर्ष समारोह में इस वर्ष के एक और कार्यक्रम को ध्यान दिलाना चाहूँगा । आप लोगों के लिए लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी यहाँ आये थे । दो दिवसीय कार्यक्रम बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा शताब्दी स्मृति स्तम्भ की प्रतिकृति का अनवारण भी किया गया । स्तम्भ के ऊपर जो पीपल के वृक्ष का ब्राउंच मेटल में तैयार किया जा

रहा है जो लोकसभा के सेंट्रल हॉल में रखे आजादी के पूर्व के बिहार के प्रतीक की तस्वीर है । यह उसी की प्रतिकृति होगी । भविष्य में यह शताब्दी स्मृति स्तम्भ बिहार के प्रतीक के रूप में जाना जायेगा साथ ही बिहार विधान सभा की संसदीय गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए विधान प्रबोधनी नामक पत्रिका तथा बिहार विधान सभा की डिजिटल टी.वी. चैनल 'बिहार विधान सभा टी.वी.' का शुभारम्भ माननीय लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला जी के कर कमलों से किया गया । इनके माध्यम से आपके संसदीय अनुभव और विचारों से देश और दुनिया के लोग अवगत हो सकेंगे।

हमने इस सत्र में संवैधानिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों पर सारगर्भित चर्चा की है, जो देश के सामने एक उदाहरण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । इस चर्चा से हमें देश के इस अमृतकाल में अपने आप से यह वादा करना है कि हम चाणक्य की संकल्पना शक्ति, सम्राट चंद्रगुप्त की जीतने की चाहत, महत्मा बुद्ध की करूणा, तीर्थंकर महावीर का तप और गुरू गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर अंदर और बाहर की बुरी ताकतों पर विजय हासिल करते हुए देश और समाज के हित में अपना कार्य करते रहेंगे । हमें सदैव याद रखना है कि:-

"कर्मभूमि है निखिल महीतल
जब तक नर की काया
तब तक है जीवन के कण-कण में
अपना कर्त्तव्य समाया" ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूं, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :-

टर्न-33/मधुप/31.03.2022

अध्यक्ष : शोक प्रकाश

स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामदेव सिंह यादव का निधन दिनांक 17 मार्च, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव मुंगेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री रहे थे। वे मिलनसार, कर्मठ एवं लोकप्रिय नेता थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद सिंह

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 18 मार्च, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1996 एवं 2002 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय दीनबन्धु प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दीनबन्धु प्रसाद यादव का निधन दिनांक 21 मार्च, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रामाश्रय ईश्वर

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामाश्रय ईश्वर का निधन दिनांक 21 मार्च, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय ईश्वर समस्तीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे संत बाबा के नाम से चर्चित थे। वे मृदुभाषी एवं निर्मल विचार के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रवीन्द्र कुमार राणा

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रवीन्द्र कुमार राणा का निधन दिनांक 23 मार्च, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राणा भागलपुर जिला के गोपालपुर विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य तथा खगड़िया लोक सभा निर्वाचित क्षेत्र से वर्ष 2004 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हम लोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(राष्ट्रगीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।